सी० बी० II संख्या 289

लोक-सभा

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

[26 जुलाई, 1974 को प्रस्तुत किया गया]

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जलाई, 1974/श्रावण, 1896 (शक)

मूल्य : 2 रु. 10 पै.

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का

शुद्धि पत्र

क्रमांक	पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़िये
1	बारह	3	4	पुस्तकालय	पुस्तकालय
2	तेरह	4	5	भातीय	भारतीय
3	पन्द्रह	12	1	उपादक	उत्पादक
4	सत्रह	—	6	पुस्तकालय	पुस्तकालयों
5	अठारह	10	1	दे	देना
6	अठारह	—	32	व्यलस्था	व्यवस्था
7	2	4	1	मे	में
8	8	4 (ख)	38	'यह ' लोप कीजिए	
9	9	18(1)	2	भारत राष्ट्रीय	भारत का राष्ट्रीय
10	11	11	3	पुदतकाल	पुस्तकालय
11	17	2	1	प्राध्यिापिका	प्राध्यापिका
12	21	164	1	विश	विश्व
13	22	171	1	सैक्सपियर	शेक्सपियर
14	22	186	1	शरथी	दशरथी
15	22	189	1	रर0	र0
16	23	210	1	श्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
17	24	241	1	वेन्यू	रवेन्यू
18	27		क्रम संख्या 8	मुकर्जी	मुखर्जी
19	30	—	22	विधाया परामशदाता	विधायी परामर्शदाता
20	34	—	क्रम संख्या 10	मुकर्जी	मुखर्जी

क्रमांक	पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़िये
21	36	6	1	आटसिल	काउंसिल
22	36		नीचे से 11	मुकर्जी	मुखर्जी
23	36	—	नीचे से 12	चन्द्र	चन्द
24	37	--	8	चैन	सेन
25	43	—	21	विसि	बिसि
26	पृष्ठ 44, 52, 53, 69, 74, 75 और 76 पर			मुकर्जी के स्थान पर	मुकर्जी पढ़िये
27	46	—	18	भारायण	नारायण
28	48	—	7	मंई	मई
29	49	—	25	आदिवरेकर	आडिवरेकर
30	67 और 69	—	16 और 4	टूना	टुना
31	67	—	नीचे से 4	शिक्षा और समाज कल्याण	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
32	69	—	नीचे से 10	बनर्जी के बाद चौधरी	पढ़िए
33	78(4) (ख) के परंतुक का (i)		1	उटाया	हटाया
34	79	8	1	अधिगियमन	अधिनियमन्
35	80	9का शीर्ष		भुजी	भुजी
36	80			खण्ड 116 को	खण्ड 1 पढ़िये
37	अन्तिम पृष्ठ			अन्तर्गत	अन्तर्वर्ती

विषय-सूची

	पृष्ठ
संयुक्त समिति की रचना	(तीन)
संयुक्त समिति का प्रतिवदन	(पांच)
विमति टिप्पण	(दस)
संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया विधेयक	1
परिशिष्ट एक :	
संयुक्त समिति को विधेयक भेजने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव	15
परिशिष्ट दो :	
राज्य सभा में प्रस्ताव	16
परिशिष्ट तीन :	
उन एसोसिएशनों, संगठनों इत्यादि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए	17
परिशिष्ट चार :	
उन एसोसिएशनों, संगठनों इत्यादि की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया	25
परिशिष्ट पांच :	
संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश	28

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री अमर नाथ विद्यालंकार—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अचल सिंह
*3. श्री ए० के० कोत्राशेट्टी
4. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
5. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
6. श्री आनन्द सिंह
7. श्री पन्नालाल बारूपाल
8. श्री सत्य चरण बेसरा
9. श्री बीरेन एंगती
10. श्री राज राज सिंह देव
11. श्री के० गोपाल
12. श्री समर गुह
13. श्री बी० आर० कावड़े
14. श्री ई० आर० कृष्णन्
15. श्री वाई० एस० महाजन
16. श्री कुमार माझी
17. श्री एच० एन० मुकर्जी
18. श्री सरोज मुकर्जी
19. श्री टूना उरांव
20. श्री नारायण चन्द पाराशर
21. श्री नटवर लाल पटेल
22. श्री रामू भाई आर० पटेल
23. श्री पी० एन्थनी रेड्डी
24. श्री पी० गंगा रेड्डी
25. श्री शक्ति कुमार सरकार
26. श्री एस० ए० शमीम
27. श्री राजाराम शास्त्री
28. श्री सोमचन्द सोलंकी
29. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
30. श्री डी० पी० यादव

---

*श्री धर्मराव शरणप्पा अफ़जलपुरकर के निधन पर 6-12-1973 को उनके स्थान पर नियुक्त।

राज्य-सभा

31. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवेरकर
32. श्री प्रमथनाथ बिसि
33. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
34. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
**35. श्री देवेन्द्रनाथ द्विवेदी
36. श्री नीरेन घोष
37. श्री एन० जी० गोरे
38. प्रो० एस० नुरुल हसन
**39. श्री शामलाल गुप्त
40. प्रो० रशीदुद्दीन खान
**41. श्री शोवालेस के० शिल्ला
**42. डा० रामकृपाल सिन्हा
43. श्री ए० के० रेफाय
44. श्री सनत कुमार राहा
45. डा० वी० बी० सिंह

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री आर० एन० सिंघल—सहायक विधायी परामर्शदाता ।

शिक्षा और समाज कल्याण (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी—अपर सचिव ।
2. श्री के० के० बक्सी—उप सचिव ।
3. श्री ए० एस० तलवाड़—उप सचिव ।
4. श्री बी० बनर्जी चौधरी—पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।

सचिवालय

1. श्री पो० के० पटनायक—संयुक्त सचिव ।
2. श्री हरिगोपाल परांजपे—उप सचिव ।

**सर्वश्री महावीर दास, रतन लाल जैन, श्यामधर मिश्र और पाटिल पुट्टप्पा के राज्य सभा से 2-4-1974 से निवृत्त होने पर 9-5-1974 को उनके स्थानों पर नियुक्त ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त समिति का सभापति जिसे राष्ट्रीय पुस्तकालय के संचालन तथा कुछ अन्य संबद्ध मामलों हेतु व्यवस्था करने का विधेयक सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक भी संलग्न है।

2. यह विधेयक 18 दिसम्बर, 1972 को लोक-सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री, प्रोफेसर एस० नुरुल हसन द्वारा 22 दिसम्बर, 1972 को लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ था (परिशिष्ट एक)।

3. राज्य सभा ने 23 दिसम्बर, 1972 को उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की (परिशिष्ट दो)।

4. राज्य सभा से प्राप्त सन्देश लोक-सभा के दिनांक 27 दिसम्बर, 1972 के समाचार—भाग दो में प्रकाशित किया गया था।

5. कुल मिलाकर समिति की 25 बैठकें हुईं।

6. समिति की पहली बैठक अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिए 18 जनवरी, 1973 को हुई। समिति ने निर्णय किया कि विधेयक की विषय-वस्तु में रुचि रखने वाले राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता से संबद्ध विभिन्न संस्थाओं, संगठनों तथा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, ज्ञानपीठों, विख्यात शिक्षाविदों, शोधछात्रों, आदि से ज्ञापन आमंत्रित किये जायें। समिति ने यह भी निर्णय किया कि इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये, जिसमें ज्ञापनों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17 फरवरी, 1973 रखी जाये। समिति ने कुछ एक संस्थाओं, संगठनों, व्यक्तियों, आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने का भी निर्णय किया।

7. 6 मार्च, 1973 को हुई अपनी दूसरी बैठक में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संस्थाओं, संगठकों तथा व्यक्तियों की टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय किया :—

(एक) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य;

(तीन) भारत के समस्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों;

(चार) शिक्षाविदों और राष्ट्रीय प्रोफेसरों;

(पांच) विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों तथा रीडरों; और

(छः) उन छात्रों से जिन्होंने राष्ट्रीय पुस्तकालय के वाचनालय का उपयोग किया।

समिति ने ज्ञापन प्राप्त होने की तिथि को 30 अप्रैल, 1973 तक बढ़ाने का भी निर्णय किया।

समिति ने यह भी निर्णय किया कि 4 तथा 5 जून, 1973 को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता का दौरा किया जाये और इस विषय में रुचि रखने वाले पक्षों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए 6 तथा 7 जून, 1973 को कलकत्ता में समिति की बैठकों का आयोजन किया जाये।

8. विधेयक के संबंध में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, आदि की ओर से समिति को 270 ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए (देखिए परिशिष्ट तीन)।

---

*भारत के असाधारण राजपत्र—भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 18 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित।

9. समिति ने 6 से 8 जून, 1973 तक कलकत्ता में, 16 से 18 जुलाई, 1973 तक दिल्ली में तथा 26 तथा 27 सितम्बर, 1973 को बम्बई में हुई अपनी बैठकों में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, आदि द्वारा दिया गया मौखिक साक्ष्य लिया (देखिए परिशिष्ट चार में दी गई सूची)।

10. समिति ने 4 जून, 1973 को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता का, 18 अगस्त, 1973 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली तथा दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी, दिल्ली का, 27 सितम्बर, 1973 को बम्बई विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा बम्बई की बम्बई स्थित एशियाटिक सोसायटी की लायब्रेरी का, 28 सितम्बर, 1973 को भारतीय विद्या भवन, बम्बई तथा प्रिंस आफ वेल्स म्यूज़ियम, बम्बई का, 29 सितम्बर, 1973 को डकन कालेज आफ़ पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीच्यूट, पूना भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट पूना, पी० जी० गोखले इंस्टीच्यूट आफ इकानामिक्स एण्ड पालिटिक्स, पूना का, पूना विश्वविद्यालय की जयाकर लाइब्रेरी तथा भारत इतिहास समशोधक मण्डल, पूना का दौरा किया। समिति ने 30 सितम्बर, 1973 को पूना के अध्यक्षाओं तथा पुस्तकाध्यक्षों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

11. 27 सितम्बर, 1973 को हुई अपनी बैठक में समिति ने निर्णय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखा जाये; और (दो) विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, आदि से समिति को प्राप्त हुए ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद संसद सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद ग्रन्थालय में रखी जायें।

12. समिति का प्रतिवेदन 15 मार्च, 1973 तक सभा में प्रस्तुत किया जाना था। समिति को इसके लिये समय बढ़ाने की मंजूरी तीन बार दी गई। पहली बार 12 मार्च, 1973 को 16 नवम्बर, 1973 तक; दूसरी बार 15 नवम्बर, 1973 को, 10 मई, 1974 तक तथा तीसरी बार 10 मई, 1974 को 26 जुलाई, 1974 तक समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

13. 30 तथा 31 जनवरी, 1974 को हुई अपनी बैठकों में समिति ने समिति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों तथा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के दौरान उठाए गए विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य चर्चा की।

14. समिति ने 24 से 27 जून, तथा 13 और 14 जुलाई, 1974 को हुई अपनी बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

15. समिति ने 23 जुलाई, 1974 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

16. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के बारे में समिति के विचार अगले पैराग्राफों में दिये गये हैं।

17. **खण्ड 2.** समिति का विचार है कि "पुस्तकालय" शब्द की परिभाषा इस प्रकार की जाये ताकि उसकी भाषा संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ-सूची की प्रविष्टि 62 में प्रयुक्त भाषा के अनुरुप हो।

तदनुसार उप-खण्ड (घ) में संशोधन कर दिया गया है। उप-खण्ड (ग) में किया गया संशोधन पारिणामिक है।

18. **खण्ड 3 [उप-खण्ड (3)]** समिति का विचार है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय बोर्ड को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना फर्नीचर, लेखनसामग्री और इसी प्रकार की अन्य अनुपयोग्य स्टाक की वस्तु या चीज का विक्रय या अन्यथा व्ययन कर सके।

समिति का यह भी विचार है कि जहां ऐसी पांडुलिपियों, पुस्तकों, वस्तुओं या चीजों का, जो किसी व्यक्ति द्वारा पुस्तकालय को दी गई हैं, विक्रय या अन्यथा व्ययन करने की प्रस्थापना है वहां केन्द्रीय सरकार तब तक कोई अनुमोदन नहीं देगी जब तक आदाता या उसका हितउत्तरवर्ती लिखित रूप में ऐसा करने के लिए अनुज्ञात नहीं करता है।

तदनुसार उप-खण्ड (3) में संशोधन कर दिया गया है।

19. **खण्ड 4**—ज्ञापनों में कई व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्त इच्छा तथा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के दौरान व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय बोर्ड में यथा पुरःस्थापित विधेयक में प्रस्तावित प्रतिनिधित्व से अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जाये। समिति का विचार है कि बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो; पुस्तकालय में काम करने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाये और केन्द्रीय सरकार पुस्तकालय से सम्बन्धित मामलों को निपटाने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और वित्त से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो दो अधिकारी नाम निर्दिष्ट करे वे भारत सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति के न हों।

तदनुसार खण्ड 4 का प्रारुप फिर से तैयार किया गया है।

20. **खण्ड 5**--समिति का विचार है कि बोर्ड के और कार्य परिषद् के सदस्य पद के लिए निरर्हता सम्बन्धी उपबन्ध विधेयक में ही स्पष्ट रूप में करना आवश्यक है ।

तदनुसार खण्ड 5 के स्थान पर नया खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

21. **खण्ड 6**--इस खण्ड में जो संशोधन किए गए हैं वे पारिणामिक हैं ।

22. **नया खण्ड 7**--समिति का विचार है कि विधेयक में ही यह उपबन्ध कर दिया जाना चाहिये, कि किन परिस्थितियों में किसी सदस्य को बोर्ड या बोर्ड की कार्य परिषद् से हटाया जा सकता है ।

तदनुसार नया खण्ड 7 अन्तःस्थापित कर दिया गया है ।

22. **खण्ड 9 (मूल खण्ड 8)**--चूंकि विधेयक के खण्ड 5 में बोर्ड की और कार्य परिषद् की सदस्यता के लिए निरर्हता सम्बन्धी उपबन्ध कर दिया गया है, अतः समिति का विचार है कि अब उप-खण्ड (1) की आवश्यकता नहीं है ।

तदनुसार उस उप-खण्ड का लोप कर दिया गया है, अन्य परिवर्तन पारिणामिक है ।

24. **खण्ड 10 (मूल खण्ड 9)**--(एक) उप-खण्ड (1)--समिति का विचार है कि पुस्तकालय के परिसर में समिति की बैठक सामान्यतः एक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए ।

तदनुसार उप-खण्ड (1) में संशोधन कर दिया गया है ।

(दो) उप-खण्ड (3) इस उप-खण्ड में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सदस्य जो सरकार का अधिकारी है, बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकता है । समिति का विचार है कि यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की बैठक में सरकार के पर्याप्त वरिष्ठ अधिकारी भाग लें, इस प्रयोजन के लिए जिस अधिकारी को प्राधिकृत किया जाए वह उस मंत्रालय या विभाग के भारत सरकार के उप-सचिव से कम पंक्ति का न हो ।

तदनुसार उप-खण्ड (3) में संशोधन कर दिया गया है ।

25. **खण्ड 11 (मूल खण्ड 10)**--समिति का विचार है कि बोर्ड की कार्य परिषद् में नौ सदस्य हों । बोर्ड के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यथा का न्यायनिर्णयन करेगी ।

पुस्तकालय का निदेशक कार्य परिषद् का अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य बोर्ड के सदस्यों में से या बाहर से या भागतः बोर्ड के सदस्यों में से तथा भागतः बाहर से नियुक्त किए जाएंगे । समिति का विचार है कि केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधियों के अतिरिक्त बाहर से 3 व्यक्तियों से अधिक नियुक्त न किये जायें ।

कार्य परिषद् के उन सदस्यों की पदावधि जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के साथ ही समाप्त होगी ।

तदनुसार खण्ड 11 में संशोधन कर दिया गया है ।

26. **खण्ड 13 (मूल खण्ड 12)**--समिति का विचार है कि कार्य परिषद् के सभी आदेशों और विनिश्चयों का पुस्तकालय के निदेशक के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणन किया जायेगा ।

तदनुसार नया उप-खण्ड (2) अन्तःस्थापित किया गया है ।

27. **नया खण्ड 14**--समिति अनुभव करती है कि भारत का राष्ट्रपति पुस्तकालय का परिदर्शक हो और इसे पुस्तकालय से सम्बन्धित कार्यों तथा मामलों का निरीक्षण तथा जांच कराने का अधिकार हो ।

नया खण्ड 14, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में इसी प्रकार के उपबन्ध के अनुरूप, अन्तःस्थापित किया गया है ।

28. **खण्ड15 (मूल खण्ड 13)**--समिति का विचार है कि पुस्तकलाय के निदेशक की नियुक्ति पुस्तकालय के परिदर्शक द्वारा की जाए। किसी ऐसे व्यक्ति, जो एक विशिष्टि विद्वान हों अथवा उच्च शैक्षणिक अर्हताओं वाला एक प्रतिष्ठित पुस्तकाध्यक्ष हो, पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया जाये । समिति यह भी अनुभव करती है कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस पद पर नियुक्ति प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यदि आवश्यक हो तो, किसी एक निर्धारित कार्यावधि के पश्चात् भी काफी समय तक उसी पद पर, रखा जा सकता है जिससे कि उन से मार्गदर्शन प्राप्त होने का लाभ पुस्तकालय को निरन्तर मिलता रहे और यह कि कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् निदेशक के पद पर आसीन नहीं रह सकेगा ।

खण्ड 15 में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

29. **खण्ड 16 (मूल खण्ड 14)**—समिति ने नोट किया है कि बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जिन निबन्धनों तथा शर्तों का उपबन्ध किया गया है वह पर्याप्त नहीं है । समिति अनुभव करती है कि बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया एक अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी नहीं है, एक लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिये और ऐसी नियुक्तियां करते समय बोर्ड को संघ की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनरूप कार्य करना चाहिये ।

बोर्ड और इसके अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के बीच, जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया एक अधिकारी या अन्य कर्मचारी नहीं है, किसी संविदा से उत्पन्न किसी विवाद के मामले में ऐसे विवाद को सम्बन्धित कर्मचारी अथवा बोर्ड के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण के पास भेजा जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

इस खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

30. **खण्ड 17 (मूल खण्ड 15)**—समिति का विचार है कि पुस्तकालय के विद्यमान कर्मचारियों की सेवा की वर्तमान शर्तों और निबन्धनों को बनाये रखा जाना चाहिये । समिति अनुभव करती है कि कर्मचारियों के मन में किसी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के उपबन्ध जैसा एक उपबन्ध इस विधेयक में सम्मिलित किया जाये ।

यह खण्ड उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया गया है ।

31. **खण्ड 18 (मूल खण्ड 16)**—समिति अनुभव करती है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया जाना चाहिये । इस प्रयोजनार्थ एक नया उप-खण्ड जोड़ा गया है ।

32. **खण्ड 20 (मूल खण्ड 18)**—समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के दौरान इस बात पर बल दिया गया था कि किसी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए बोर्ड के कर्त्तव्यों तथा पुस्तकालय के कार्यकलापों का विधेयक में ही विस्तार से उल्लेख किया जाये ।

अत: खण्ड 20 में उपयुक्त संशोधन किया गया है ।

33. **खण्ड 26 (मूल खण्ड 24)** —समिति अनुभव करती है कि केन्द्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा जाये कि वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर प्रतिवेदन की एक प्रति रखवाए जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के कार्य-कलापों तथा अधिनियम के अधीन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ किये जाने वाले कार्यकलापों का ब्यौरा दिया जाये ।

खण्ड 26 में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

34. **मूल खण्ड 25**—बोर्ड को स्वायत्तशासी दर्जा देने के उद्देश्य से, समिति अनुभव करती है कि बोर्ड के कृत्य केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अध्यधीन नहीं रखे जाने चाहियें ।

तदनुसार खण्ड 25 का लोप कर दिया गया है ।

35. **खण्ड 30 (मूल खण्ड 29)**— (एक) **उप-खण्ड 2(क)**—आकस्मिक रिक्तियां भरने की प्रणाली का उल्लेख विधेयक के खण्ड 6 के उप-खण्ड (3) में किया गया है । अत: समिति अनुभव करती है कि इस उप-खण्ड का लोप कर दिया जाये ।

तदनुसार उप-खण्ड 2(क) का लोप कर दिया गया है ।

(दो) **उप-खण्ड 2(ग)**—बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट अथवा निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निरर्हताओं का ब्यौरा विधेयक के खण्ड 5 में दिया गया है । अत: समिति का विचार है कि इस उप-खण्ड की आवश्यकता नहीं है ।

तदनुसार उप-खण्ड 2(ग) का लोप कर दिया गया है ।

(तीन) उप खण्ड 2 (घ)—चूंकि पुस्तकालय के निदेशक की नियुक्ति परिदर्शक द्वारा निर्धारित ढंग से की जायेगी, अत: समिति अनुभव करती है कि "भर्ती की रीति" शब्दों को बदल कर उनके स्थान पर "नियुक्ति का ढंग" शब्द रखे जायें ।

तदनुसार उप-खण्ड 2(घ) में संशोधन कर दिया गया है ।

36. **खण्ड 1 [उप-खण्ड (1)]**—समिति का विचार है कि प्रस्तावित विधान का नाम बदल कर "भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1974" कर दिया जाये ।

तदनुसार उप-खण्ड (1) में संशोधन कर दिया गया है ।

37. **पूरा नाम और अधिनियमन सूत्र**—इन में जो परिवर्तन किये गये हैं वे आनुषंगिक तथा शाब्दिक हैं ।

38. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

नई दिल्ली ;
26 जुलाई, 1974

अमरनाथ विद्यालंकार,
सभापति,
संयुक्त समिति ।

---

4 श्रावण, 1896 (शक) ।

विमति टिप्पण

एक

मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा बहुमत निर्णय से संशोधित राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 से पूरी तरह से अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। इसका कारण यह है कि मैं विधेयक के मूलाधार का ही विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रीय पुस्तकालय के विषय में झा समिति की मूल सिफारिश से स्पष्टतः हटा हुआ है तथा उसके विपरीत है।

2. मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए एक स्वशासी बोर्ड बनाने के विचार से सहमत नहीं हूं तथा मेरा दृढ़ विचार है कि संयुक्त समिति द्वारा बहुमत निर्णय से संशोधित रूप में भी विधेयक को वापस ले लिया जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह तथ्य है कि यह विधेयक एक ऐसी धारणा पर आधारित है जो कि झा समिति द्वारा व्यक्त विचार (देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय सम्बन्धी झा समिति की रिपोर्ट का पैरा 40) के पूरी तरह से विपरीत है। समिति ने कानूनी स्वायत्तता के विरूद्ध स्पष्ट दिया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि "शासी परिषद् को जो स्वायत्तता प्रदान की जाए वह प्रत्यायोजित स्वायत्तता होनी चाहिए, न कि कानूनी।"

3. प्रस्तावित विधेयक के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, प्रादेशिक पुस्तकालयों तथा सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रबन्ध प्रणाली के लिए संसद् के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाना होगा। हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1955 में 'यूनेस्को सेमिनार' में जो कहा था उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए :

> एक जिला पुस्तकालय सेवा को प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय पुस्तकालय से सहयोग और मार्ग दर्शन की आवश्यकता होगी। ये केन्द्रीय पुस्तकालय भी एक दूसरे से सम्बद्ध होने चाहिएं और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास स्थित तीन राष्ट्रीय पुस्तकालयों की समूची प्रणाली के एक अंग होने चाहिएं और दिल्ली का राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय इस संरचना की बुनियाद होना चाहिए।

उक्त विचार के अनुसार, जहां तक कार्य और कर्मचारियों का सम्बन्ध है चारों राष्ट्रीय पुस्तकालय परस्पर सम्बद्ध कर दिए जाने चाहिएं और कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय समूची प्रणाली का शीर्ष स्थान होना चाहिए तथा समूचे देश के लिए पुस्तकालय सेवा का एक स्वतंत्र संवर्ग होना चाहिए। भारत के एक विख्यात लाइब्रेरियन श्री बी० एस० केशवन ने भी, कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के इतिहास, विकास तथा भविष्य के बारे में विचार करते समय, यह विचार व्यक्त किया था।

4. भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय निश्चय ही सीधे भारत सरकार के अधिकार में रहना चाहिए क्योंकि इसमें राष्ट्रीय निधि, परम्परा और मूल्यवान दस्तावेज संग्रहीत हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय– ये तीनों ही समान राष्ट्रीय महत्व रखते हैं और आवश्यमेव ही सीधे राज्य तथा सरकार के नियंत्रणाधीन रहने चाहिए। विशेष रूप से भारत जैसे देश में, इन संस्थाओं में से किसी एक को स्वशासी बोर्ड को सौंपने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

5. यदि शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के बराबर पद के व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम निदेशक के अधीन एक कुशल विभाग की स्थापना कर दी जाए तथा उसको उदार और पर्याप्त वित्तीय सहायता उपबन्ध कराई जाए, तो कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय पिछले अनेक वर्षों से लगातार जिन कमियों और दोषों से ग्रस्त रहा है, और जो आज भी विद्यमान है वे ठीक हो सकते हैं।

6. हमारे देश के पुस्तकालय विज्ञान के विशेषज्ञों को यदि कहा जाए तो वे हमारी विशाल मातृभूमि के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कर्ताओं के लिए क्षेत्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के तथा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के ब्रूत एक सप्ताह में तैयार कर सकते हैं।

7. कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों की सेवाएं स्वशासी बोर्ड को स्थानांतरित कर दिए जाने पर उनकी सेवा की शर्तों, विशेषाधिकारों और सुविधाओं की क्या स्थिति होगी इसके बारे में उन कर्मचारियों की वास्तविक आशंकाओं को नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए और न ही सरसरी तौर से इन पर विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर केन्द्रीय सिविल सेवा नियम जैसे कि ये इस समय विद्यमान है तथा भविष्य में भारत सरकार द्वारा जब भी कभी इन में संशोधन करके नये नियम बनाए जायें, लागू होने चाहिए।

8. वर्तमान विधेयक से यह सुनिश्चित नहीं होता कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें पुस्तकालय को स्वशासी बोर्ड को सौप दिये जाने के बाद भी अपने वर्तमान रूप में जारी रहेगी, चाहे इस बारे में विधेयक में कितनी ही संख्या में अथवा कितने ही सुव्यवस्थित खंड क्यों न जोड़ दिये जायें क्योंकि ऐसे खंड कानूनी दृष्टि से किसी भी न्यायालय में वैध नहीं माने जायेंग। कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आर०पी० मुकर्जी समेत अनेक माननीय साक्षियों ने इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। मेरी राय में विधेयक के खण्डों पर विचार करते समय तथा अन्तिम रिपोर्ट तैयार करते समय कर्मचारियों सम्बन्धी इस महत्वपूर्ण पहलू पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है।

9. वर्तमान विस्फोटक स्थिति में ऐसे किसी विधेयक को पारित करना बुद्धिमतापूर्ण कार्य नहीं होगा। जिसके द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसी उच्च राष्ट्रीय स्वरूप वाली संस्था का जिसके साथ विभिन्न प्रकार की भावनाएं, परम्परायें, राजनीतिक प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय विरासत जूड़ी हुई है लगभग एक शताब्दी पुराना चला आ रहा मूल स्वरूप ही बदलने की व्यवस्था की जा रही है। यह बात उन अनेक लब्धप्रतिष्ठ सम्माननीय साथियों द्वारा दिए गये साक्ष्य से पर्याप्त स्पष्ट हो गयी थी जिन्होंने कि समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था।

10. अन्त में मैं इस बात का कोई कारण नहीं समझता कि कमियों और खराब काम के नाम पर जोकि वास्तव में एक विशेष अवधि के दौरान किसी व्यक्ति के त्रुटिपूर्ण कार्य करने के परिणामस्वरूप पैदा हुआ था राष्ट्रीय पुस्तकालय को सीधे सरकार नियंत्रण से निकाल कर संविधिक स्वायतत्ता प्रदान कर दी जाए। राष्ट्रीय पुस्तकालय लाभ न अर्जित करने वाला एक संगठन है यह इस प्रकार की शिक्षण संस्था नहीं है जिस प्रकार की कि विश्वविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का सम्बन्ध मूलतः विशेषकर राष्ट्र की साहित्यिक निधियों को तथा सामान्यतः विश्व की साहित्य कृतियो को अर्जित करने, उनका संरक्षण करने तथा उनको उपलब्ध कराने से है। इन क्षेत्रों में विद्वान और व्यावसायिक विशेषज्ञों की राय को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। झा समिति की सिफारिशो के पीछे भी यही मार्गदर्शी भावना काम कर रही थी।

नई दिल्ली;
23 जुलाई, 1974

सरोज मुखर्जी

दो

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक सम्बन्ध संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में हमें विवश होकर यह विमति टिप्पण देना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे विचार से इस विधेयक में अभी भी कुछ ऐसी गंभीर त्रुटियां है जिन्हें संसद द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।

हम पहले सामान्य बातों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालय सम्बन्धी पुनरीक्षण (झा) समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को बिना कानून बनाए एक संकल्प अथवा कार्यपालक आदेश द्वारा स्वायत्तता की सम्पूर्ण शक्तियां, राष्ट्रीय पुस्तकालय के उचित रूप से गठित एक शासी परिषद् को प्रत्यायोजित कर देनी चाहिएं। किन्तु हमें बताया गया है कि सरकार का यह मत है कि कानून की दृष्टि से स्वायत्तता प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती किन्तु उपयुक्त संविधि द्वारा इसे विनिमित करना आवश्यक है। झा समिति की तरह हम भी यही चाहते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसी संस्थाएं स्वयत्तता के सिद्धान्त पर चलाई जायें और इस विधान की वांछनीयता को हमने केवल इसीलिए स्वीकार किया है कि इस सिद्धान्त का सम्मान किया जाएगा। अतः हम चाहते हैं कि विधेयक पर चर्चा के समय सरकार संसद् और देश के सामने फिर से यह स्पष्ट करें कि यदि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन में झा समिति की मूलक स्वायत्तता के सिद्धान्त की सच्चाई से क्रियान्वित करना है तो इस समय किस रूप में विधेयक पेश किया गया है वह अपरिहार्य है।

हम संयुक्त समिति द्वारा मूल विधेयक में किये गये कुछ सुधारों का स्वागत करते हैं। बहुत से लोगों को राष्ट्रीय पुस्तकालय के भविष्य के बारे में जो गंभीर आशंकायें हैं वे इनसे कम होंगी। यह एक अच्छी बात है कि पुस्तकालय का नया नाम भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय होगा। यह भी अच्छी बात है कि शिक्षा मंत्री द्वारा संसद् में दिए गए आश्वासन के अनुसार विधेयक में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में ही होगा। हमें प्रसन्नता है कि इस राष्ट्रीय संस्था तथा कलकत्ता नगर के बीच जो ऐतिहासिक सूत्र था और हाल के दशकों मे जिसको उसकी परम्परागत श्रेष्ठता से अधिकांशतः वंचित कर दिया गया था वह नहीं टूटेगा। यह वास्तव में पुनरीक्षाधीन प्रतिवेदन की स्वागत योग्य बात है।

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक के खण्ड 4 में उल्लिखित राष्ट्रीय पुस्तकालय बोर्ड का गठन सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल गठन से बहुत अच्छा है। फिर भी, हमारा विचार है कि बोर्ड की रचना में गैर-पदाधिकारी विद्वानों की संख्या और अधिक की जानी चाहिए।

अपने विचार-विमर्श के दौरान संयुक्त समिति को राष्ट्रीय पुस्तकालय के वर्तमान कर्मचारियों जिनका परिवर्तन के बारे में अत्यधिक चिन्तित होना स्वाभाविक था और जो यह आश्वासन चाहते थे कि ऐसा कुछ नहीं किया जायेगा जिससे उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, के काम और उनकी सेवा की शर्तों पर प्रभाव डालने वाली वर्तमान विधान से उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखना पड़ा। हम यह चाहते हैं कि इस दिशा में विधान में कुछ रक्षोपाय सम्मिलित किये गये हैं, किन्तु बहुत से कर्मचारियों के मन में जो भय है उसे देखते हुए हमें आशंका है कि ये रक्षोपाय काफी नहीं है। हमारा सुझाव है कि खण्ड 17 में उपयुक्त संशोधन किया जाये ताकि ये आशकायें दूर की जा सकें। इस खण्ड में स्पष्ट रूप से वर्तमान कर्मचारियों के "विकल्प" अर्थात् "बोर्ड का कर्मचारी" रहने अथवा न रहने के "विकल्प" की बात कही गई है जो एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी स्थिति बनाए रखने के विपरीत है। किसी भी "विकल्प" का, यदि वह कल्पित नहीं है, निश्चय ही यह अभिप्राय है कि उस कर्मचारी को किसी वैकल्पिक चयन का अधिकार है। "विकल्प" की अनुमति देना और उस अधिकार के प्रयोग की अनुमति न देना परस्पर विरोधी बातें हैं। अत: हमारा विचार है कि जिस संशोधन को प्रतिवेदन में शामिल करवाने में हम सफल नहीं हो पाये वह संसद् द्वारा स्वीकार्य किया जाये ताकि जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बने रहने का "विकल्प दें" उन्हें राष्ट्रीय पुस्तकालय में वर्तमान शर्तों के आधार पर काम करने दिया जाये। ऐसे समय में जब कि कर्मचारियों की आशंकाओं ने जटिल और स्थायी रूप धारण कर लिया है, संसद् को चाहिए कि वह उनको यह स्पष्ट आश्वासन दे कि यदि वे वर्तमान शर्तों पर काम करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं चाहे राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन आगे से भिन्न नीतियों के अनुसार हो, हमें विश्वास है कि कम से कम वर्तमान कर्मचारियों के मामले में उक्त खड में थोड़ा सा परिवर्तन करके यह गारन्टी दी जा सकती है।

प्रसन्नता की बात है कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक निदेशों के क्रियान्वयन सम्बन्धी सरकार के दायित्व पर जोर दिया गया है। विधेयक की इस अनन्य और सुखद विशेषता का स्वागत करते हुए हम चाहते हैं कि कर्मचारी के मन में अपने भविष्य के बारे में जो आशंकायें हैं उन्हें पूरी तरह से दूर किया जाये। यदि संसद् द्वारा विधेयक में हमारे सुझावों को शामिल किया जाये तो ऐसा किया जा सकता है।

नई दिल्ली ;
24 जुलाई, 1974

एच० एन० मुकर्जी
सनत कुमार राहा

तीन

1. 1961 में भारत सरकार ने कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय को "भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय" का दर्जा ठीक ही दिया। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास भारत के एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के इतिहास से जुड़ा हुआ है। एक स्वतन्त्र देश के रूप में भारत के अभ्युदय के साथ ही राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारे राष्ट्र की सजनशील प्रतिभाओं का राष्ट्रीय संग्रहालय बन गया।

2. वर्तमन राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना मुख्य रूप से बंगाल के तत्कालीन बुद्धिजीवियों के प्रयत्नों से एक गैर सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में 1835 में हुई थी। कालान्तर में ब्रिटिश भारत सरकार तथा कलकत्ता नगरपालिका ने इस सार्वजनिक पुस्तकालय को संयुक्त रूप से धन दिया। 1891 में ईस्ट इडिया कॉलेज, फोर्ट विलियम तथा लन्दन स्थित ईस्ट इंडिया बोर्ड के पुस्तकालय के पास मौजूद पुस्तकों से इम्पीरियल लायब्रेरी की स्थापना की गई। 1903 में, कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी और इम्पीरियल लायब्रेरी को एक साथ मिला दिया और नये पुस्तकालय को सारे देश के लिए मुख्य पुस्तकालय के रूप में इम्पीरियल लायब्रेरी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया तथा उसे सीधे सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रख कर उसके रख रखाव तथा विकास की सम्पूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी सरकार को दे दी गई।

3. एक स्वतन्त्र देश के रूप में भारत के अभ्युदय के साथ स्वर्गीय राजगोपालाचारी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इस इम्पीरियल लायब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम देने के लिए विशेष रूप से प्रयास किये। बाद में यह पुस्तकालय बेलवेडेयर स्थित वाइसराय एस्टेट में खोल दिया गया। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के इसी ऐतिहासिक भवन से सम्पूण भारत पर लगभग दो शताब्दियों तक शासन किया गया। इस पुस्पकालय को सर्वोच्च

राष्ट्रीय महत्व देने तथा स्वतन्त्र भारत के केन्द्रीय सरकार के न्यास का दर्जा देने के लिए इसे इस एतिहासिक भवन में स्थित किया गया।

4. भारत के प्रधान मन्त्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा स्वतन्त्र भारत के प्रथम शिक्षा मन्त्री मौलाना आजाद ने राष्ट्रीय पुस्तकालय का राष्ट्रीय स्तर बनाये रखने तथा भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत अपने एक अभिन्न विभाग के रूप में इसके अनुरक्षण तथा विकास के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर बनाये रखने के सम्बन्ध में अलग-अलग राष्ट्रीय वादे किये गये थे । उन्होंने वचन दिया था कि नेशनल लायब्रेरी (राष्ट्रीय पुस्तकालय) भा तीय राष्ट्र की सजनात्मक प्रतिभा का राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण करने की सर्वोच्च संस्था होगी जो कि साथ ही संसार के सभी भागों से जानकारी और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास भी करेगी ।

5. वर्तमान राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 के उपबन्ध पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद द्वारा दिये गये वचनों को निरर्थक बना देंगे तथा विधेयक में परिकल्पित व्यापक परिवर्तनों द्वारा पण्डित नेहरू तथा मौलाना आजाद द्वारा भारत सरकार की ओर से दिये गये वचनों की मर्यादाहीन ढंग से उपेक्षा करके इस में लगभग 100 वर्ष पुरानी परम्परा को तथा इसके ऐतिहासिक स्वरूप को नष्ट कर देंगे । यदि इस विधेयक को अधिनियमित किया गया तो उससे अन्ततः राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रतिष्ठा घट कर एक क्षेत्रीय पुस्तकालय के रूप में रह जायेगी तथा उसके लिये वित्तीय संसाधनों तथा विकास का उत्तरदायित्व अन्तत : भारत की केन्द्रीय सरकार से छीन लिया जायेगा जिससे कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में इसकी वर्तमान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेंगी। वास्तव में इस विधेयक द्वारा इस प्रमुख राष्ट्रीय संस्था को नष्ट करने का आज्ञा पत्र है जिसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा अपना राष्ट्रीय स्वरूप है तथा केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के अन्तर्गत जिसकी राष्ट्रीय परम्परा को बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय वादा किया जा चुका है।

6. इस विधेयक का प्रारम्भ राष्ट्रीय पुस्तकालय के कृत्य तथा विकास कार्य में गिरावट को, जसा कि हाल के वर्षों में देखने में आया है, रोकने के लिये उपचारी उपायों का पता लगाने के प्रयोजन से किया गया था । एक ओर तो देश के सभी भागों के विद्वानों, अनुसन्धानकर्ताओं तथा अध्येताओं के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा अन्य क्षेत्रीय पुस्तकालयों को राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ सम्बद्ध करने के लिये इसके प्रसार कार्यक्रम तथा विकासोन्मुख उपायों के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने किंचित पूर्वाग्रहयुक्त उदासीनता तथा उपेक्षाभाव दिखाया है तथा दूसरी ओर हाल के वर्षों में एक विशेष पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय में ठीक प्रबन्ध न रखने के कारण राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों तथा प्रशासन में अव्यवस्था, परस्पर संघर्ष तथा कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने से अनेक समस्यायें खड़ी हो गईं जिससे राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रगति में बाधा पड़ी तथा उसकी प्रतिष्ठा को धब्बा लगा है । संसद में तथा सार्वजनिक सभाओं में इन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राष्ट्रीय पुस्तकालय के समक्ष आने वाली समस्याओं की जांच तथा अध्ययन करने के लिये कुछ उपाय करने के लिये बाध्य होना पड़ा ।

7. शिक्षा मंत्री ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति डॉ० वी० एस० झा की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय पुनरीक्षा समिति स्थापित की थी जिसका कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन तथा कृत्य सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय के सुधार तथा विकास के लिये आवश्यक सिफारिश करने के लिये उसके बारे में गहराई से जांच पड़ताल करना था । समिति के विचारार्थ प्रश्नों में सरकार ने किसी रूप में भी इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि वे पुस्तकालय को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में बदल कर उसके मूल भूत प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करना चाहते हैं ।

8. वर्तमान राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मुख्य उद्देश्य से लाया गया है । राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक 1972 के सम्बन्ध में संसद की संयुक्त समिति बनाये जाने से पूर्व सरकार द्वारा परिचालित एक टिप्पण में सरकार ने बताया था "राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक 1972 संसद में, उक्त पुस्तकालय को आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठित करने तथा विकसित करने के उद्देश्य से पुरःस्थापित किया गया है ।" यद्यपि यह विधेयक झा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था परन्तु वास्तव में इसमें विधेयक के इस उद्देश्य को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है । यह विधेयक झा समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में न केवल लगभग पूरी तरह असफल रहा है अपितु वास्तव में, इस विधेयक में समिति की मुख्य सिफारिशों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया गया है और इसके विपरीत इसमें ऐसे उपबन्धों की व्यवस्था की गई हैं जो झा समिति की सिफारिशों के एकदम विपरीत है यदि झा समिति के प्रतिवेदन तथा इस विधेयक के उपबन्धों का सरसरी तौर पर भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो उससे स्पष्ट पता चलेगा कि विधेयक के उपबन्धों तथा झा समिति की सिफारिशों में राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिये पुस्तकाध्यक्ष के अतिरिक्त एक निदेशक नियुक्त किये जाने की बात को छोड़ कर और कोई समानता नहीं है ।

9. पुनरीक्षा समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय की समस्याओं के सम्बन्ध में व्यापक जांच पड़ताल तथा अध्ययन किया था और देश के विभिन्न पुस्तकालयों के कार्य से सम्बन्धित 57 प्रख्यात विद्वानों तथा अनुभवी व्यक्तियों का साक्ष्य लिया। समिति ने स्वर्गीय श्री राजगोपालाचारी का साक्ष्य भी लिया। इसके अतिरिक्त समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय की सरकार द्वारा नियुक्त परामर्शदात्री परिषद के सदस्यों से बातचीत की। उनके निष्कर्षों के आधार पर समिति ने सिफारिश की थी कि :—

(एक) राष्ट्रीय पुस्तकालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यथावत बने रहने दी जानी चाहिये;

(दो) राष्ट्रीय पुस्तकालय केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक विभाग के रूप में बना रहना चाहिए।

(तीन) वर्तमान परामर्शदात्री परिषद के स्थान पर शासी परिषद बनायी जानी चाहिए ;

(चार) इस तरह की शासी परिषद को राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासनिक तथा कार्य संचालन सम्बन्धी मामलों से निपटने तथा उसकी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये प्रत्यायोजित स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिये;

(पांच) इस का एक निदेशक हो जो उपर्युक्त शासीपरिषद का पदेन अध्यक्ष हो तथा जिसका दर्जा किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति के बराबर हो ; तथा

(छः) पुस्तकालय के लिये विशेष सामग्री प्राप्त करने तथा विद्यमान संदर्भ सामग्री के क्रमबद्ध अध्ययन में राष्ट्रीय पुस्तकालय की सहायता के लिये विद्वानों की दो स्थायी समितियां होनी चाहियें।

10. पुनरीक्षा समिति ने स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की थी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक विभाग के रूप में बना रहने दिया जाना चाहिये। समिति ने केवल यह इच्छा व्यक्त की थी कि उसे राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन तथा विकास से सम्बन्धित दिन प्रतिदिन की समस्याओं से कारगर ढंग से तथा सरलतापूर्वक निपटने के लिये कार्य संचालन सम्बन्धी स्वायत्तता दी जानी चाहिये। प्रतिवेदन के पैरा 40 (पृष्ठ 24) में बताया गया है कि "शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय को चाहिये कि वह यह शासी निकाय एक सरकारी संकल्प द्वारा नियुक्त करे तथा उसे संगठन के कार्यचालन के लिये अधिकतम शक्तियां प्रत्यायोजित करे। जब कर्मचारियों या परियोजना के लिये मंत्रालय को स्वीकृतिहेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव पुस्तकालय को आवंटित धन की सीमा के अन्दर हों तो उन पर कार्यवाही करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। शासी परिषद को दी गयी स्वायत्तता सांविधिक न होकर प्रत्यायोजित होनी चाहिये।" अपने सिफारिश संख्या 5 में भी समिति ने यह कहा था कि "यह परिषद् कानून से नहीं बल्कि सरकारी संकल्प द्वारा गठित की जानी चाहिये।"

11. समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले साक्षियों में से किसी ने भी यह वांछित नहीं समझा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्वशासी निकाय बना दिया जाये। पुनरीक्षा समिति के सातों सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि समिति के प्रतिवेदन में प्रस्तावित स्वायत्तता 'प्रत्यायोजित' होनी चाहिये 'न कि सांविधिक'। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के नामनिर्देशित अधिकारी ने, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में उपसचिव था, तथा केन्द्रीय सरकार के दो अन्य अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से "प्रत्यायोजित स्वायत्तता" की इस धारणा का समर्थन किया था। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि पुनरीक्षा समिति की सिफारिश का उल्लघन करते हुए प्रस्तुत विधेयक में राष्ट्रीय पुस्तकालय को संसद के अधिनियम द्वारा स्वायत्तता देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त जब संयुक्त प्रवर समिति ने इस विधेयक को अन्तिम रूप से स्वीकार किया था, तब इस प्रवर समिति के एक सदस्य ने जो पुनरीक्षा समिति का सदस्य भी था, पुनरीक्षा समिति की इस सिफारिश का समर्थन नहीं किया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को 'प्रत्यायोजित स्वायत्तता' दी जाये।

12. 'स्वायत्तता' की धारणा राष्ट्रीय पुस्तकालय के ऐतिहासिक स्वरूप तथा पुस्तकालय के प्रत्ययात्मक स्वरूप को मूलभूत रूप से बदल देगी। इस तरह का कदम उठा कर केन्द्रीय सरकार ने वस्तुतः राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रशासन चलाने वाले तथा उसका कार्य संचालन करने और विकास कार्य करने के अपने प्रत्यक्ष दायित्व से मुक्त होने का प्रस्ताव किया है। इस तरह के कदम से केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रति उत्तरोत्तर एक निष्क्रिय और उदासीन रवैया अपनाती जायेगी तथा उसके भाग्य को एक ऐसे स्वशासी निकाय पर छोड़ देगी जिसके पास न तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास कार्य के लिये ससाधनों की व्यवस्था करने की क्षमता होगी और न ही केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष सहायता तथा मार्गनिर्देशन के बिना पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था करने की क्षमता होगी।

राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसी संस्था के लिये पूर्ण स्वायत्तता की संकल्पना सरकार का राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य अभिरक्षक के रूप में कार्य करने के दायित्व से बचने का एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की, उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के किसी स्वशासी निकाय के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इसके लक्ष्यों तथा कार्यों के स्वरूप को देखने से ही पता चलता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय एक उत्पादक इकाई नहीं है और इसके पास ऐसा कुछ

नहीं है कि यह सरकार के लिये वित्तीय संसाधन जुटाने की अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ा सके या विदेशों को निर्यात करने जैसे कार्य निष्पादित कर सके या सामान्य जनता की खपत के लिये अपने उत्पादन का वितरण कर सके। राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य अपने देश के तथा विश्व के बुद्धिमान्, विद्वान् तथा रचनात्मक प्रतिभा वाले व्यक्तियों की कृतियों के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में कार्य करना है। इसका उद्देश्य पुस्तकें, पत्रिकाएं, पाण्डुलिपियां, दस्तावेज़ और ऐसी अन्य सामग्री एकत्रित करना तथा उसे सुरक्षित रखना है ताकि उसे विद्वानों, शोधकर्ताओं तथा अन्य प्रयोजनों के लिए सरकार तथा जनता को उपलब्ध कराया जा सके। उद्देश्यों तथा कृत्यो की दृष्टि से इसकी तुलना अधिक से अधिक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय से की जा सकती है। विधेयक के उपबन्धों में जो यह व्यवस्था की गयी है कि एक ऐसी संस्था को, जो कि 1903 से एक सरकारी विभाग के रूप में कार्य करती रही है, स्वायत्तशासी दर्जा दिया जाये उसका औचित्य सरकार सिद्ध नहीं कर सकती। जब तक सरकार स्वयं को विद्वानों को तथा सामान्य जनता को पुस्तकों, पाण्डुलिपियों, दस्तावेजों तथा अन्य ऐसी सामग्री को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इनके प्रमुख राष्ट्रीय भण्डार के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय के अनुरक्षण, प्रबन्ध तथा विकास के ऐतिहासिक उत्तरदायित्व से अपना हाथ न खींच लेना चाहती हो तब तक शिक्षा मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को शिक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण तथा प्रबन्ध के उत्तरदायित्व से मुक्त करना कठिन है। विधेयक के उपबन्धों पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रबन्ध के लिए सांविधिक स्वायतता की धारणा उत्पन्न करके सरकार या तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का भविष्य अनिश्चित करना चाहती है अथवा इसका दर्जा कम करके इसे अन्ततः एक क्षत्रीय पुस्तकालय का दर्जा देना चाहती है।

13. झा समिति ने ऐसा बोर्ड बनाने की बात नहीं सोची थी जैसा कि विधेयक में परिकल्पित है। प्रस्तावित बोर्ड के 29 सदस्य होंगे जिनमें से 21 प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे। वास्तव में यह एक सरकार द्वारा मनोनीत संस्था होगी परन्तु उत्तरदायित्व तथा कृत्यों के मामले में इसे एक स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा दिया जायेगा। इतनी बड़ी संस्था की स्थापना करने से नीति सम्बन्धी मामलों में कई तरह की पेचीदगियां पैदा होंगी, प्रशासनिक निर्णय लेने में बाधायें आयेंगी और राष्ट्रीय पुस्तकालय की नीति अथवा विभिन्न परियोजनाओं की क्रियान्विति में तथा इसके उन उद्देश्यों को पूरा करने में विलम्ब होगा जिनका पुनरीक्षा समिति के प्रतिवेदन तथा इस विधेयक में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस विधेयक में राष्ट्रीय पुस्तकालय के स्वरूप में आमूल परिवर्तन करने की बात रखी गई है, हालांकि झा समिति के प्रतिवेदन में अथवा वर्तमान विधेयक में उल्लिखित नीतियों में कोई नई बात जोड़ने अथवा किसी नीति को समाप्त करने का इसे कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए था। प्रस्तावित बोर्ड जैसी बड़ी संस्था का गठन करने से राष्ट्रीय पुस्तकालय की कार्य-कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास कार्य में अधिक समस्यायें उत्पन्न होंगी, अधिक कठिनाइयां खड़ी होंगी और अधिक विलम्ब होगा तथा इसके दैनिक कार्य-संचालन में अधिक कठिनाइयां सामने आयेंगी और ये कठिनाइयां उन कठिनाइयों से अधिक जटिल होंगी जिनका पुस्तकालय को इस समय सामना करना पड़ता है। वास्तव में राष्ट्रीय पुस्तकालय की कठिनाइयों तथा समस्याओं को दूर करने के लिए विधेयक में प्रस्तावित उपाय भविष्य में इस रोग से भी अधिक घातक सिद्ध होगा जिससे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय इस समय पीड़ित है।

14. कार्यकारी परिषद् की सकल्पना एक और नई बात है जोकि एक बहुत बड़े बोर्ड की स्थापना के अतिरिक्त है। इस परिषद् का सिवाय इसके कोई कार्य नहीं होगा कि यह बोर्ड और कार्यकारी परिषद् के बीच झगड़ों तथा आपसी विरोध का कारण सिद्ध हो सकती है। इस कार्यकारी परिषद् में 9 सदस्य होंगे जो कि सभी बोर्ड के सदस्य नहीं होंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय पुस्तकालय के भाग्य का निर्धारण वास्तव में इन 29 और 9 व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जिनका इसके नीति के मामलों से प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इनसे प्रशासनिक बोझ ही बढ़ेगा और वे राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन तथा कार्य-संचालन के मामले में अनेक प्रकार से बाधक सिद्ध होंगे।

15. संयुक्त प्रवर समिति को भेजे गये एक टिप्पण में शिक्षा मंत्रालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि इस विधेयक से "न तो पुस्तकालय का दर्जा कम होगा और न ही कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन होगा।" परन्तु वास्तविकता यह है कि इसके अधिनियमन के पश्चात् एक ही रात में राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं रहेंगे—सिवाय उनके जो कि अन्यथा इच्छा व्यक्त करें—और ऐसा होने से राष्ट्रीय पुस्तकालय विभाग में इस समय काम कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उन सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों से वंचित हो जायेंगे जो उनको केन्द्रीय सरकार के सेवा सम्बन्धी नियमों के अधीन प्राप्त हैं। विधेयक में प्रस्तावित यह असाधारण कदम अप्रत्याशित है और इसके गम्भीर परिणाम होंगे। संसद् के एक अधिनियम के अधीन अकस्मात ही एक सरकारी विभाग के कर्मचारी जिनको 50 वर्षों से अधिक समय से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी माना जाता रहा है केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं रहेंगे और अपने विशेषाधिकारों से वंचित हो जायेंगे। भारतीय संविधान के उपबन्धों के अनुसार ऐसा कार्य उसमें विहित आशय के प्रतिकूल है। बहुत से विभागों के सरकारी कर्मचारियों का भाग्य अनिश्चित हो जायेगा और इससे एक ऐसी नई नीति अपनाई जा सकेगी जिसके अधीन कोई भी सरकारी

विभाग एक सांविधिक उपाय के द्वारा अपने कर्मचारियों को अपने क्षेत्राधिकार से निकाल सकेगा और उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं रहेगा। जिन लोगों को विकल्प की छूट दी गई है उनका भाग्य भी अनिश्चित रहेगा क्योंकि उनकी वैकल्पिक नियुक्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। विधेयक के इस प्रावधान से जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय के वर्तमान कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा निबन्धनों में परिवर्तन हो जायेगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों में भारी क्षोभ उत्पन्न होगा।

16. श्री आशुतोष मुकर्जी, तेज बहादुर सप्रू, सरोजिनी नायडू, वैयापुरी पिल्ले तथा अन्य व्यक्तियों के पुस्तकालयों के मामले में जो कि भारत सरकार को उपहार के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय पुस्तकालय को सौंपे गये थे कानूनी समस्यायें उत्पन्न होंगी। जिन लोगों ने ये पुस्तकालय दान दिये थे उन्होंने अपनी पुस्तकें उपहार के रूप में भारत सरकार को दी थीं न कि विधेयक में यथा प्रस्तावित किसी ऐसी स्वायत्तशासी संस्था को जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। विधेयक में इस प्रकार के प्रावधान से गम्भीर कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपने ऐतिहासिक विकास के दौरान पूरे देश की पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और दस्तावेजों के राष्ट्रीय भण्डार अथवा संरक्षक का रूप धारण कर लिया है। 1 जुलाई 1969 को इसमें पुस्तकों की संख्या इस प्रकार थी :—

आसामी—1462, बंगाली—51874, गुजराती—21107, हिन्दी—32749, कन्नड़—9750, मलयालम—12490, मराठी—17107, उड़िया—6190, पंजाबी—5435, तमिल—17513, तेलुगु—11974, अरबी, उर्दू और फ़ारसी—19547 और संस्कृति, पाली तथा प्राकृत—133882.

अब इस राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं की भी हज़ारों पुस्तकें खरीदी जा रही हैं।

18. प्रस्तुत राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक का बंगाल तथा देश के अन्य भागों के बुद्धिजीवी लोगों ने विरोध किया है। इस विधेयक के बारे में समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में जो सम्पादकीय टिप्पणियां प्रकाशित हुई हैं उन सब में इस विधेयक का विरोध किया गया है। उन सभी ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को स्वायत्तशासी दर्जा देने के प्रस्ताव का विरोध किया है जैसा कि प्रस्तुत विधेयक में सोचा गया है और इस सम्बंध में संसद् में कोई अधिनियम बनाने के बजाय एक सरकारी संकल्प के आधार पर इसे कार्यात्मक स्वायत्तता दिये जाने को तरजीह दी है। सभी साक्षियों, बंगाल के बुद्धिजीवियों और एक-आध समाचार पत्र को छोड़कर सभी समाचार-पत्रों ने यह आशंका व्यक्त की है कि यदि वर्तमान विधेयक को अधिनियमित कर दिया गया तो इससे हमारे देश की तथा विश्व की सृजनशील प्रतिभाओं की सृजनात्मक कृतियों के तथा सरकारी और सार्वजनिक मूल्यवान दस्तावेजों के अभिरक्षक और संग्रहालय के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो ऐतिहासिक स्वरूप है उसके बारे में जो मूल धारणा है और चिर प्राचीन परम्परा है उनमें आमूलचूल परिवर्तन हो जायेगा। यदि इस विधेयक को इसमें सम्मिलित उपबन्धों के साथ अधिनियमित कर दिया गया तो इससे राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्वरूप नष्ट हो जायेगा और यह एक क्षेत्रीय पुस्तकालय मात्र बन कर रह जायेगा और साथ ही इससे पुस्तकालय की विद्यमान समस्याओं का समाधान होने के स्थान पर प्रशासनिक और कार्यचालन सम्बन्धी अगणित समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी। हो सकता है कि यह बात बहुत कठोर लगे किन्तु यह निष्कर्ष निकालने के सिवाय और कोई चारा नहीं है कि इस विधेयक में परिकल्पित उपबंध वास्तव में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिये जिसकी एक शताब्दी तक राष्ट्र की सेवा करने की शानदार परम्परा रही है मौत के वारंट जारी करने का प्रयास है।

समर गुह
वीरेन्द्र अग्रवाल
श्यामलाल गुप्त

नई दिल्ली;
25 जुलाई, 1974।

चार

मेरा यह दृढ़ विचार है कि सम्बन्धित विधेयक अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय (1974) विधेयक बिलकुल अनावश्यक है। सरकार उन परिवर्तनों को जिन्हें वह आवश्यक समझती थी, प्रशासकीय आदेशों के द्वारा सरलता से ला सकती थी ।

यद्यपि संयुक्त समिति ने कुछ सुधार किए हैं, फिर भी पुस्तकालय जिस रोग से ग्रस्त है, उससे यह विधेयक उसे छुटकारा नहीं दिला सकता है।

प्रथमत:, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि विश्व के लगभग सभी देशों में राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रशासन और संचालन सीधे सरकार के हाथों में होता है क्योंकि ये संस्थान अत्यन्त प्रतिष्ठित और राष्ट्र की मूल्यवान सम्पत्ति हैं। इस मामले में दलीय या राजनीतिक विचारों को जगह नहीं दी जाती है।

परन्तु इम्पीरियल लाइब्रेरी को 'राष्ट्रीय' पुस्तकालय' नाम दिये जाने के समय से ही इसे एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में या शिक्षा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के अधीन चलाया जा रहा है। उस समय से सरकार ने इस पुस्तकालय का विकास करने के स्थान पर उसे समाप्त करने का हर प्रयास किया है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि विद्वानों ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को गवर्नर हाउस में, जो कि कलकत्ता नगर के मध्य में स्थित है काफी क्षेत्र में फैला हुआ है तथा जहां भारत के सभी राज्यों के विद्वान और अनुसंधाता सरलता से पहुंच सकते हैं स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव रखा था, किन्तु पुस्तकालय को नगर के एक कोने में बेलवेडेर में भेज दिया गया जो कि पुस्तकालय के प्रयोक्ताओं के लिए बहुत असुविधाजनक है।

जब श्री केशवन पुस्तकालय के प्रभारी थे, तब पुस्तकालय का प्रबन्ध ठीक था। पुस्तकालय के लिए दिये जाने वाले थोड़े से धन से श्री केशवन ने पुस्तकालय का प्रबन्ध जितनी अच्छी तरह से वह चला सकते थे चलाया और प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध भी अच्छे रहे । फिर भी पुस्तकालय नाममात्र के लिये ही 'राष्ट्रीय पुस्तकालय' बना रहा क्योंकि इसे एक ऐसा महत्वहीन संगठन समझा जाता रहा जो कि सम्बन्धित मन्त्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के एक अंग के रूप में काम करता रहा। पुस्तकालय के प्रबन्धक मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी नहीं मिल सकते थे शिक्षा और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रियों जैसी बड़ी हस्तियों से मिलने की तो बात ही अलग रही। इसके बाद, लगता है कि सर्वोच्चस्तर पर एक षड्यन्त्र रचा गया और जब श्री केशवन सेवा-निवृत्त हुए तो उनके स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया जो पूरी तरह से अक्षम और अवांछनीय था और जिसे पुस्तकालय के कार्यों के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं थी। उसने न केवल संस्था के अच्छे वातावरण को दूषित करने का हर सम्भव प्रयत्न किया बल्कि पुस्तकालय की पूरी प्रबन्ध व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। श्री केशवन के बाद श्री सी० आर० चटर्जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पुस्तकालय के बारे में पूरी जानकारी थी तथा साथ ही पुस्तकालय विज्ञान में भी निपुणता प्राप्त थी, पर उन्हें बुरी तरह से अपमानित किया गया। श्री चटर्जी अब सेवा-निवृत हो चुके हैं । अन्तराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त राष्ट्रीय प्रोफेसर श्री सुनीति कुमार चटर्जी ने, जिनका पुस्तकालय से गहरा सम्बन्ध रहा है, मुझे इस बारे में बताया था और कहा था कि इस विधेयक को दूर फेंक देना चाहिए।

श्री केशवन के बाद नियुक्त होने वाले उपरोक्त व्यक्ति को जब पुस्तकालय का प्रभारी बनाया गया तो वह इस प्रसिद्ध संस्था को लगभग पूरी तरह से समाप्त करने में सफल हो गया। पुस्तकालय के प्रत्येक विभाग की उपेक्षा की गई। विश्व में कहीं भी उपलब्ध न होने वाली मूल्यवान पांडुलिपियां उचित संरक्षण न किये जाने के कारण भुरभुरा गई हैं और सम्पूर्ण सूचीपत्र और ग्रंथ सूची तैयार करने की तो बात हीं दूर रहीं, उनकी माइक्रोफिल्में भी नहीं बनाई गई हैं। मैं यह कहूंगा कि पुस्तकालय के साथ अत्यन्त बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया गया है।

किसी भी देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अनुरक्षण और विकास के लिए जो धन आवश्यक है उससे राष्ट्रीय पुस्तकालय को क्रमबद्ध तरीके से वंचित रखा गया है । यह एक क्रूर विडम्बना है कि पुस्तकालय का भारत में सर्वोत्तम, और सर्वाधिक विकसित तथा अद्यतन पुस्तकालय के रूप में विकास अंग्रेजों के जमाने में अनेक सुविख्यात पुस्तकाध्यक्षों की निगरानी में हुआ और उसे इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धन भी उपलब्ध कराया गया तथा पुस्तकालय अपने संग्रह के लिए लोगों से उनकी निजी बहुमूल्य कृतियां प्राप्त करने में सफल हुआ। केन्द्र की कांग्रेस सरकार और उसकी कृपापूर्ण देखभाल के अधीन पुस्तकालय को विकसित होने देने के स्थान पर उसे जानबूझकर नष्ट होने दिया गया है। हालांकि इसके नाम के आगे 'राष्ट्रीय' शब्द जोड़ दिया गया है।

यह एक जानबूझकर किया गया पागलपन प्रतीत होता है। सुविख्यात विद्वानों के मन में यह आशंका घर कर गई है कि केन्द्र सरकार इस मूल्यवान राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करने पर तुली हुई है जिससे कि इसका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम से होते हुए भी इसका कोई महत्व न रहे और दिल्ली में दूसरा नाम रखकर एक वास्तविक राष्ट्रीय

पुस्तकालय बनाया जा सके। विधेयक के अंतिम रूप को भी देखते हुए उपरोक्त आशंका उचित प्रतीत होती है अन्यथा इसका क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार तो सीधे सरकार के अधीन रखा गया है—और यह ठीक भी है—तथा अभिलेखागार के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की तुलना में अधिक राशि आबंटित की जाती है, जबकि होना यह चाहिए कि राष्ट्रीय अभिलेखागार की तुलना में राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए वहीं अधिक धन आबंटित किया जाना चाहिये? या फिर भी इसका स्पष्टीकरण कैसे दिया जा सकता है वर्तमान विधेयक में राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए अपेक्षित धनराशि के आबंटन के बारे में सायास चुप्पी साधी गई है। या फिर इसका क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि एक ओर तो झा समिति की उन मुख्य सिफारिशों को ठुकरा दिया गया है जिनमें उसने प्रतियोजित कार्य मूलक स्वायतत्ता देने के साथ-साथ उसे सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ही रखने की बात कही है और दूसरी ओर पुस्तकालय को एक तथाकथित स्वायतशासी रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है । इसका मतलब यही हो सकता है कि यदि इस पुस्तकालय को भारत के वास्तविक राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में विकसित नहीं किया गया तो उसके लिए पुस्तकालय के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सके । यह भी रहस्यपूर्ण है कि परियोजित बोर्ड उसी सामग्री को प्राप्त करे जिसको वह मुद्रित सामग्री में से महत्वपूर्ण समझे। विधेयक में यह भी स्पष्ट रूप से विहित नहीं किया गया है कि पुस्तकालय द्वारा आवश्यक रूप से भारत के बारे में, भारत के बाहर के सभी प्रकाशन प्राप्त किए जाने चाहिए।

कृत्य

विधेयक में राष्ट्रीय पुस्तकालय के नीचे बताये गये वास्तविक कृत्यों की परिकल्पना नहीं की गई है :—

1. मुद्रित सामग्री के समस्त राष्ट्रीय उत्पादन का अर्जन तथा परिरक्षण ।

2. देश से सम्बन्धित सभी मुद्रित सामग्री को, प्रकाशन कहीं का भी क्यों न हो, एकत्रित करना और इसके लिए उस परिणाम के रूप में ऐसी सामग्री के फोटो ग्राफिक रिकार्ड अर्जित करना जो देश में उपलब्ध न हो।

3. राष्ट्रीय महत्व की पाण्डुलिपियों का अर्जन तथा परिरक्षण ।

4. सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही प्रकार की वर्तमान तथा पुरानी सामग्री की ग्रंथ सूची तथा प्रलेखन सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराना।

5. ग्रंथ सूची सम्बन्धी सूचना के समस्त स्रोतों की पूर्ण तथा ठीक-ठीक जानकारी जुटाने के एक संधर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा अन्तराष्ट्रीय ग्रंथ विज्ञानीय कार्यकलापों में भाग लेना ।

6. फोटो कापी बनाने तथा फोटो अंकन (रिप्रोग्राफिक) सेवाओं की व्यवस्था।

7. अन्तराष्ट्रीय पुस्तक विनिमय तथा अन्तराष्ट्रीय पुस्तक ऋण केन्द्र के रूप में कार्य करना।

8. पुस्तकालयों में शीर्षस्थ स्थान रखने के नाते देश की कुल पुस्तकालय व्यवस्था का नियन्त्रण, मार्गदर्शन तथा समन्वय करना और पुस्तकालय व्यवस्था के भावी विकास की योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाना।

9. देश के समस्त प्रकार के ग्रंथ सूची तथा प्रलेखन घोषणा कार्य-कलापों का नियन्त्रण, मार्ग दर्शन तथा समन्वय करना; और

10. पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये सहायता तथा प्रोत्साहन दे

यद्यपि इनमें से कुछ की विधेयक में व्यवस्था की गई ह परन्तु इन सब की व्यवस्था नहीं की गई है और इस प्रयोजनार्थ धन की भी कोई व्यलस्था नहीं की गई ह ।

2. वित्त

निम्नलिखित तालिका से पता चलेगा कि इस पुस्तकालय का पुस्तकों संबंधी बजट अत्यंत अपर्याप्त रहा है ; ऊपर बतायें गये कृत्यों को पूरा करने के लिये उचित धन की व्यवस्था ही की गई ।

पुस्तकों संबंधी बजट

1955/56	1960/61	1965/66	1970/71	1972/73
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1,00,095	1,52,165	3,43,871	5,45,500	4,00,000

ईस पुस्तकालय के पुस्तकों संबंधी बजट की विकसित देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के पुस्तक संबंधी बजटों से तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि इनके बीच बहुत बड़े-बड़े अंतर है। हमारे देश का अन्य संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के जो पुस्तकालय हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय पुस्तकालय की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त होता है, जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है :--

1971–72 का पुस्तकों संबंधी बजट

बम्बई विश्वविद्यालय	3,88,800 रु०
पंजाब विश्वविद्यालय	14,94,500 रु०
राष्ट्रीय पुस्तकालय	4,40,500 रु०

निम्नलिखित सारणी से यह विदित होगा कि पुस्तकालय का कुल व्यय पुस्तकालय के समुचित कार्यचालन (जैसा ऊपर बताया गया है) परिरक्षण, पाठ्य सामग्री को उपलब्ध करने और पुस्तकालय के कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए बहुत अपर्याप्त है :

1955/56	1960/61	1965/66	1970/71	1972/73
6,59,723रु०	14,70,365रु०	21,34,800रु०	38,64,500 रु०	39,95,700 रु०

रुपए का मूल्य कम होने और मुद्रा का अवमूल्यन होने के कारण, बढ़े हुए खर्च की जो व्यवस्था की गई है वह आवश्यकता से (पुस्तकों को खरीदने, या उनका परिरक्षण करने, या उन की उपलब्धि कराने और पुस्तकालय के कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए) बहुत ही कम है। विधेयक में इन बातों की व्यवस्था नहीं की गई है।

कर्मचारी

संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। पुस्तकालय के कर्मचारी सरकारी सिविल कर्मचारी नहीं होंगे। वे स्वायत्तशासी बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों और विनियमों से शास्ति होंगे। इस प्रकार उनकी सेवा की शर्तों में परिवर्तन हो जायेगा। इस बोर्ड के अधीन उनकी सेवाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। पक्षपात, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ जायेंगे। स्वायत्तशासी बोर्ड के अधीन कर्मचारियों को वे वित्तीय या अन्य प्रसुविधाएं और लाभ स्वतः प्राप्त नहीं होंगे जो सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। बोर्ड ऐसी प्रसुविधाएं प्रदान करने से (जैसे वेतन आयोग द्वारा दी गई प्रसुविधाएं छुट्टी नियम, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा या अन्य अनुषंगी लाभ) इंनकार कर सकता है या उनमें परिवर्तन कर सकता है।

कर्मचारी संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी और अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय की समझौता व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे।

केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हट जाने के कारण जनता की दृष्टि में पुस्तकालय की साख और उसका महत्व कम हो जायेगा और भविष्य में वह वस्तुतः प्रादेशिक महत्व का ही पुस्तकालय रह जायेगा।

इसलिए मेरा दृढ़ विचार है कि सरकार राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रबन्ध प्रत्यक्ष रूप से स्वयं ही करे, जैसा कि संस्था के लगभग सभी देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के मामले में होना है, और पुस्तकालय को बहुत अधिक रकम और अपेक्षित मात्रा में विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करे ताकि जल्दी ही उसका विकास हो सके और उसे विश्व के उन्नत देशों के पुस्तकालयों को समकक्ष बनाया जा सके। कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि कर्मचारियों के सम्बन्ध में विधेयक में जो उपलब्ध किए गए हैं वे किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं हैं।

इसलिए मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक को वर्तमान रूप में, अस्वीकार कर दिया जाए ; पुस्तकालय को उपर्युक्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यमूलक प्रत्यायोजित स्वायतत्ता और इस प्रयोजन के लिए वर्षानुवर्ष उत्तरोत्तर अधिक धन की व्यवस्था निश्चय ही बिना किसी टाल मटोल के की जाए।

नई दिल्ली;
27–7–1974

नीरेन घोष

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972

खण्डों का क्रम

खण्ड

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय पुस्तकालय बोर्ड

3. बोर्ड की स्थापना और निगमन ।
4. बोर्ड का गठन ।
5. सदस्य के पद के लिए निरर्हता ।
6. सदस्यों की पदावधि आदि ।
7. सदस्य के पद का रिक्त होना ।
8. रिक्तियों आदि के कारण कार्यों का अविधिमान्य न होना ।
9. सदस्यों द्वारा बोर्ड में वित्तीय या अन्य हित का प्रकट किया जाना ।
10. बोर्ड की बैठकें ।
11. कार्य परिषद् ।
12. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड से व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन ।
13. बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।
14. कुलाध्यक्ष ।
15. निदेशक की नियुक्ति ।
16. बोर्ड का कर्मचारिवृन्द ।
17. विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का बोर्ड को अन्तरण ।
18. पुस्तकालय का "भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय" नाम से ज्ञात होना और पुस्तकालय का अवस्थान ।

अध्याय 3

बोर्ड की सम्पत्ति, दायित्व और कृत्य

19. बोर्ड की सम्पत्ति और दायित्व ।
20. बोर्ड के कर्तव्य ।
21. बोर्ड की शक्तियां ।

खण्ड

अध्याय 4

वित्त, लेखे, संपरीक्षा और रिपोर्ट

22. केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान ।
23. बोर्ड की निधि ।
24. बजट ।
25. लेखे और संपरीक्षा ।
26. विवरणियां और रिपोर्ट ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

27. शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन ।
28. बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।
29. इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
30. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
31. बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति ।

1972 का विधेयक सं० 118

[नेशनल लायब्रेरी बिल, 1972 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972

[जैसा कि संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है]

[जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खिंची हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं; जहां तारक चिह्न हैं वहां लोप किया गया है]

राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1974 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित बोर्ड अभिप्रेत है,

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ग) "निधि" से धारा 23 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है,

(घ) "पुस्तकालय" से कलकत्ता में स्थित और संविधान के प्रारम्भ के समय राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में ज्ञात संस्था अभिप्रेत है,

(ङ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है,

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय पुस्तकालय बोर्ड

बोर्ड की स्थापना और निगमन ।

3. (1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा ।

(2) बोर्ड उपरोक्त नाम से एक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उस नाम से वाद लाएगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार या उस सरकार* के पूर्वानुमोदन के बिना बोर्ड, पुस्तकालय के स्वामित्वाधीन किसी पाण्डुलिपि, पुस्तक, वस्तु या चीज का विक्रय या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा किन्तु फर्नीचर, लेखन सामग्री, और इसी प्रकार के भूत स्टाक का विक्रय या अन्यथा व्ययन कर सकेगा :

परन्तु जहां ऐसी पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, वस्तुओं या चीजों का जो किसी व्यक्ति द्वारा पुस्तकालय को दी गई हैं, विक्रय या अन्यथा व्ययन करने की प्रस्थापना हैं वहां इस उपधारा के अधीन कोई अनुमोदन नहीं किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, आदाता या उसका पद उत्तरवर्ती लिखित रूप में ऐसा करने के लिए अनुज्ञात नहीं कर देता है ।

बोर्ड का गठन ।

4. बोर्ड ने निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) अध्यक्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी ;

(ii) तीन व्यक्ति जो संसद् द्वारा चुने जाएंगे, दो लोक सभा से, लोक सभा के सदस्यों द्वारा और एक राज्य सभा से, राज्य सभा के सदस्यों द्वारा ;

(iii) तीन व्यक्ति जो राज्य सरकारों द्वारा वर्णानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(iv) चार व्यक्ति जो भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा वर्णानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसके अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट उस आयोग का कोई सदस्य ;

(vi) पुस्तक और समाचारपत्र (सार्वजनिक पुस्तकालय) परिदान अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों में से, किन्तु इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता नहीं है, किसी एक का मुख्य पुस्तकाध्यक्ष चाहे उसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाता हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(vii) भारत के ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालयों में से [जो खण्ड (i) में निर्दिष्ट पुस्तकालय नहीं है] जिनमें ऐतिहासिक, साहित्यिक या कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों का महत्वपूर्ण संग्रह है, किसी एक का मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, चाहे उसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाता हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(viii) एक व्यक्ति जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, इंडियन लाइब्रेरी ऐसोसिएशन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ix) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का निदेशक ;

(x) मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरी और प्रोद्योगिकी और विधि के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विषयों के आठ प्रतिष्ठित विद्वान ;

(xi) दो व्यक्ति जो पुस्तकालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने में से ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे जो विहित की जाए :

परन्तु इन व्यक्तियों में से कम से कम एक पुस्तकालय के तकनीकी कर्मचारिवृन्द का सदस्य होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "तकनीकी कर्मचारिवृन्द का सदस्य" से अभिप्रेत है पुस्तकाध्यक्ष, उप पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, प्राध्यापक, माइक्रोफोटोग्राफर, केमिस्ट और व्यक्तियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो विहित किए जाएं ;

(xii) दो व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति के नहीं होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, पुस्तकालय से सम्बन्धित मामलों को निपटाने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और वित्त से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी ;

(xiii) पुस्तकालय का निदेशक, जो सदस्य सचिव होगा ।

सदस्य के पद के लिए निरर्हता ।

5. कोई व्यक्ति बोर्ड के या धारा 11 में निर्दिष्ट कार्यपालक परिषद् के सदस्य के रूप में, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित होने और बने रहने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि उसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता समाविष्ट है सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास के लिए दण्डादिष्ट किया गया है ; या

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) यदि वह विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है ; या

(घ) यदि उसका बोर्ड में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों का उसके द्वारा निर्वहन, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भाव्यता है।

सदस्यों की पदावधि, आदि।

6. (1) धारा 4 के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का प्रत्येक, यथास्थिति, नामनिर्देशन या निर्वाचन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और उनकी पदावधि ऐसी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष होगी :

परन्तु धारा 4 के खण्ड (ii) या खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित सदस्य के पदावधि, यथास्थिति, जैसे ही वह उस सदन का सदस्य नहीं रहता है जिससे वह निर्वाचित हुआ था या जैसे ही वह बोर्ड के नियोजन में नहीं रहता है, समाप्त हो जाएगी।

(2) कोई भी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद-त्याग कर सकता है, और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में ऐसा पद-त्याग अधिसूचित किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य के पद-त्याग द्वारा या किसी अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने उस सदस्य को नामनिर्देशित किया था, नामनिर्देशन द्वारा या उस सदन या निकाय द्वारा, जिसने उसे निर्वाचित किया था, नए निर्वाचन द्वारा, भरी जाएगी तथा ऐसे नामनिर्देशन या निर्वाचन को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य उस अवशिष्ट कालावधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है पद धारण करता।

(4) पदावरोही सदस्य पुनः नामनिर्देशन या पुनःनिर्वाचन का पात्र होगा।

(5) यदि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी अंग शैथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों को करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है या छुट्टी पर होने के कारण या अन्यथा ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित है जिसमें उसकी पद रिक्ति सम्मिलित नहीं है तो, वह प्राधिकारी जिसने उस सस्दय को नामनिर्दिष्ट किया था उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

सदस्य के पद का रिक्त होना।

7. केन्द्रीय सरकार बोर्ड के या धारा 11 में निर्दिष्ट कार्यपालक परिषद् के सदस्य को हटा देगी यदि,--

(क) वह धारा 5 में लिखित निरर्हताओं से ग्रस्त हो जाता है :

परन्तु कोई सदस्य इस आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा कि वह उस धारा के खण्ड (घ) में लिखित निरर्हताओं से ग्रस्त हो गया है जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है; या

(ख) वह बोर्ड से अनुपस्थिति की इजाजत प्राप्त किए बिना, यथास्थिति, बोर्ड या कार्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यों का अविधिमान्य न होना।

8. बोर्ड का कोई कार्य केवल निम्नलिखित कारणों के आधार पर अविधिमान्य न होगा, अर्थात् :--

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि, या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो ।

सदस्यों द्वारा बोर्ड में वित्तीय या अन्य हित का प्रकट किया जाना ।

9. कोई ** सदस्य जो बोर्ड द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्थापित किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात्, यथाशीघ्र, बोर्ड की बैठक में अपने हित की प्रकृति प्रकट करेगा और यह प्रकटीकरण बोर्ड के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य, प्रकटीकरण के पश्चात्, उस संविदा से सम्बन्धित बोर्ड के विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

बोर्ड की बैठकें ।

10. (1) बोर्ड एक वर्ष में कम से कम दो बार सामान्यतः पुस्तकालय के परिसर में बैठकें करेगा और उपधारा (2), (3) और (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपनी बैठक में कार्य करने के बारे में, जिसके अंतर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं ।

(2) अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) यदि कोई सदस्य जो सरकार का अधिकारी है, बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से उस मंत्रालय या विभाग के किसी ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के उप सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकता है ।

कार्य परिषद् ।

(4) बोर्ड की बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और समान मतों की दशा में अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

11. (1) बोर्ड की एक कार्य परिषद् होगी जिसमें नौ सदस्य होंगे ।

(2) पुस्तकालय का निदेशक कार्य परिषद् का अध्यक्ष होगा और उसके अन्य सदस्य बोर्ड के सदस्यों में से या बाहर से या भागतः बोर्ड के सदस्यों में से और भागतः बाहर से नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु वित्त से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय से और पुस्तकालय से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग से एक-एक प्रतिनिधि कार्य परिषद् का सदस्य होगा ।

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन से अनधिक व्यक्ति बाहर से नियुक्त किए जाएंगे ।

(3) कार्य परिषद् इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगी तथा बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो विहित किए जाएं या जो बोर्ड उसे ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें बोर्ड ठीक समझे, प्रत्यायोजित करे ।

(4) बोर्ड के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यथा का न्यायनिर्णयन करने के लिए सक्षम होगी ।

(5) कार्य परिषद् के उन सदस्यों की पदावधि जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के साथ ही समाप्त होगी ।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड से व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन ।

12. (1) बोर्ड ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं, किसी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह से वह अपने कृत्यों का पालन करना चाहता है अपने साथ सहयुक्त कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा किसी प्रयोजन के लिए अपने साथ सहयुक्त व्यक्ति को उस प्रयोजन से सम्बन्धित बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु इस धारा के आधार पर उसे मत देने का हक नहीं होगा ।

बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।

13. (1) बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा जारी की गई अन्य सभी लिखतें इस निमित्त ऐसी ही रीति में प्राधिकृत बोर्ड के अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी ।

(2) कार्य परिषद् के सभी आदेशों और विनिश्चयों का पुस्तकालय के निदेशक के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा ।

कुलाध्यक्ष ।

14. (1) भारत का राष्ट्रपति पुस्तकालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष को पुस्तकालय का निरीक्षण करने की और ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेश दे पुस्तकालय से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में पुस्तकालय का कोई निरीक्षण या जांच कराने का अधिकार होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में बोर्ड को निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देगा और बोर्ड एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम के निर्देश में अध्यक्ष को सम्बोधित कर सकेगा और अध्यक्ष कुलाध्यक्ष की राय ऐसी सलाह के साथ जो कुलाध्यक्ष उस पर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में दे बोर्ड को संसूचित करेगा ।

(5) बोर्ड अध्यक्ष के माध्यम से कुलाध्यक्ष की उस कार्यवाही, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की जाने के लिए प्रस्थापित है या की गई है संसूचना देगा ।

(6) जहां बोर्ड उचित समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समाधानपर्यन्त रूप में कार्यवाही नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह ठीक समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा बोर्ड की किसी ऐसी कार्यवाही को बातिल कर सकता है या रोक सकता है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक बोर्ड को इस सम्बन्ध में सुनवाई का या अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

निदेशक की नियुक्ति ।

15. (1) कुलाध्यक्ष एक व्यक्ति को, जो प्रतिष्ठित विद्वान या उच्च अर्हताओं वाला प्रतिष्ठित पुस्तकाध्यक्ष है, पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त करेगी ।

(2) निदेशक की पदावधि उसका पद धारण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या साठ वर्ष की आयु तक, जो भी बाद में हो, होगी :

परन्तु कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु का होने के पश्चात् निदेशक का पद धारण नहीं करेगा ।

(3) निदेशक ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो विहित की जाएं ।

(4) निदेशक के रूप में नियुक्त और इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय इस रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति को इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा और उसको इस धारा के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

बोर्ड का कर्मचारिवृन्द ।

16. (1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड, अपने को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष पालन के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए इतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जो वह ठीक समझे और ऐसी नियुक्तियां करने में बोर्ड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संघ की सेवाओं में आरक्षण के संबंध में केन्द्रीय सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुरूप कार्य करेगा ।

(2) ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें वे होंगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाएं ।

(3) बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी या अन्य कर्मचारी नहीं है, लिखित संविदा के अनुसार नियुक्त किया जाएगा, जो बोर्ड के पास रखी जाएगी और जिसकी एक प्रति सम्बद्ध कर्मचारी को दी जाएगी ।

(4) बोर्ड और उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के बीच जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, संविदा से उदभूत होने वाले विवाद, सम्बद्ध कर्मचारी के अनुरोध पर या बोर्ड की प्रेरणा से, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट की जाएगी जिसमें एक सदस्य बोर्ड द्वारा नियुक्त होगा, एक सदस्य कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा और एक अधिनिर्णायक कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(5) माध्यस्थम अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(6) उपधारा (4) द्वारा माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किए जाने के अपेक्षित किसी विषय की बाबत कोई वाद या अन्य कार्यवाही न्यायालय में नहीं की जाएगी ।

(7) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(8) तत्समय प्रवृत्त माध्यस्थम् से सम्बन्धित किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् को लागू नहीं होगी ।

विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का बोर्ड को अन्तरण ।

17. (1) बोर्ड की स्थापना पर केन्द्रीय सरकार के लिए आदेश द्वारा ऐसी तारीख और तारीखों से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं पुस्तकालय में काम करने वाले अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को बोर्ड को अन्तरित करना विधिपूर्ण होगा :

परन्तु किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के सम्बन्ध में जिसने केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को बोर्ड को अन्तरित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए बोर्ड का कर्मचारी न बनने का अपना आशय संसूचित कर दिया है इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अन्तरित अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसी तारीख से ही, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं रहेगा और ऐसे पदाभिधान से बोर्ड का कर्मचारी हो जाएगा जो बोर्ड अवधारित करे और पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत पेंशन, छुट्टी और भविष्य-निधि भी हैं उपधारा (3), (4) और (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस बोर्ड द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों से शासित होगा और बोर्ड का कर्मचारी तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका नियोजन बोर्ड द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश द्वारा अन्तरित प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी ऐसी तारीख से छह मास के भीतर लिखित रूप में अपना विकल्प देगा कि वह,—

(क) बोर्ड की स्थापना की तारीख के ठीक पहले सरकार के अधीन उसके द्वारा धारित पद को लागू होने वाले वेतनमान द्वारा या बोर्ड के अधीन जिस पद को वह अंतरित किया गया है उसको लागू होने वाले वेतन मान द्वारा शासित होना चाहता है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के समय-समय पर यथासंशोधित नियमों और आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्टी भविष्य-निधि, सेवानिवृत्ति या अन्य निवृत्ति फायदों से शासित होना चाहता है या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन बोर्ड के कर्मचारियों को लागू होने वाली छुट्टी, भविष्य-निधि या अन्य निवृत्ति फायदों से शासित होना चाहता है और ऐसा विकल्प एक बार प्रयोग किए जाने के पश्चात् अन्तिम होगा :

परन्तु खण्ड (क) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प उसी पद के सम्बन्ध में लागू होगा जिस पर ऐसा व्यक्ति बोर्ड को अन्तरित किया गया है और बोर्ड के अधीन किसी उच्चतर पद पर नियुक्त होने पर वह व्यक्ति ऐसे उच्चतर पद को लागू होने वाले वेतनमान के लिए ही पात्र होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे व्यक्ति के अन्तरण की तारीख के ठीक पहले ऐसा कोई व्यक्ति सरकार के किसी उच्चतर पद पर या तो छुट्टी से हुई रिक्ति में या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अवधि की रिक्ति में स्थानापन्न कार्य कर रहा है तो ऐसी रिक्ति की शेष अवधि के लिए उसका वेतन अन्तरण होने पर संरक्षित रखा जाएगा और तब वह सरकार के अधीन उस पद को लागू होने वाले वेतनमान का हकदार होगा जिसको कि वह वापस जाता या बोर्ड के अधीन उस पद को लागू होने वाले वेतनमान का हकदार होना जिसको कि उसे अन्तरित किया गया है इनमें से जिसका भी वह विकल्प करे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अन्तरित कोई अधिकारी या कर्मचारी —

(क) बोर्ड के अधीन वैसी ही या उसके समतुल्य नियुक्ति करने के लिए सक्षम ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया या हटाया नहीं जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) ऐसी जांच के पश्चात् ही पदच्युत किया जाएगा या हटाया जाएगा या पंक्तिच्युत किया जाएगा जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है और उन आरोपों की बाबत सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां जब तक उसे प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है किन्तु यह ऐसा केवल जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर होगा :

परन्तु—

(i) जहां कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या पंक्तिच्युत किया जाता है जिससे उसे किसी आपराधिक आरोप पर सिद्ध दोष ठहराया गया है; या

(ii) जहां किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारणवश जो वह प्राधिकारी लेखबद्ध करेगा, ऐसी जांच करना उचित रूप से साध्य नहीं है; या

(iii) कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो बोर्ड को अन्तरित किए जाने पर बोर्ड के अधीन किसी उच्चतर पद पर खुले विज्ञापन के परिणामस्वरूप और अन्य बाहरी व्यक्तियों से प्रतियोगिता करके नियुक्त होता है,

वहां यह खण्ड लागू नहीं होगा ।

(5) यदि पूर्वोक्त किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उपधारा (4) में यथानिर्दिष्ट जांच करना उचित रूप से साध्य है या नहीं तो उसे पदच्युत करने या हटाने या पंक्तिच्युत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

पुस्तकालय का "भारत राष्ट्रीय पुस्तकाल" के नाम से ज्ञात होना और पुस्तकालय का अवस्थान ।

18. (1) इस धारा के प्रारम्भ से ही पुस्तकालय "भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय" नाम से ज्ञात होगा और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी अनुबन्ध, लिखत या अन्य दस्तावेज में नेशनल लाइब्रेरी के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रति निर्देश है ।

(2) पुस्तकालय कलकत्ते में ही अवस्थित बना रहेगा ।

अध्याय 3

बोर्ड की सम्पत्ति दायित्व और कृत्य

बोर्ड की सम्पत्ति और दायित्व ।

19. (1) बोर्ड की स्थापना पर,—

(i) वे सभी सम्पत्तियां, निधियां और शोध्य जो पुस्तकालय के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किए जा सकते हैं, बोर्ड में निहित हो जाएंगे या उसके द्वारा वसूल किए जाएंगे ; और

(ii) पुस्तकालय के सम्बन्ध में सभी दायित्व जो केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, केवल बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे ।

(2) वे सभी सम्पत्तियां बोर्ड में निहित होंगी जो बोर्ड की स्थापना के पश्चात् पुस्तकालय को दी जाती है, वसीयत की जाती हैं या अन्यथा अन्तरित की जाती या बोर्ड द्वारा अर्जित की जाती हैं ।

बोर्ड के कर्तव्य ।

20. (1) बोर्ड का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह पुस्तकालय का प्रबन्ध करे और आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से पुस्तकालय के विकास के कार्यक्रम को क्रियान्वित करे, पुस्तकालय और उनके कार्यकरण से, जिसके अन्तर्गत पुस्तक सूची, या वर्णनात्मक सूची तैयार करना और अन्य विषय भी हैं, सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह दे और ऐसे अन्य कार्य करे जो केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को समय-समय पर सौंपे।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड,—

(क) पुस्तकालय का उपयोग करने वाली जनता की सेवा करने के लिए और पुस्तकालय में पाण्डुलिपियों, पुस्तकों और अन्य वस्तुओं के विद्यमान संग्रह के आधुनिक, वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण के लिए ;

(ख) भारत में मुद्रित सभी महत्वपूर्ण सामग्री के, भारत से सम्बन्धित सभी मुद्रित सामग्री के चाहे वह किसी भी स्थान में प्रकाशित हुई हो और राष्ट्रीय महत्व की पाण्डुलिपियों के अर्जन और संरक्षण के लिए ;

(ग) पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए;

(घ) पुस्तक सूचियों का प्रकाशन करने के लिए और संस्थाओं और विद्वानों को पुस्तक सूची के प्रकाशन में सहायता देने के लिए ;

(ङ) इतिहास, साहित्य, विज्ञान और इसी प्रकार के अन्य विषयों से सम्बन्धित परिचर्चा और गोष्ठियों का आयोजन करने और उनके लिए सुविधाएं देने के लिए ;

(च) पुस्तकालय की ऐसी पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, वस्तुओं या चीजों की प्रदर्शनी करने के लिए जिनमें बोर्ड की राय में जनता की रुचि होगी ;

(छ) भारत से बाहर अन्य देशों के पुस्तकालयों और अन्य संस्थाओं से पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का विनिमय करने और इस कार्य का संवर्धन करने के लिए ;

(ज) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड या किसी अन्य संस्था के बीच करार पाए जाएं किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से प्रतियां बनाने के लिए (जिसके अन्तर्गत फोटो प्रतियां बनाना भी है), पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, वस्तुओं या चीजों के अनुरक्षण के लिए;

(झ) ऐसे अन्य सभी कार्य करने के लिए जो किसी राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका के अनुरूप हों,

वे सभी कार्यवाहियां कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

बोर्ड की शक्तियां ।

21. (1) ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, बोर्ड ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों ।

(2) ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए जाएं, बोर्ड समय-समय पर ऐसी पाण्डुलिपियां, पुस्तकें, पदार्थ या वस्तुएं जो बोर्ड की राय में पुस्तकालय में रखी जाने योग्य हैं, क्रय या अन्यथा अर्जित कर सकता है ।

अध्याय 4

वित्त, लेखे, संपरीक्षा और रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान ।

22. इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को अपने कृत्यों का दक्ष पालन करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, बोर्ड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि अनुदान या उधार के रूप में या अन्यथा देगी जो वह सरकार आवश्यक समझे ।

बोर्ड की निधि ।

23. (1) बोर्ड एक निधि रखेगा जिसमें,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त सभी धन,

(ख) इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत सभी फीसें और अन्य प्रभार,

(ग) बोर्ड द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत, अभिदाय, चन्दा या अन्तरण द्वारा प्राप्त सभी धन,

(घ) बोर्ड द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अन्य सभी धन,

जमा किए जाएंगे।

(2) बोर्ड इतनी राशियां खर्च कर सकता है जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए उचित समझता है और ऐसी राशियां निधि में से संदेय व्यय समझी जाएंगी।

(3) एक धनराशि जो उस रकम से अधिक नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में, या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य बैंक में चालू खाते में रखी जाएगी। किन्तु ऐसी राशि से अधिक धन भारतीय रिजर्व बैंक में या भारतीय रिजर्व बैंक के अभिकर्ताओं के पास जमा किया जाएगा या ऐसी रीति से विनिहित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे।

1934 का 2

बजट।

24 (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष ऐसी तारीख तक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उसके द्वारा अनुमोदनार्थ विनिर्दिष्ट प्ररूप में उसे बजट प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राक्कलित आय और व्यय दर्शित होंगें और वे राशियां दर्शित होंगी जो उस वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित होंगी।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त कोई राशियां किसी वित्तीय वर्ष में पूर्णत: या भागत: बिना खर्च की हुई रहती हैं तो बिना खर्च की हुई राशियां आगामी वित्तीय वर्ष में अग्रणीत की जा सकती हैं और उस वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के अवधारण में हिसाब में ली जा सकती हैं।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से कोई राशि खर्च नहीं की जाएगी जब तक व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बजट की व्यवस्था के अन्तर्गत न आता हो।

(4) बोर्ड ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो केन्दीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, व्यय के एक शीर्ष से दूसरे को या एक प्रयोजन के लिए की गई व्यवस्था से किसी अन्य प्रयोजन को पुनर्विनियोजन की मंजूरी दे सकता है।

लेखे और संपरीक्षा।

25. (1) बोर्ड, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और तुलनपत्र सहित लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, और यह ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार होगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके जारी करे।

(2) बोर्ड के लेखे प्रति वर्ष भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक और बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में होते हैं, और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, सम्बन्धित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागजों को पेश करने की मांग करने का और बोर्ड के कार्यालय और पुस्तकालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रकमहालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित बोर्ड के लेखे उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट उसके साथ बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

विवरणियां और रिपोर्ट ।

26. (1) बोर्ड केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार निदेश करे, ऐसी विवरणियां, विवरण और विशिष्टियां देगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड प्रत्यक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, पूर्वतन वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के क्रियाकलापों का सही और पूरा वृत्त देते हुए और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने के लिए सम्भावित क्रियाकलापों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और केन्द्रीय सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

* * *

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन ।

27. बोर्ड, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि उसके द्वारा प्रयोग या निर्वहन की जाने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों या कर्तव्यों का ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उस आदेश में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी सदस्य, किसी अधिकारी या बोर्ड के अन्य कर्मचारी द्वारा भी प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा ।

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।

28. बोर्ड के सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत पुस्तकालय का निदेशक भी है) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते हुए या ऐसा करने के तात्पर्य से कार्य करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे । 25 1860 का 45

इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

29. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के (जिसके अन्तर्गत पुस्तकालय का निदेशक भी है) विरुद्ध नहीं होगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

30. (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकती है :

परन्तु बोर्ड की स्थापना के पश्चात् ऐसा कोई नियम बोर्ड से परामर्श किए बिना नहीं बनाया जाएगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात्:—

* * *

(क) किसी सदस्य को (जिसके अन्तर्गत धारा 11 के अधीन नियुक्त कार्यपरिषद् का सदस्य भी है) और धारा 12 के अधीन बोर्ड से सहयुक्त किसी सदस्य को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते;

* * *

(ख) धारा 15 के अधीन पुस्तकालय के निदेशक के पद के लिए नियुक्ति की रीति, और वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें और निबन्धन,

(ग) वे शर्तें जिन्हें ध्यान में रखते हुए और वह ढंग जिससे बोर्ड या उसकी ओर से संविदा की जा सकती है,

(घ) कोई भी अन्य विषय जो विहित किए जाने हैं या विहित किए जाएं ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक ठीक बाद के सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त बाद के सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति ।

31. (1) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम अपने को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन में समर्थ करने के लिए बना सकता है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता कर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं,

(क) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अधीन रहते हुए पुस्तकालय में पाण्डुलिपियों और पुस्तकों का उपयोग किया जा सकेगा,

(ख) वह रीति जिससे और वे प्रयोजन जिनके लिए कुछ व्यक्ति सहयुक्त किए जा सकेंगे,

(ग) बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य करने के बारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और किसी बैठक में कार्य करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति,

(घ) बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त रखना और उसकी प्रतियों को केन्द्रीय सरकार को भेजना,

(ङ) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें,

(च) वह व्यक्ति जिसके द्वारा और वह रीति जिससे बोर्ड की ओर से संदाय, जमा और विनिधान किए जा सकेंगे

(छ) वह अधिकतम रकम जो चालू खाते में रखी जा सकेगी,

(ज) रजिस्टरों और लेखाओं का रखना,

(झ) पुस्तकालय में पाण्डुलिपियां, पुस्तकें और अन्य पदार्थों और वस्तुओं की सूचियां और तालिकाओं का बनाया जाना,

(ञ) पुस्तकालय में पाण्डुलिपियों, पुस्तकों और अन्य पदार्थों और वस्तुओं के परिरक्षण के लिए की जाने वाली कार्यवाही,

(ट) पुस्तकालय का साधारण प्रबन्ध,

(ठ) पुस्तकालय में पाण्डुलिपियों और पुस्तकों के फोटो प्रतिलिपियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के लिए उद्ग्रहण की जाने वाली फीसें और अन्य प्रभार,

(ड) पुस्तकालय में पाठकों के आवास के कमरों के उपयोग के लिए भाटक के रूप में उद्ग्रहण किए जाने वाला प्रभार,

(ढ) कोई अन्य विषय जिसके सम्बन्ध में बोर्ड की राय में इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए उपबन्ध करना आवश्यक है ।

(3) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनियम का, जिसका उसने अनुमोदन किया है, संशोधन, परिवर्तन या विखण्डन कर सकती है और तब उस विनियम का तदनुसार प्रभार होगा किन्तु उपधारा (1) और (2) के अधीन बोर्ड की शक्तियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ।

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव स्वीकृत

"कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे सम्बंधित कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा से 30 अर्थात् :—

(1) श्री अचल सिंह
(2) श्री धर्मराव शरणप्पा अफज़लपुरकर
(3) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
(4) श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
(5) श्री आनन्द सिंह
(6) श्री पन्नालाल बारुपाल
(7) श्री सत्य चरण बेसरा
(8) श्री बीरेन एंगती
(9) श्री राज राज सिंह देव
(10) श्री के० गोपाल
(11) श्री समर गुह
(12) श्री बी० आर० कावड़े
(13) श्री ई० आर० कृष्णन
(14) श्री वाई० एस० महाजन
(15) श्री कुमार माझी
(16) श्री एच० एन० मुकर्जी
(17) श्री सरोज मुखर्जी
(18) श्री टुना उरांव
(19) श्री नारायण चन्द पाराशर
(20) श्री नटवर लाल पटेल
(21) श्री रामूभाई रावजीभाई पटेल
(22) श्री पी० एंथनी रेड्डी
(23) श्री पी० गंगा रेड्डी
(24) श्री शक्ति कुमार सरकार
(25) श्री एस० ए० शमीम
(26) श्री राजा राम शास्त्री
(27) श्री सोमचन्द सोलंकी
(28) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
(29) श्री अमरनाथ विद्यालंकार
(30) श्री डी० पी० यादव

तथा राज्य सभा से 15 सदस्य ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति मार्च, 1973 के 15 वें दिन तक अपना प्रतिवेदन सभा को पेश करेगी ;

कि अन्य मामलों में, इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

परिशिष्ट दो

(देखिय प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में प्रस्ताव स्वीकृत

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन के लिए और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक से सम्बंधित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, तथा यह संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित 15 सदस्य उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नाम-निर्देशित किये जाएं:—

1. श्री श्यामधर मिश्र
2. श्री रत्तन लाल जैन
3. श्री सनत कुमार राहा
4. श्री प्रमथ नाथ बिसि
5. श्री नीरेन घोष
6. श्री पाटिल पुट्टप्पा
7. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
8. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
9. श्री महाबीर दास
10. श्री ए० के० रेफाय
11. श्री एन० जी० गोरे
12. श्रीमती मरगतम चन्द्रशेखर
13. प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान
14. डा० वी० बी० सिंह
15. प्रोफेसर एस० नूरुल हसन

परिशिष्ट तीन

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 8)

एसोसिएशनों, संगठनों, आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए

1. श्री कंकन घोष, कलकत्ता।
2. प्रोफेसर नन्दिनी सेन, प्राध्यापिका (इतिहास), मुरलीधर कन्या महाविद्यालय, पी 411/14, गारीहाट रोड, कलकत्ता–29
3. प्रोफेसर दीपिका बसु, इतिहास की प्राध्यापिका, मुरलीधर कन्या महाविद्यालय, कलकत्ता।
4. प्रोफेसर नरहरि कविराज, इतिहास विभाग के अध्यक्ष, मुरलीधर कन्या महाविद्यालय, पी 411/14, गारीहाट रोड, बालीगंज, कलकत्ता–29
5. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत।
6. श्री चिन मोहन साहनवीस, 19, डा० शरत बनर्जी रोड, कलकत्ता–29.
7. श्री हाकम सिंह, पुस्तकाध्यक्ष, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।
8. श्री दुर्लभ चन्द्र भट्टाचार्य, शोध छात्र, तुलनात्मक भाषा विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
9. कर्नाटक विश्वविद्यालय पुस्तकालय, छोटा महाबलेश्वर, धारवाड़–3.
10. श्री एस० वी० देसिकाचार, विशेष अधिकारी, मैसूर राज्य अभिलेखागार, शिक्षा और युवा सेवा विभाग, विधान सौध; बंगलौर–1.
11. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद–14.
12. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, जम्मू–तवी।
13. पुस्तकाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।
14. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली–16.
15. बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल।
16. एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, टाउन हाल, बम्बई–1.
17. भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन (पंजीकृत), द्वारा दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी, श्यामा प्रसाद मुकर्जी मार्ग, दिल्ली–6.
18. बंगाल पुस्तकालय एसोसिएशन, पी–134, सी० आई० टी०, स्कीम एल दो, कलकत्ता–14.
19. सर्वश्री महादेव साहा और सैयद शाहदुल्ला, 49, लोक प्लेस, कलकत्ता–29.
20. विश्व-भारती, शान्ति निकेतन, पश्चिम बंगाल।
21. मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
22. राष्ट्रीय पुस्तकालय कर्मचारी संघ, बेल्वेडियर, कलकत्ता–27.
23. श्री बी० के० राय चौधरी, 116, विपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता–12.
24. पुस्तकाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुविज्ञान महाविद्यालय, अंसारी नगर, नई दिल्ली–16.
25. डा० मुमताज अहमद, उर्दू प्राध्यापक, पटना कालेज, पटना।
26. श्री अनिल चटर्जी, सदस्य, विभागीय परिषद, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (कर्मचारियों की ओर से), 11, तिनकौरी घोष लेन, कालीघाट, कलकत्ता–26.
27. श्री पी० राय, 42/2, बेलिटियस फर्स्ट बाई लेन, हावड़ा।
28. श्री निताई घोष, सदस्य, राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदात्री समिति), 14, न्यू कैंट रोड, देहरादून।

29. बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई।
30. राजपत्रित अधिकारी संघ, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, बेल्वेडियर, कलकत्ता–27.
31. गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, मोतीलाल नेहरू पार्क, इलाहाबाद–2.
32. श्री मनोज कुमार मित्र, 92/2, डा० गिरीन्द्र शेखर बसु रोड, कलकत्ता।
33. निदेशक, भारतीय जल सर्वेक्षण विभाग, 34, चित्तरंजन ऐवेन्यु, कलकत्ता–12.
34. श्री नानी गोपाल चौधरी, 4/2ए, नीलकमल चक्रवर्ती लेन, हावड़ा।
35. श्री एम० एच० रज़वी, विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, मौलाना आज़ाद पुस्तकालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ।
36. निदेशक, केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी।
37. डा० डी० एस० रेड्डी, प्रधान, बोर्ड आफ गवर्नरस्, लोक उद्यम संस्थान तथा सभापति, बोर्ड आफ गवर्नरस्, अंग्रेजी और विदेशी भाषा केन्द्रीय संस्थान, प्रशान्ति, जामिया–उस्मानिया डाकघर, हैदराबाद–7.
38. दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यावसायिक कर्मचारी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, दिल्ली।
39. भारतीय विशेष पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र संघ, अलबर्ट हाल (दूसरी मंजिल), 15, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता–12.
40. विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय पुस्तकालय, चण्डीगढ़–14.
41. डा० जे० एस० पटेल, अवकाश-प्राप्त कृषि आयुक्त तथा भूतपूर्व उपकुलपति, गडपुरा, गोत्री रोड, बड़ौदा–7.
42. श्री जसोबंता कार।
43. डा० वेणी शंकर झा, 868 राइट टाउन झा मार्ग, जबलपुर–2.
44. श्री के० डी० भट्टाचार्य, भतपूर्व विभागाध्यक्ष, दर्शन विभाग, विश्व-भारती, शान्ति निकेतन, राजेश्वरी भवन, 3, गुरुधाम कालोनी, दुर्गाकुंड रोड, वाराणसी–5.
45. प्रोफेसर ओ० पी० भटनागर, अवैतनिक सचिव, पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद।
46. राष्ट्रीय पुस्तकालय राजपत्रित अधिकारी संघ, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता–27.
47. प्रोफेसर एन० के० सिन्हा, इतिहास के प्रोफेसर, अवकाश-प्राप्त, 85 ए, एक डालिया रोड, कलकत्ता–19.
48. भारतीय चिकित्सा संघ, भारतीय चिकित्सा संघ सदन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली।
49. श्री टी० एस० अविनाशीलिंगम, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट।
50. डा० एस० एम० सरकार, बोस संस्थान, 93/1, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता–9.
51. वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, पुष्प कुंज, सिविल अस्पताल रोड, रुड़की।
52. कुमारी शान्तिप्रिय मंडल, 12/ए, राधानाथ बोस लेन, कलकत्ता–6.
53. सपना बक्सी, राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रयोक्ता, पी–324, सी० आई० टी० रोड, स्कीम–आठ, कलकत्ता–54.
54. श्री के० ए० नकवी, दिल्ली स्कूल आफ इकोनौमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–7.
55. श्री जय कृष्ण, उपकुलपति, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।
56. डा० पी० डी० शुक्ल, सभापति, 10+2+3 शैक्षणिक संरचना राष्ट्रीय समिति, ए 14/15, वसन्त बिहार, दिल्ली।
57. प्रिंसिपल एस० आर० तावड़े, शिवाजी विश्वविद्यालय, रामजी सदन, शाहपुरी, कोल्हापुर।
58. डा० जे० डब्लू० ऐरन "सरोज", दौलतनगर, सतारा–1.
59. डा० एस० के० हवानुर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, होमी भाभा रोड, बम्बई–5.
60. डा० वाई० नाथुदम्मा, सचिव, भारत सरकार तथा महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, रफी मार्ग, नई दिल्ली–1.
61. महासचिव, भारतीय महाबोधि समिति, 4 ए, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता–12.

62. श्री शंकर रंजन राय चौधरी, 6, कालीकिंकर रोड, कलकत्ता–8.
63. श्री सूरज भान, उप-कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।
64. प्रोफेसर एस० एन० मुकर्जी, 1521, राइट टाउन, जबलपुर।
65. श्री रवीन्द्र नाथ गांगुली, शोध छात्र, 13 ई, डाक्टर एन० डी० भट्टाचार्य रोड, श्रीरामपुर, हुगली।
66. श्री पी० सी० मुकर्जी, उप-कुलपति, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राममोहनपुर, जिला दार्जिलिंग।
67. डा० एच० के० डे चौधुरी, धर्मतत्त्वाचार्य, 103 ए, एकडालिया रोड़, कलकत्ता–19.
68. भारतीय प्रायोगिक चिकित्सा संस्थान, 4, राजा सुबोध मलिक रोड, जादवपुर, कलकत्ता–32.
69. पुस्तकाध्यक्ष, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, 77, सेक्टर–8ए, चंडीगढ़।
70. श्री दलीप चक्रवर्ती, महासचिव, पश्चिम बंगाल महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, 89, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता–7.
71. प्रोफेसर के० सी० घोषाल, रुचिर, 50, सन्तोषपुर ऐवेन्यू, कलकत्ता–32.
72. श्री सैमुयल मथाई, सुरमा, पोंगुमद, त्रिवेन्द्रम–11, केरल।
73. श्री एस० के० चटर्जी' रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, विश्वविद्यालय कला महाविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
74. डा० एस० बी० चौधरी, भुतपूर्व उप-कुलपति, बर्दवान विश्वविद्यालय 1/10 रूपचन्द मुखर्जी लेन, कलकत्ता–25.
75 श्री टी० एन० पाठक वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष, क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला जोरहाट–6.
76. प्रोफेसर ए० के० लाहिरी, अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय कला और वाणिज्य महाविद्यालय, कलकत्ता.
77. संस्कृत प्रभाग शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली.
78. उप-कुलपति, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, कविश्री नन्दलाल मार्ग, धर्मपुर हाउस, राजकोट–1.
79. श्री एन० एन० गिडवानी, निदेशक, राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर।
80. श्री मिहिर कुमार रे, 11ए/1, नार्थ रोड, जादवपुर, कलकत्ता–700032.
81. श्री सुशोभन सरकार, इतिहास के अवकाश -प्राप्त प्रोफेसर, कलकत्ता प्रेसीडेंसी कालेज और जादवपुर विश्वविद्यालय सभापति, भारतीय इतिहास कांग्रेस, 239ए, नेताजी सुभाष चन्द्र रोड, कलकत्ता–47.
82. श्री निखिल चन्द्र पाल, 11/9/1, पर्ण श्री पैली बेहाला, कलकत्ता–60, पश्चिम बंगाल.
83. श्री एस० आर० भारतीय, निदेशक, चिन्तामणि स्मारक पुस्तकालय, सेवा समिति भवन, सेवा समिति मार्ग, इलाहाबाद–3.
84. भारतीय भाषाई समिति, दकन कालेज, पूना–6.
85. श्री विष्णु डे, 1/10, प्रिंस गुलाम मुहम्मद मार्ग, कलकत्ता–26.
86. श्री मृणाल कान्ति दास गुप्त, 104, बनमाली नास्कर रोड, बैहाला, कलकत्ता–60.
87. श्री शिशिर कुमार दास गुप्त, 141/बसुनगर, डाकघर,मध्यमग्राम, 24 परगना, पश्चिम बंगाल.
88. श्री अमल कुमार सरकार, जन्तु विज्ञान के प्रोफेसर, नरसिम्हा दत्त कालेज, हावड़ा.
89. श्री शिशिर कुमार दास, 36बी, तेलीपाड़ा रोड, कलकत्ता–25.
90. डॉ० पी० के० केल्कर, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पोवाई, बम्बई.
91. श्री रेवती मोहन चटर्जी, जन्तु विज्ञान के प्राध्यापक, नरसिंहा दत्त कालेज, हावड़ा.
92. डॉ० देवेन्द्र चन्द्र दासगुप्त, 8/35 फर्न रोड, तीसरी मंजिल, बालीगंज, कलकत्ता–19.
93. श्री सत्यज्योति घोषाल, शोधछात्र, 118, राय बहादुर रोड, कलकत्ता.
94. श्री एच० सी० ढोलकिया, डीन, विधि संकाय, एम० एस० युनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा–2.
95. श्री शिवदास चौधरी पुस्तकाध्यक्ष, एशियाटिक सोसायटी, पोस्ट बाक्स संख्या 11215, कलकत्ता–14.
96. इंदौर संभाग पुस्तकालय संघ, 11, खारीपुड़ा रोड, इंदौर.
97. श्रीहेमेन्द्र नाथ घोष, प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, नरसिंहदत्त कालेज हावड़ा.

98. श्री बी० के० वाजपेयी रजिस्ट्रार उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय राजा-रामोहनपुर (जिला दार्जलिंग).
99. प्रोफेसर भावतोष दत्त, 1/1-के जोधपुर पार्क, कलकत्ता ।
100. श्रीमती शीला बसु (पुरकायस्थ) 34ए, लेक व्यु रोड, कलकत्ता–29 ।
101. डा० एच० पी० चटर्जी, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
102. श्री गौरंग गोपाल सेनगुप्त, 4, पंडितिया टेरेस, कलकत्ता–29 ।
103. श्री जी० जी० स्वैल उपाध्यक्ष, लोकसभा ।
104. श्री ए० आर० बेदर, निदेशक, खुदा बक्स ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना ।
105. श्री सी० आर० बनर्जी, द्वारा सेंट्रल रिफरेंस लाइब्रेरी, बेलवेदरे, कलकत्ता ।
106. प्रोफेसर राम चन्द्र पाल, दर्शनशास्त्र के विभागाध्यक्ष तथा रीडर, रबीन्द्र भारती, विश्वविद्यालय ।
107. श्री विश्वनाथ बोस, 12, वृन्दावन बासक स्ट्रीट, कलकत्ता–5.
108. श्री करुण कृष्ण ब्रह्मचारी, श्री चैतन्य अनुसंधान संस्थान, 70बी, रासबिहारी एवेन्यु, कलकत्ता–26 ।
109. श्री दीपक चौधरी, 18, नंलमणि दत्त लेन, कलकत्ता ।
110. श्री जे० सी० मेहता, निदेशक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सेन्ट्रल लाइब्रेरी, श्याम प्रसाद मुकर्जी मार्ग, दिल्ली ।
111. प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी, 'सुधर्म', 16, हिन्दुस्तान पार्क, कलकत्ता–29 ।
112. प्रोफेसर एन० के० बसु, थाना रोड, डाकघर-करीमगंज, कच्छार, आसाम ।
113. प्रोफेसर प्रदीप कुमार बनर्जी, बी/3, सी० आई० टी० बिल्डिंग्स, 30 मदन चटर्जी लेन, कलकत्ता ।
114. प्रोफेसर शंकर दत्त, 96, इब्राहीमपुर रोड, कलकत्ता ।
115. डा० दीपक कुमार बसु, 9/1 फर्न रोड, कलकत्ता ।
116. डा० नन्द दुलाल बनर्जी, 28/32, धाकुरिया स्टेशन रोड, कलकत्ता ।
117. डा० अजित कुमार पाल, वी-6 माणिकटोला हाउसिंग इस्टेट, वी० आई० पी० रोड, कलकत्ता ।
118. प्रोफेसर शंकर प्रसाद चौधरी, 91, देव लेन, कलकत्ता ।
119. प्रोफेसर अशोक कुमार घोष, 42/1, सी० रामनाथ कविराज लेन, कलकत्ता ।
120. प्रोफेसर (श्रीमती) नन्दिता बंधोपाध्याय, 110/5, सेलीमपुर रोड, कलकत्ता ।
121. श्री श्यामल कान्ति, सान्याल, 26डी, देबेन्द्र मलिक स्ट्रीट, कलकत्ता ।
122. प्रोफेसर संतोष कुमार चौधरी, 114/4/1 हाजरा रोड, कलकत्ता ।
123. प्रोफेसर मोहम्मद खलील, टीचर्स हॉस्टल, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
124. श्री शैलेन्द्रनाथ हाल्दार, डाकघर एवं ग्राम : दक्षिण बरासाट, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल ।
125. प्रोफेसर एस० बशीरुद्दीन, 33, न्याय मार्ग, इलाहाबाद ।
126. प्रोफेसर शोबना मुखर्जी, 17/1, बॉड स्ट्रीट, कलकत्ता–19 ।
127. प्रोफेसर एस० एन० सेनगुप्त, प्राध्यापक, मानवविज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 35, बालीगंज, सर्कुलर रोड, कलकत्ता–19 ।
128. डॉ० सविता रंजन सरकार, अनुसंधान सहायक, मानव विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 35, बालीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता–19 ।
129. श्री आर० एन० पॉल, सतिन सेन नगर, नया बैरकपुर जिला–24 परगना ।
130. डॉ० एस० एन० प्रसाद, निदेशक, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली ।
131. श्री आर० सी० मजुमदार 4 बिपिन पाल रोड डाकघर–कालीघाट कलकत्ता–26 ।
132. श्री राधारमण डे, 49/बी, लैन्सडाउन टेरेस, कलकत्ता–26 ।
133. श्री मोहम्मद फिरोज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (जुनियर) रिसर्च फेलो अरबी एवं पारसी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1/1 मिस्त्री पाड़ा लेन, कलकत्ता ।
134. केरल ग्रंथशाला संगम पोस्ट बॉक्स संख्या 279, त्रिवेन्द्रम–1 ।

135. श्री रघुनाथ भट्टाचार्य, 8ए, नफोर चौ० दास रोड, बेहला, कलकत्ता–34 ।

136. श्री विवेकानन्द मुखोपाध्याय, सम्पादक, दैनिक बसुमती, 166, विपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता–12 ।

137. प्रोफेसर राम सुरेश त्रिपाठी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।

138. श्री ए० दास गुप्त अध्यक्ष, दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड, श्याम प्रसाद मुकर्जी मार्ग, दिल्ली–6.

139. प्रोफेसर ए० एम० के० मसुमी, 33/1 सी, विनयपुकेर रोड, कलकत्ता–14 ।

140. प्रोफेसर प्रणय के० कुन्दु, बंगला विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग ।

141. प्रोफेसर एम० एम० चक्रवर्ती, युनिवर्सिटी कालेजज ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नालौजी, व्यावहारिक रसायन शास्त्र विभाग, 92, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता–9 ।

142. श्री शम्भु नाथ दास, महासचिव, हिमालयन फेडेरेशन, 63,ई महानिर्वाण रोड, कलकत्ता–29 ।

143. श्री जे० सेन गुप्त, कलकत्ता.

144. श्री गजेन्द्र कुमार मित्र, सम्पादक, कथा साहित्य, 10, श्याम चरण डे स्ट्रीट, कलकत्ता–12.

145. डॉ० बी० सी० तेलंग, हिन्दी विभाग, मराठवाड़, विश्वविद्यालय औरंगाबाद ।

146. श्री अशोक सेन, 63 सी, महानिर्वाण रोड, कलकत्ता–29 ।

147. श्री शंकर लाल मुकर्जी, 7, पैकपाड़ारो, कलकत्ता–37 ।

148. श्री विजय कुमार चक्रवर्ती, नरायणी कुटीर, (फलैट संख्या 2) पी 41, बड़ौदा एवेन्यू, डाकघर–गरिया, 24 परगना ।

149. डा० एम० एस० स्वामीनाथन, भारत सरकार के महानिदेशक तथा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली ।

150. श्री अमलेन्दु किशोर चक्रवर्ती, 2 रमाकान्त मिस्त्री लेन, कलकत्ता–12 ।

151. श्री शंकु महाराज, 52 ए, बाबू बागान, कलकत्ता–31 ।

152. श्री लल्लन जी गोपाल, निदेशक, सेंटर आफ एडवान्सड स्टडी इन फिलोसफी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–5 ।

153. त्रिपुरा लाइब्रेरी एसोसिएशन, अगरतला, त्रिपुरा ।

154. प्रोफेसर रवीन्द्रनाथ भट्टाचार्य, गणित विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, मातृ मंदिर, बरुईपुर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल ।

155. श्री समीर रक्षित, वास्तुशिलप विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, 2, सेन्ट्रल पार्क (ईस्ट), कलकत्ता ।

156. श्री आशुतोष दास, 23/4 ए, क्रीकलेन, डाकघर–इन्टाली, कलकत्ता–14 ।

157. गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड के पर्यवेक्षी कर्मचारी, कलकत्ता–24 ।

158. श्री आर० सी गुप्त, पुस्तकाध्यक्ष, संरचनात्मक इंजीनियरी अनुंधान केन्द्र, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुंधान परिषद्, रुड़की ।

159. श्री सौमेन्द्रनाथ टैगोर, 4, एलगिन रोड, कलकत्ता–700020 ।

160. श्री विनय भूषण भट्टाचार्य, 42, मिशन पाड़ा (ईस्ट), डाकघर रहाड़ा, ज़िला 24 परगना, पश्चिम बंगाल ।

161. श्री विजय नाथ मुकर्जी, भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 8, अनन्तराम मुकर्जी लेन, हावड़ा –1

162. डा० आर० एल० मित्तल, पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक, पुस्तकालय विज्ञान विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय, गौहाटी–14 ।

163. श्री रत्न मलिक, जूनियर रिसर्च फेलो, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, मानव विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।

164. श्रीसंतोष कुमार पोद्दार, इंजीनियरी अर्थशास्त्र के प्राध्यापक, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संकाय, जादवपुर विश्-विद्यालय, 20, लेक ईस्ट सिक्सथ् रोड, संतोषपुर, कलकत्ता ।

165. डा० चिरंजब घोषाल, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग, विज्ञान संकाय, जादवपुर विश्वविद्यालय, 13/1 हाल्दर बागान लेन, कलकत्ता ।

166. श्री एम० बी० बुच, अध्यक्ष, सेंटर आफ एडवान्सड स्टडी इन एज्यूकेशन, शिक्षा तथा मनोविज्ञान संकाय, लोकमान्य तिलक रोड, बड़ौदा ।

167. प्रोफेसर ई० एस० राजगोपाल, प्रभारी पुस्तकाध्यक्ष, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर–12. ।

168. पब्लिशर्स एन्ड बुकसेलर्स एसोसिएन आफ-बंगाल, 93, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता–7 ।

169. श्री मनमथ राय, 229सी, विवेकानन्द रोड, कलकत्ता–6 ।

170. श्री एस० एम० बनर्जी, आई० ए० ए० एस० (सेवानिवृत्त), 103, सदर्न एवेन्यू, कलकत्ता–29 ।

171. डा० सीतांशु मैत्रा, अंग्रेजी के सैक्सपियर प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष, रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय ।

172. श्री आर० एन० सम्पत, क्यूरेटर, गवर्नमेण्ट ओरेंटियल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, त्रिपलीकेन, मद्रास ।

173. श्री अबबुद्ध राय, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, स्टेट सेन्ट्रल लाइब्रेरी, कलकत्ता–50, मिशनपाड़ा,डाकघर–रहड़ा, जिला 24 परगना ।

174. प्रोफेसर ए० सी० बनर्जी, इतिहास के विभागाध्यक्ष, जादवपुर विश्वविद्यालय ।

175. डा० बुद्धदेव भट्टाचार्यजी, सदस्य, सीनेट, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एकेडेमिक काउंसिल, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।

176. श्रीमती आशापूर्णा देवी, 17, कानूनगो पार्क, गारिया, डाकघर 24 परगना ।

177. श्री बिसु मुखोपाध्याय, लेखक एवं पत्रकार, 12 डी, राजा काली किशन लेन, कलकत्ता–5 ।

178. जी० आर० डब्ल्यू० स्टाफ रिक्रियेशन क्लब, 43/46, गार्डन रीच रोड, कलकत्ता–24 ।

179. श्री प्रीतिमय घोष दस्तीदर, 52ए, बाबू बागान, कलकत्ता–31 ।

180. श्री अवनि भूषण विश्वास, 24, महाजती नगर, बिराती, 24 परगना ।

181. निदेशक, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, 33, चितरंजन एवेन्यू (सातवीं मंजिल), कलकत्ता–12 ।

182. श्री बसुदेव बर्मन, सदस्य, एकेडेमिक कांउसिल, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा सदस्य सीनेट, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।

183. श्री प्रबोद कुमार सान्याल, 6–बालीगंज टेरेस, कलकत्ता–19 ।

184. डा० सुमेन्दु चटर्जी, फिल्म अभिनेता, कलकत्ता ।

185. श्री गुरुपद सेन गुप्त, 7/एल, बार्नफील्ड रोड, कलकत्ता–19 ।

186. श्री शरथी सरकार, द्वारा हिमालयन फेडरेशन, 63इ, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता–29 ।

187. श्री सुमथ नाथ घोष, सम्पादक, लेखक एवं प्रकाशक, 84 ए, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता–9 ।

188. श्री निशीय रंजन सरकार, 102/1, साउथ सिथे रोड, दम दम, 24 परगना ।

189. श्री एए० के० गुप्त, आई० सी० एस० (सेवानिवृत्त) पी 404/5, गाड़ीहाट रोड, कलकत्ता 29 ।

190. श्री के० राघव रेड्डी, विकास अधिकारी, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश ।

191. श्री सुकुमार सेन, 10, राजा राजकिशन स्ट्रीट, ब्लाक संख्या 2/1, सूट संख्या 33, कलकत्ता–6 ।

192. श्री बी० के० डाव, एडवोकेट, 30/1, बेनियाताला लेन, कलकत्ता–9 ।

193. प्रोफेसर निर्मल चन्द्र भट्टाचार्य, 18, अश्विनी दत्त रोड, कलकत्ता–29 ।

194. श्री शम्भू मित्र एवं तृप्ति मित्र,, बहुरूपी, 11-ए, नसीरुद्दीन रोड, कलकत्ता–17 ।

195. श्रीमती रोमा घोष दस्तीदर, 21, बाबू बागान, कलकत्ता–31.

196. श्री उज्जल कुमार मजूमदार, लेक्चरर, बंगला विभाग, विश्वविद्यालय कालेज आफ आर्टस, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 63 एफ, महा निर्वाण रोड, कलकता–29 ।

197. श्री अजित कुमार घोष, डीन, कला संकाय, रवीन्द्र भारती ।

198. श्री अजित कुमार मजूमदार, बोसपाड़ा, डाकखाना गोंडलपाड़ा, चन्द्रनगर, जिला हुगली ।

199. प्रो० बी० सी० दास, भूतपूर्व उपकुलपति, सम्बलपुर विश्वविद्यालय, चंडी रोड, कटक–8 ।

200. प्रो० (श्रीमती) ए० चटर्जी, अध्यक्ष, कलकत्ता यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन, 92, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता–9 ।

201. श्री बी० पी० भट्टाचार्य ,प्रधानाचार्य, संस्कृत कालेज, सरकारी संस्कृत कालेज, 1, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता–1.
202. श्री के० राय चौधरी, मुख्याध्यापक, काली घाट हाई स्कूल (बहुद्देशीय) 50, महिम हाल्दार स्ट्रीट, कलकत्ता–26.
203. श्री ललित कुमार, रत्नाकर भवन, शिबाला, वाराणसी–221001.
204. श्री असिम कुमार दत्त, 32/1ए, नन्दन रोड, कलकत्ता–25.
205. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी।
206. श्री के० एम० गोवी, सहायक सम्पादक, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता–27.
207. श्री इन्द्रजीत मोइत्रा, लक्चरार, बसीरहाट कालेज, कलकत्ता–28.
208. श्री प्रांजय कुमार भट्टाचार्य ,इतिहास के लेक्चरार, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता–32.
209. श्री मनोज बसु, राइटर, पी० 560, लेक रोड, इक्स्टेंसन स्कीम 47 सी० आर० टी०, कलकत्ता–29.
210. श्री एम० पी० सिन्हा, लेक्चरर, पुस्तकालय विज्ञान विभाग, जादवपुर श्वविद्यालय, कलकत्ता–32.
211. श्री पी० राय चौधरी, रीडर, पुस्तकालय विज्ञान विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता–32.
212. श्री ए० पी० सिंह, रीवा विश्वविद्यालय, रीवा।
213. आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसियेशन, विजयवाडा।
214. श्री दामोदर डे, लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, आचार्य प्रफुल्लचन्द्र कालेज, कलकत्ता।
215. श्री नारायण रंजन डे, एडवोकेट, 47, महिम हाल्दर स्ट्रीट, कलकत्ता–26.
216. कुमारी रीता रुद्र, 20 सरदार पटेल मार्ग , इलाहाबाद।
217. प्रो० डा० एम० एस० खान, सदस्य, लोक सेवा आयोग, पश्चिम बंगाल, आखिरी मंजिल, 13 बेंजली मेंशन, कलकत्ता–13.
218. टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च , होमी भाभा रोड, बम्बई–5.
219. श्री विमन बसु, पी–21–बी, ओल्ड बालीगंज रोड कलकत्ता–19.
220. श्री विमल कांति सिन्हा, 12/ए–जे० एम० एम० रोड, कलकत्ता–9.
221. प्रो० के० शिव रेड्डी, पुस्तकालय विज्ञान विभाग, कालेज आफ आर्टस, कामर्स एण्ड ला आंध्र विश्वविद्यालय वाल्टेयरज।
222. डा० उदय नारायण राय, अध्यापक हिन्दी शिक्षण योजना, क्वार्टर संख्या एसIII/4–1 न्यू डेवलपमेंक दक्षिण पूर्व रेलवे, खड़गपुर।
223. हिमालयन फेडरेशन, 24, हरीश मुखर्जी रोड, कलकत्ता–25।
224. श्री पी० एन० शास्त्री, 12 बी, देश प्राण सासमल रोड, कलकत्ता।
225. श्री ए० के० सेन, लेक्चरर, प्योर मेथेमेटिक्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
226. श्री एस० के० चटर्जी, लेक्चरर, प्योर मैथेमेटिक्स, कलकत्ता विश्विद्यालय, कलकत्ता।
227. श्री सफाकार गांगुली, लेक्चरर, प्योर मेथेमेटिक्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
228. श्री सी० दत्ता, लेक्चरार प्योर मेथेमेटिक्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
229. श्री अमिय मुखर्जी, लेक्चरार, प्योर मेथिमेटिक्स कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
230. प्रो० ए० सी० चौधरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रोफेसर एवं प्योर मेथेमेटिक्स के विभागाध्यक्ष, कलकत्ता. विश्वविद्यालय, कलकत्ता 35 बालीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता–19।
231. श्री ए० आर० बनर्जी, लेक्चरार, मानव विज्ञान, विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
232. श्री पृथ्वी नाथ शास्त्री, 12 बी० डी० एस० रोड, कलकत्ता–33।
233. डा० बेचन, सचिव भगवान पुस्तकालय, भागलपुर–2।
234. एयर वाइस-मार्शल एम० बी० नाइक, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, डाकखाना खड़कवासला, पूना–23।
235. श्री सुनील कुमार रे, पुस्तकालय-अध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, 3, काली बनर्जी लेन, कलकत्ता–6।
236. श्री आशुतोष डे, एडवोकेट 47, महिम सल्दर स्ट्रीट, कलकत्ता–26।
237. प्रो० निमाई साधन बोस, इतिहास बिभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

238. प्रो० अमिताभ मुखर्जी, इतिहास विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

239. श्री मनोरंजन बसु, 50 बी, हाल्दर पाड़ा रोड, कलकत्ता–26।

240. प्रो० पी० एन० माथुर, उप-प्रधान, (शिक्षा), बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान।

241. प्रो० डा० रमेश चन्द्र घोष, 611, शरत चटर्जी, वेन्यू, कलकत्ता–29।

242. श्री सुभाष मुखोपाध्याय, राइटर, 5 बी, डा० शरत बनर्जी रोड, कलकत्ता–29।

243. राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिशन, लाइब्रेरी ला विभाग, सचिवालय, जयपुर।

244. श्री नारायण सान्याल, लेखक, 31/1, चक्रबेरिया रोड, (उत्तर) कलकत्ता।

245. डा० बी० एम० भाटिया, प्रधानाचार्य, हिन्दू कालेज, दिल्ली।

246. श्री सत्यप्रिय राय, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष, आल बंगाल टीचर्स एसोसियेशन, कलकत्ता–12

247. प्रो० सरगमोहन मित्रा, 238, मयनिकटोला मेन रोड, कलकत्ता–54

248. श्री दिलीप मजूमदार, 118–ए, एम० एम० बी० स्ट्रीट, कलकत्ता–12।

249. श्री एस० आर० प्रसाद, रजिस्ट्रार, पटना विश्वविद्यालय, पटना–5।

250. अब्दुल कलाम आजाद ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद–4, आंध्र प्रदेश।

251. श्री कल्याण के० गांगुली, विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, 51/2, हाजरा रोड, कलकत्ता–19

252. श्रीमती दिपाली नन्दी द्वारा श्री डी० पी० नन्दी, ब्लाक–1 फ्लैट 3, 131, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता–40।

253. रजिस्ट्रार, शिवाजी विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यानगर, कोल्हापुर।

254. सचिव, शिक्षा (के 1) विभाग, फोर्ट स्ट्रीट जार्ज, मद्रास–9।

255. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।

256. शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।

257. मुख्य कायकारी पार्षद, दिल्ली।

258. श्री टी० एन० बनर्जी, पटना।

259. भारत के महा सर्वेक्षक, देहरादून।

260. बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, कलकत्ता।

261. बिहार शिक्षा नागरिक परिषद, पटना।

262. कुमार विद्युत के० खांडवाला, विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, एस० एन० ओ० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई।

263. श्री वी० बी० बलसारा, पुस्तकालयाध्यक्ष दक्कन कालेज स्नाकोत्तर एवं अनुसंधान संस्थान, पूना।

264. श्री के० एस० हिंगवी, पुस्तकालयाध्यक्ष, पूना विश्वविद्यालय, पूना।

265. श्री एस० जी० महाजन, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, पूना विश्वविद्यालय, पूना।

266. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती, संसद सदस्य।

267. श्री पी० एन० बिसी, संसद सदस्य।

268. श्री शक्ति कुमार सरकार, संसद् सदस्य।

269. श्री सनत कुमार राहा, संसद सदस्य।

270. श्री सरोज मुखर्जी, संसद सदस्य।

परिशिष्ट चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा – 9)

उन संस्थाओं, संगठनों इत्यादि की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति क समक्ष साक्ष्य दिया

क्रमांक	संस्था/व्यक्ति का नाम	तारीख जिस दिन साक्ष्य लिया गया
1.	राष्ट्रीय पुस्तकालय कर्मचारी संस्था, कलकत्ता	6–6–1973
	प्रवक्ता	
	1. श्री अनिल चटर्जी	
	2. श्री अशीष नियोगी	
	3. श्री अजीत घोष	
	4. श्री व्योमकेश मैनी	
2.	श्री दुर्लभ चन्द्र भट्टाचार्य, अनुसन्धान छात्र, तुलनात्मक भाषा विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्व-विद्यालय, कलकत्ता ।	6–6–1973
3.	केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, राजपत्रित अधिकारी संघ, कलकत्ता	6–6–1973
	प्रवक्ता	
	1. श्री एस० बी० घोष, प्रधान	
	2. श्री पी० एन० वैंकटचारी, सचिव	
	3. श्री के० एम० गोवी, सदस्य	
	4. श्री एन० बी० मराठे, सदस्य	
4.	श्री महादेव साहा और श्री सैयद शाहदुल्ला, कलकत्ता	6–6–1973
5.	श्री एच० के० डे० चौधरी, कलकत्ता	6–6–1973
6.	विभागीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार	6–6–1973.
	प्रवक्ता	
	1. श्री अनिल चटर्जी, सदस्य	
	2. श्री शीतल अधिकारी, सदस्य	
	3. श्री बी० सी० डे, सदस्य	
7.	श्री शिशिर कुमार दास, लेक्चरर अंग्रेजी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	6–6–1973
8.	श्री सी० आर० बनर्जी द्वारा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता	6–6–1973
9.	श्री गोपाल हालदर, कलकत्ता	6–6–1973
10.	रवीन्द्रनाथ गांगुली, शोधछात्र, हुगली	6–6–1973
11.	श्री अशोक कुमार घोष, रीडर, धातु विज्ञान इंजीनियरी विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	6–6–1973
12.	श्री राम प्रसाद मुकर्जी, कलकत्ता	7–6–1973
13.	राष्ट्रीय पुस्तकालय राजपत्रित अधिकारी संघ, कलकत्ता	7–6–1973

क्रमांक	संस्था/व्यक्ति का नाम	तारीख जिस को साक्ष्य लिया गया
	प्रवक्ता	
	1. श्री एम० एन० नागराज	
	2. श्रीमती मीरा पाकरासी	
	3. श्री जी० एल० रे	
	4. श्री एस० बालासुब्रह्मण्यन्	
14.	बंगाल लाइब्रेरी एसोसियेशन, कलकत्ता	7–6–1973 तथा 8–6–1973
	प्रवक्ता	
	1. श्री बी० पी० मुकर्जी	
	2. श्री पी० राय चौधरी	
	3. श्री एस० बनर्जी	
	4. श्री बी० बनर्जी	
15.	श्री नीहाररंजन रे, कलकत्ता	7–6–1973
16.	श्री करुण कृष्ण ब्रह्मचारी, कलकत्ता	7–6–1963
17.	श्री गजेन्द्र कुमार मित्रा, सम्पादक, कथा साहित्य, कलकत्ता	7–6–1973
18.	श्री अमलेन्दु किशोर चक्रवर्ती, कलकत्ता	7–6–1973
19.	श्री सोंक महाराज, कलकत्ता	7–6–1973
20.	श्री गुरपद सेन गुप्ता, कलकत्ता	7–6–1973
21.	इण्डियन एसोसियेशन आफ स्पेशल लाइब्रेरीज इन्फार्मेशन सेन्टर, कलकत्ता	8–6–1973
	प्रवक्ता	
	1. डा० बी० मुकर्जी	
	2. श्री पी० बी० राय	
	3. श्री सी० बी० सुब्बाराव	
	4. श्री सोरेन गांगुली	
22.	श्री बी० के० डा०, एडवोकेट, कलकत्ता	8–6–1973
23.	श्री विमन बसु, भारतीय छात्र संघ, कलकत्ता	8–6–1973
24.	श्री एन० के० सिन्हा, प्रोफेसर इतिहास (सेवानिवृत्त) कलकत्ता	8–6–1973
25.	श्री एस० के० गुप्ता, आई सी एस (सेवानिवृत्त) कलकत्ता	8–6–1973
26.	श्री चिन्मोहन सेहानवीस, कलकत्ता	8–6–1973
27.	श्री नरहरि कविराज, कलकत्ता	8–6–1973
28.	श्री निरमलय बागची, कलकत्ता	8–6–1973
29.	श्री सत्यप्रिय राय, अध्यक्ष अखिल बंगाल अध्यापक संघ, कलकत्ता	8–6–1973
30.	प्रो० ज्योति भट्टाचार्जी, कलकत्ता	8–6–1973
31.	डा० एस० एन० प्रसाद, निदेशक, अभिलेखागार, भारत सरकार, जनपथ, नई दिल्ली	16–7–1973
32.	इण्डियन लाइब्रेरी एसोसियेशन, दिल्ली	16–7–1973

क्रमांक	संस्था/व्यक्ति का नाम	तारीख जिस को साक्ष्य लिया गया
	प्रबक्ता	
1.	श्री बी० एल० भारद्वाज	
2.	श्री गुरनाम सिंह	
3.	श्री ओ० पी० त्रिखा	
33.	श्री हाकम सिंह, पुस्तकाध्यक्ष पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	16-7-1973
34.	श्री साधन मुखर्जी, द्वारा न्यूएज प्रिंटिंग प्रैस, नई दिल्ली	17-7-1973
35.	श्री एस० आर० भारत्य प्रबन्ध सचिव एवम् निदेशक, चिन्तामणि स्मारक पुस्तकालय, इलाहाबाद-3	17-7-1973
36.	श्री ज० सी० मेहता, निदेशक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली	18-7-1973
37.	श्री अशोक चटर्जी, सदस्य, दिल्ली महानगर परिषद्, दिल्ली	18-7-1973
38.	डा० ए० यू० शेख, सचिव, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई	26-9-1973
39.	एशियाटिक सोसायटी आफ बम्बई, टाउन हाल, बम्बई	26-9-1973
	प्रबक्ता	
1.	श्री अजित कुमार बनर्जी	
2.	श्री एस० एम० जोशी	
40.	श्री एस० के० हवानूर, पुस्तकाध्यक्ष, टाटा आधार भूत अनुसंधान संस्थान, बम्बई	26-9-1973
41.	श्री एम० बी० बुच, अध्यक्ष सेन्टर आफ एडवान्स स्टडी इन एजूकेशन, बड़ौदा	26-9-1973
42.	श्री टी० डी० वाकनीस, भूतपूर्व अभिरक्षक पुस्तकाध्यक्ष, महाराष्ट्र, बम्बई	26-9-1973
43.	श्रीमती हंसाबन मेहता, एडवोकेट, बम्बई	26-9-1973
44.	डा० के० पी० केलकर, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई	27-9-1973
45.	एयर वाइस मार्शल, एम० बी० नायक, कमान्डेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पूना	27-9-1973
46.	श्री के० डी० पुराणिक पुस्तकालयों के निदेशक महाराष्ट्र सरकार, बम्बई	27-9-1973
47.	श्री बी० बी० भट्ट महाराष्ट्र स्टेट लाइब्रेरी, एसोसियेशन, बम्बई	27-9-1973
48.	प्रो० (कु०) ए० दस्तूर, नागरिक शास्त्र तथा राजनीति विज्ञान विभाग, विश्वविद्यालय, बम्बई	27-9-1973

परिशिष्ट पांच

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों की कार्यवाही का सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 18 जनवरी 1973 को 11.00 बजे से 11.50 बजे तक हुई।

उपस्थिति

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर
4. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
5. श्री के० गोपाल
6. श्री समर गुहा
7. श्री वी० आर० कावडे
8. श्री सरोज मुकर्जी
9. श्री टुना उरांव
10. श्री नारायण चन्द पाराशर
11. श्री नटवर लाल पटेल
12. श्री एस० ए० शमीम
13. श्री सोमचन्द सोलंकी
14. श्री डी० पी० यादव

राज्य-सभा

15. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
16. श्री महावीर दास
17. श्री नीरेन घोष
18. प्रो० एस० नुरूल हसन
19. श्री रतन लाल जैन
20. प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान
21. श्री पाटिल पुटप्पा
22. डा० बी० बी० सिंह

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता।**
2. श्री आर० एन० सिंहल—**सहायक विधायी परामर्शदाता।**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (सांस्कृतिक विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ए० वी० चांदीरामानी—**संयुक्त शिक्षा सलाहकार।**
2. श्री वी० सोमशेखरन्—**उपसचिव**
3. श्री ए० एस० तलवार—**अवर सचिव।**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे— **उपसचिव**

2. प्रारम्भ में समिति के सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की ओर उनका ध्यान दिलाया ।

3. कुछ विचार विमर्श के पश्चात् समिति ने निर्णय किया कि :—

(एक) विभिन्न एसोसियेशनों, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता से संबंधित संगठनों तथा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, बहुज्ञ संस्थाओं, प्रख्यात शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं आदि से विधेयक के उपबंधों के संबंध में लिखित ज्ञापन मांगे जायें जो शनिवार 17 फरवरी, 1973 तक लोक सभा सचिवालय में पहुंच जाने चाहिये । लोक सभा सचिवालय को चाहिये कि इस संबंध में एक परिपत्र जारी करे ।

(दो) इस आशय की एक प्रेस-विज्ञप्ति भी जारी की जाये ।

(तीन) समिति राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता का मौके पर जाकर निरीक्षण करे ताकि समिति के सदस्य राष्ट्रीय पुस्तकालय की समस्याओं से अवगत हो सकें ।

(चार) कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों/व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया जाये ।

4. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) समिति को प्राप्त होने वाले विभिन्न ज्ञापनों/सुझावों की तालिका बनाये तथा उनमें समिति के विचारार्थ उठाये गये प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त करे ।

5. समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) समिति को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के पूर्व इतिहास तथा कार्यों के संबंध में सामग्री उपलब्ध कराये ।

6. तत्पश्चात् समिति ने मंगलवार 6 मार्च, 1973 को 18.00 बजे बैठक करने का निर्णय किया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 6 मार्च 1973 को 18.00 बजे से 19.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री बीरेन एंगती
4. श्री के० गोपाल
5. श्री ई० आर० कृष्णन
6. श्री बाई० एस० महाजन

7. श्री सरोज मुखर्जी
8. श्री टुना उरांव
9. श्री पी० गंगा रेड्डी
10. श्री शक्ति कुमार सरकार
11. श्री राजाराम शास्त्री
12. श्री सोमचन्द सोलंकी
13. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
14. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

15. श्री प्रमथ नाथ बिसि
16. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
17. श्रीमती मरगत्तम चन्द्रशेखर
18. श्री महाबीर दास
19. श्री नीरेन घोष
20. प्रोफेसर एस० नूरुल हसन
21. श्री रत्तन लाल जैन
22. प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान
23. श्री श्याम धर मिश्र
24. श्री ए० के० रेफाय
25. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० एन० सिंहल---सहायक विधायी परामर्शदाता

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ए० बी० चांदोरमानी---संयुक्त शिक्षा सलाहकार
2. श्री पी० सोमशेखरन---उप-सचिव
3. श्री ए० एस० तलवार--- अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे---उप-सचिव

2. समिति ने इस बात को नोट किया कि पार्टियों की निम्नलिखित श्रेणियों को विधेयक के उपबन्धों पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है :—

(एक) सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार आदि ।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तकालय के दुर्लभ पुस्तक अनुभाग का प्रयोग करने वाले शोध-छात्र ।

(तीन) राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों की एसोसियेशन आदि ।

(चार) बहुज्ञ संस्थाएं, सोसाइटियां, पुस्तकालय और उच्च अध्ययन का केन्द्र ।

3. समिति ने निश्चय किया कि निम्नलिखित एसोसियेशनों, संगठनों आदि को भी विधेयक के उपबन्धों पर टिप्पणी/सुझाव देने के लिए लिखा जाए :—

(एक) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य ।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य ।

(तीन) भारतीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति ।

(चार) शिक्षाविद् और राष्ट्रीय प्रोफेसर ।

(पांच) विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और रीडर ।

(छः) वे विद्वान, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा वाचनालय, कलकत्ता में गए हों ।

4. तदनुसार समिति ने विभिन्न एसोसियेशनों, संगठनों, व्यक्तियों आदि से टिप्पणियों/सुझावों के ज्ञापन प्राप्त करने की तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल, 1973 करने का निश्चय किया ।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि लोक-सभा सचिवालय इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करे । यदि इस प्रेस विज्ञप्ति को समाचारपत्रों में पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता है तो इसे समाचारपत्रों में विज्ञापन के रूप में दिया जाये ।

6. समिति ने यह भी निश्चय किया कि शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) से कहा जाये कि वह 31 मई, 1973 तक प्राप्त विभिन्न ज्ञापनों की एक तालिका बनाकर प्रस्तुत करें ।

7. तत्पश्चात् समिति ने काम के बारे में अपने भारी कार्यक्रम पर विचार किया और निश्चय किया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कार्यचालन के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु उन्हें मौके पर अध्ययन करने के लिए दो दिन अर्थात् 4 और 5 जून, 1973 को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दौरा करना चाहिए तथा इसके बाद 6 और 7 जून, 1973 को, और यदि आवश्यक हुआ तो 8 जून, 1973 को भी कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र के साक्ष्य देने के इच्छुक की पार्टियों का मौखिक साक्ष्य लिया जाये ।

8. समिति ने महसूस किया कि चूंकि उसे अभी मौके पर जाकर अध्ययन करना है और विधेयक पर मौखिक साक्ष्य लेना है, अतः उसके लिए निर्धारित निति अर्थात् 15 मार्च 1973 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा । अतः समिति ने निश्चय किया कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए 1973 के शीतकालीन (नौवां) सत्र के पहले सप्ताह के प्रथम दिन तक समय बढ़ाये जाने की मांग की जाये ।

समिति ने सभापति को, और उनकी अनुपस्थिति में श्री वाई० एस० महाजन को, सभा में इस आशय का आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया ।

9. तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 6 जून, 1973 को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक और पुनः 15.00 बजे से 17.00 बजे तक परिषद् चैम्बर, विधान-सभा भवन, कलकत्ता में हुई ।

उपस्थित

श्री एच० एम० मुकर्जी—(पीठासीन)

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर
4. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
5. श्री सत्याचरण बेसरा
6. श्री बीरेन एंगती
7. श्री ई० आर० कृष्णन्
8. श्री कुमार मांझी

9. श्री सरोज मुखर्जी
10. श्री टुना उरांव
11. श्री नारायण चन्द पाराशर
12. श्री नटवर लाल पटेल
13. श्री पी० एंथनी रेड्डी
14. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

15. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
16. श्री प्रमथ नाथ बिसि
17. डॉ० रजत कुमार चक्रवर्ती
18. श्री महावीर दास
19. श्री वीरेन घोष
20. श्री एन० जी० गोरे
21. प्रोफेसर एस० नूरुल हसन
22. श्री रतन लाल जैन
23. प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान
24. श्री श्याम धर मिश्र
25. श्री पाटिल पुट्टप्पा
26. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर--संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी---उप-सचिव
2. श्री पी० सोमशेखरन--- उप-सचिव
3. श्री ए० एस० तलवार---अवर सचिव
4. श्री ए० बी सेनगुप्त---कार्यकारी पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे---अप-सचिव ।

2. सभापति की अनुपस्थिति में लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258(3) के अंतर्गत श्री एच० एन० मुकर्जी को बैठक का सभापति चुना गया ।

3. समिति ने निम्नलिखित एसोसियेशनों, संगठनों आदि का साक्ष्य लिया :--

[आरम्भ में सभापति ने प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर दिलाया]

एक. **राष्ट्रीय पुस्तकालय कर्मचारी एसोसियेशन, कलकत्ता**

प्रवक्ता

1. श्री अनिल चटर्जी
2. श्री आशीष नियोगी

3. श्री अजित घोष

4. श्री व्योमकेश माइती

[10.00 बजे से 10.55 बजे तक]

दो. श्री दुर्लभ चन्द्र भट्टाचार्य,
शोध छात्र, तुलनात्मक भाषा विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

[10.55 बजे से 11.15 बजे तक]

तीन. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन, कलकत्ता

1. श्री एस० बी० घोष--अध्यक्ष

2. श्री पी० एन० वेंकटाचारी--सचिव

3. श्री के० एम० गोवी--सदस्य

4. श्री एन० बी० मराठे--सदस्य

[11.15 बजे से 11.45 बजे तक]

चार. श्री महादेव साहा और श्री सईद शाहिदुल्ला, कलकत्ता।

[11.45 बजे से 12.45 बजे तक]

पांच. श्री एच० के० डे० चौधरी, कलकत्ता

[12.45 बजे से 13.00 बजे तक]

[तत्पश्चात् समिति की बैठक 13.00 बजे मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई और 15.00 बजे पुनः समवेत हुई]

छ. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय की विभागीय परिषद् (कार्यकारी पक्ष)

प्रवक्ता

1. श्री अनिल चटर्जी--सदस्य

2. श्री शीतल अधिकारी--सदस्य

3. श्री बी० सी० डे०

[15.00 बजे से 15.40 बजे तक]

सात. श्री शिशिर कुमार दास
अंग्रेजी के प्राध्यापक, कलकत्ता विश्वविद्यालय

[15.40 बजे से 15.55 बजे तक]

आठ. श्री सी० आर० बनर्जी
द्वारा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता

[15.55 बजे से 16.15 बजे तक]

नौ. श्री गोपाल हाल्दर, कलकत्ता

[16.15 बजे से 16.35 बजे तक]

दस. श्री रवीन्द्र नाथ गांगुली,
शोध छात्र, हुगली

[16.35 बजे से 16.45 बजे तक]

ग्यारह. श्री अशोक कुमार घोष,
रीडर, धातु विज्ञान इंजीनियरी विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

[16.45 बजे से 17.00 बजे तक]

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार, 7 जून, 1973 को 09.00 बजे परिषद् चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 7 जून, 1973 को काउंसिल चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में 9.00 बजे से 13.00 बजे तक और 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एच० एन० मुकर्जी---(पीठासीन)

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर
4. श्री वीरेद्र अग्रवाल
5. श्री सत्य चरण बेसरा
6. श्री बीरेन एंगती
7. श्री समर गुह
8. श्री ई० आर० कृष्णन
9. श्री कुमार माझी
10. श्री सरोज मुकर्जी
11. श्री टुना उरांव
12. श्री नारायन चन्द पराशर
13. श्री पी० एंटनी रेड्डी
14. श्री एस० ए० शमीम
15. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

16. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
17. श्री प्रमथ नाथ बिसि
18. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
19. श्री महावीर दास
20. श्री नीरेन घोष
21. प्रोफेसर एस० नूरुल हसन
22. श्री रतन लाल जैन
23. श्री पाटिल पुट्टप्पा
24. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

श्री एस. हरिहर अय्यर–संयुक्त सचिव और विधायी मरामर्शदाता

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मकर्जी---अपर सचिव
2. श्री पी० सोमशेखरन---उप-सचिव

3. श्री ए० एस० तलवार--अवर-सचिव,

4. श्री ए० बी० सेन गुप्त- कार्यकारी पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता,

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे- उप- सचिव ।

2. सभापति की अनुपस्थिति में, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 258 (3) के अनुसार श्री एच० एन० मुकर्जी को बैठक का सभापति निर्वाचित किया गया।

3. समिति ने निम्नलिखित एसोसिसशनों, संगठनों, आदि का साक्ष्य सना :

[प्रारम्भ में सभापति ने प्रतिनिधियों का ध्यान अठमक्ष के निदेशों निदेश के 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया।]

एक--श्री राम प्रसाद मुकर्जी, कलकत्ता ।

[9.00 से 10.20 बजे तक]

दो--राष्ट्रीय पुस्तकालय राजपत्रित अधिकारी संघ , कलकत्ता।

प्रवक्ता

1. श्री एम० एन० नागराज
2. श्रीमती मीरा पकरासी
3. श्री जी० एल० रे
4. श्री एस० बालासुब्रमण्यम

[10.20 से 11.15 बजे तक]

तीन--बंगाल पुस्तकालय संघ, कलकत्ता।

1. श्री वी० पी० मुकर्जी
2. श्री पी० रायचौधरी
3. श्री एस० बनर्जी
4. श्री बी० बनर्जी

[11.15 से 11.55 बजे तक]

चार. श्री निहार रंजन रे, कलकत्ता ।

[11.55 से 12.50 बजे तक]

पांच. श्री करुण कृष्ण ब्रह्मचारी, कलकत्ता।

[12.50 से 13.00 बजे तक]

[समिति की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए 13.00 बजे स्थगित हुई और 15.00 बजे पुनः समवेत हुई।]

छः. श्री गजेन्द्रकुमार मित्रा,

सम्पादक, कथा साहित्य, कलकत्ता ।

[15.00 से 15.35 बजे तक]

सात. श्री अपलेन्दु किशोर चक्रवर्ती, कलकत्ता ।

[15.35 से 16.00 बजे तक]

आठ. श्री सोनकु महाराज, कलकत्ता ।

[16.00 से 16.15 बजे तक]

नौ. श्री गुरुपद सेन गुप्त, कलकत्ता ।

[16.15 से 16.30 बजे तक]

4. साक्ष्य का शब्दश : अभिलेख रखा गया ।

तत चात समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और यह निश्चय किया कि विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, एसोसिएशनों संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का और मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए समिति की बैठक जुलाई, 1973 के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में आयोजित की जाये । यदि सदस्य मौखिक साक्ष्य के लिए किसी पार्टी आदि के नामों का सुझाव देना चाहें तो वे 15 जून, 1973 तक उनके नाम लोक सभा सचिवालय को भिजवा दें, ताकि उन पार्टियों को साक्ष्य के लिए समय पर बुलाया जा सके ।

समिति ने सभापति को समिति की बैठकों की तारीखें नियत करने पर दिल्ली में मौखिक साक्ष्य के लिये पार्टियों का चयन करने के लिए प्राधिकृत किया ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार 8 जून, 1973 को काटंसिल चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में 9.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

पांच

पांचवी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार 8 जून, 1973 को काउन्सिल चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में 9.00 बजे से 13.00 बजे तक तथा पुनः 15.00 बजे से 17.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री एच० एन० मुकर्जी—(पीठासीन)

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर
4. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
5. श्री सत्य चरण बेसरा
6. श्री समर गुह
7. श्री बी० आर कावड़े
8. श्री ई० आर० कृष्णन
9. श्री कुमार माझी
10. श्री सरोज मुकर्जी
11. श्री नारायण चन्द्र पराशर
12. श्री नटवर लाल पटेल
13. श्री पी० एंथनी रेड्डी
14. श्री एस० ए० शमीम

राज्य- सभा

15. श्री प्रमथनाथ बिसि
16. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
17. श्री महाबीर दास
18. श्री नीरेन घोष
19. श्री रतन लाल जैन
20 श्री पाटिल पुटप्पा
21. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर--**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी--**अतिरिक्त सचिव।**
2. श्री पी० सोमशेखरन--**उप-सचिव ।**
3. श्री ए० एस० तलवार--**अवर सचिव ।**
4. श्री ए० बी० चेन गुप्त--**कार्यकारी पुस्तकाध्यक्ष,राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे--**उप-सचिव**

2. सभापति की अनुपस्थिति में, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258(3) के अधीन श्री एच० एन० मुकर्जी बैठक के लिए सभापति चुने गये ।

3. समिति ने निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों, आदि का साक्ष्य लिया :

[प्रारम्भ में सभापति ने अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया ।]

1. **इन्डियन एसोसियेशन आफ स्पेशल लायब्रेरीज एण्ड इंफार्मेशन सेंटर्स, कलकत्ता।**

प्रवक्ता :

1. डा० बी० मुकर्जी
2. श्री पी० बी० राय
3. श्री सी० बी० सुब्बा राव
4. श्री सोरेन गांगुली

[9.00 से 10.15 बजे तक]

2. श्री वी० के० डा, अधिवक्ता, कलकत्ता।

[10.15 बजे से 10.40 बजे तक]

3. श्री बिमन बसु,
भारतीय छात्र संघ, कलकत्ता।

[10.40 बजे से 11.10 बजे तक]

4. श्री एन० के० सिन्हा,
इतिहास के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, कलकत्ता।

[11.10 बजे से 11.50 बजे तक]

5. श्री एस० के० गुप्त, आई० सी० एस० (सेवानिवृत्त)

[11.50 बजे से 13.00 बजे तक]

[समिति की बैठक 13.00 बजे मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई और 15.00 बजे पुनः समवेत हुई]

6. श्री चिन्मोहन सेहानवीस, कलकत्ता

[15.00 बजे से 15.25 बजे तक]

7. श्री नरहरि कविराज, कलकत्ता

[15.25 बजे से 16.00 बजे तक]

8. श्री निर्मल्य बागची, कलकत्ता

[16.00 बजे से 16.30 बजे तक]

9. श्री सत्य प्रिय राय,
प्रेसीडेंट, आल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन, कलकत्ता।

[16.30 बजे से 16.50 बजे तक]

10. प्रो० ज्योति भट्टाचार्यजी, कलकत्ता

[16.50 बजे से 17.20 बजे तक]

II. **बंगाल लायब्रेरी एसोसिएशन, कलकत्ता**

(आगे साक्ष्य)

प्रवक्ता :

1. श्री बी० पी० मुकर्जी
2. श्री पी० रायचौधरी
3. श्री एस० बनर्जी
4. श्री बी० बनर्जी

[17.20 बजे से 17.40 बजे तक]

4. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

5. तत्पश्चात् समिति ने काउन्सिल चैम्बर में समिति की बैठक आयोजित कराने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल विधान सभा के सचिव, विधान सभा सचिवालय के रिपोर्टरों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा दी गई अमूल्य सहायता की सराहना की ।

6. समिति ने बैठकें आयोजित करने में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के अधिकारियों द्वारा दी गई अमूल्य सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कलकत्ता में समिति के सदस्यों के प्रवास को सुखद बनाने में कोई कसर नहीं रखी।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 16 जुलाई, 1973 को 15.00 बजे से 17.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार--**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
4. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
5. श्री एस० सी० बेसरा
6. श्री के० गोपाल
7. श्री बी० आर० कावडे
8. श्री ई० आर० कृष्णन्

9. श्री वाई० एस० महाजन
10. श्री नारायण चन्द पाराशर
11. श्री नटवर लाल पटेल
12. श्री पी० एंथनी रेड्डी
13. श्री एस० ए० शमीम
14. श्री राजा राम शास्त्री

राज्य सभा

15. श्री ग्रमथनाथ बिसि
16. श्री महावीर दास
17. श्री नीरेन घोष
18. श्री एन० जी० गोरे
19. प्रो० नुरूल हसन
20. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—— **संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**
2. श्री आर० एन० सिंघल——**सहायक विधायी परामर्शदाता**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी——**अपर सचिव**
2. श्री पी० सोमशेखरन्—— **उप-सचिव**
3. श्री ए० एस० तलवार——**अवर सिचिव**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे——**उप-सचिव**

2. समिति ने निम्नलिखित एसोसिएशन और व्यक्तियों इत्यादि का साक्ष्य लिया :——

[सभापति ने प्रारम्भ में प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया]

I. डा० एस० एन० प्रसाद, अभिलेखागार निदेशक, भारत सरकार, जनपथ, नई दिल्ली।

[15.00 बजे से 16.00 बजे तक]

II. **इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली**

प्रवक्ता :

1. श्री बी० एल० भारद्वाज
2. श्री गुरनाम सिंह
3. श्री ओ० पी० खिखा

[16.00 बजे से 16.45 बजे तक]

III. श्री हाकम सिंह, पुस्तकाध्यक्ष, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।

[16.45 बजे से 17.45 बजे तक]

3. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया।
4. तत्पश्चात् समिति मंगलवार, 17 जुलाई, 1973 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई ।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 17 जुलाई, 1973 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—**सभापति**

सदस्य

लोकसभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
4. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
5. श्री सत्य चरण बेसरा
6. श्री बीरेन एंगती
7. श्री ई० आर० कृष्णन
8. श्री वाई० एस० महाजन
9. श्री कुमार माझी
10. श्री एच० एन० मुकर्जी
11. श्री नारायण चन्द पाराशर
12. श्री पी० एन्थनी रेड्डी
13. श्री शक्ति कुमार सरकार
14. श्री एस० ए० शमीम
15. श्री राजा राम शास्त्री

राज्य सभा

16. श्री प्रमथनाथ बिसि
17. श्री महाबीर दास
18. श्री नीरेन घोष
19. श्री एस० नुरूल हसन
20. श्री श्यामधर मिश्र
21. श्री सनत कुमार राहा
22. डा० वी० बी० सिंह

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**
2. श्री आर० एन० सिंघल— **सहायक विधाई परामर्शदाता।**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी—**अपर सचिव।**
2. श्री पी० सोमशेखरन—**उप सचिव।**
3. श्री ए० एस० तलवार—**अवर सचिव।**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे---**उप सचिव**

2. समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों का साक्ष्य लिया :—

[सभापति ने प्रारम्भ में व्यक्तियों का ध्यान अध्यक्ष के निर्देशों के निदेश 58 की ओर दिलाया]

एक. श्री साधन मुखर्जी

द्वारा न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली

(15.00 बजे से 16.00 बजे तक)

दो. श्री आर० एस० भारतीय

संगठन सचिव तथा निदेशक, चिन्तामणि मेमोरियल लायब्रेरी, इलाहाबाद–3

(16.00 बजे से 16.30 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक बुधवार, 18 जुलाई, 1973 को 15.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई ।

आँठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 18, जुलाई, 1973 को 15.00 बजे से 17.40 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार---सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
4. श्री सत्यचरण बेसरा
5. श्री बीरेन एंगती
6. श्री बी० आर० कावड़े
7. श्री ई० आर० कृष्णन्
8. श्री एच० एन० मुकर्जी
9. श्री टूना उरांव
10. प्रो० नारायण चन्द पाराशर
11. श्री शक्ति कुमार सरकार
12. श्री राजा राम शास्त्री
13. श्री सोमचंद सोलंकी
14. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल

राज्य सभा

15. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
16. श्री महाबीर दास

17. श्री नीरेन घोष
18. श्री एस० डी० मिश्र
19. श्री पाटिल पुट्टप्पा
20. श्री सनत कुमार राहा
21. डा० वी० बी० सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० एन० सिंघल--**सहायक विधायी परामर्शदाता**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी--**अवर सचिव।**
2. श्री पी० सोमशेखरन्--**उप-सचिव।**
3. श्री ए० एस० तलवार--**अवर सचिव।**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे--**उपसचिव।**

2. शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में संस्कृति विभाग के उपमंत्री श्री अरविंद नेताम ने, जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने निम्नलिखित दो व्यक्तियों का साक्ष्य सुना :--

[सभापति ने प्रारम्भ में उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया]

एक. श्री जे० सी० मेहता,

निदेशक, दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी, दिल्ली।

(15.00 बजे से 16.20 बजे तक)

दो. श्री अशोक चटर्जी,

सदस्य, दिल्ली महानगर परिषद्।

(16.30 बजे से 17.30 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया। समिति ने निश्चय किया कि समिति को देश के प्रमुख ग्रन्थालयों के कार्यचालन से अवगत होने के लिए यात्रा संबंधी आरक्षण उपलब्ध होने पर 24 से 29 सितम्बर की अवधि में मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, पूना का दौरा करना चाहिए। समिति ने शनिवार, 18 अगस्त, 1973 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली तथा दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी, दिल्ली का दौरा करने का भी निश्चय किया।

6. तत्पश्चात् **समिति की बैठक** स्थगित हुई।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 5 सितम्बर, 1973 को 10.00 बजे से 10.50 बजे तक हुई।

उपस्थिति

श्री अमरनाथ विद्यालंकार--**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

4. श्री पन्नालाल बारूपाल
5. श्री एस० सी० बेसरा
6. श्री बीरेन एंगती
7. श्री समर गुह
8. श्री वी० आर० कावड़े
9. श्री ई० आर० कृष्णन्
10. श्री कुमार माझी
11. श्री सरोज मुखर्जी
12. श्री नारायण चन्द पाराशर
13. श्री नटवर लाल पटेल
14. श्री पी० एंथनी रेड्डी
15 श्री शक्ति कुमार सरकार
16. श्री एस० ए० शमीम
17. श्री राजाराम शास्त्री
18. श्री सोमचन्द सोलंकी

राज्य-सभा

19. श्री प्रमथनाथ विसि
20. श्री महावीर दास
21. श्री नीरेन घोष
22. श्री श्यामधर मिश्र
23. श्री ए० के० रेफाय
24. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**
2. श्री आर० एन० सिंघल—**सहायक विधायी परामर्शदाता**

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी—**अपर सचिव**
2. श्री के० के० बख्शी—**उप-सचिव**
3. श्री ए० एस० तलवार—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—**उप-सचिव**

2. शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री श्री अरविन्द नेताम ने, जो संयुक्त समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्य लेने के लिये बम्बई, पूना, मद्रास तथा हैदराबाद में बैठकें करने तथा कुछ पुस्तकालयों का निरीक्षण करने के अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार आरम्भ किया।

सभापति ने समिति को इस बात से अवगत कराया कि मितव्ययता सम्बन्धी उपायों को दृष्टि में रखते हुए तथा माननीय अध्यक्ष की सलाह के अनुसार उन्होंने अपने कार्यक्रम को छोटा बनाकर केवल बम्बई तथा पूना के दौरे का कार्यक्रम रखा है । सभापति ने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न समितियों के सभापतियों की बैठक में हाल में की गयी अपील को ध्यान में रखते हुये किसी गैर आवश्यक व्यय से बचने के लिये समिति बम्बई तथा पूना के दौरे का कार्यक्रम रद्द की वांछनीयता पर विचार करे। समिति के सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की तथा लगभग सर्वसम्मति से समिति का विचार था कि बम्बई तथा पूना का दौरा रद्द न किया जाये। समिति के समक्ष पहले व्यक्त किये गये कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए समिति के सदस्यों ने पूना के दौरे को विशेष रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। तदनुसार समिति ने बम्बई तथा पूना में 26 सितम्बर से 30 सितम्बर, 1973 तक बैठकें आदि के कार्यक्रम को स्वीकृत किया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 26 सितम्बर, 1973 को 15.00 बजे से 18.10 बजे तक समितिकक्ष, सातवीं मंजिल, सचिवालय, बम्बई में हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री वीरेंन्द्र अग्रवाल
4. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
5. श्री पन्नालाल बारूपाल
6. श्री एस० सी० बेसरा
7. श्री समर गुह
8. श्री बी० आर० कावड़े
9. श्री ई० आर० कृष्णन
10. श्री वाई० एस० महाजन
11. श्री सरोज मुकर्जी
12. श्री नारायण चन्द पाराशर
13. श्री रामूभाई रावजीभाई पटेल
14. श्री एस० ए० शमीम
15. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
16. श्री डी० पी० यादव

राज्य-सभा

17. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
18. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
19. श्रीमती मरगतम चन्द्रशेखर
20. श्री महावीर दास
21. श्री एन० जी० गोरे
22. श्री सनत कुमार राहा

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० बख्शी—उप-सचिव
2. श्री ए० एस० तलवार—अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—उप-सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित संस्थाओं, व्यक्तियों आदि का साक्ष्य लिया :—

[आरम्भ में सभापति ने प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया]

(एक) डा० ए० यू० शेख, सचिव, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।

[15.00 बजे से 16.15 बजे तक]

(दो) एशियाटिक सोसायटी आफ बम्बई, टाउन हाल, बम्बई :

प्रवक्ता—

1. श्री अजित कुमार बनर्जी
2. श्री एस० एम० जोशी

[16.15 बजे से 16.40 बजे तक]

(तीन) श्री एस० के० हवानूर, पुस्तकाध्यक्ष, टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई।

[16.40 बजे से 17.10 बजे तक]

(चार) डा० एम० बी० बूच, अध्यक्ष, सेन्टर आफ एडवांस्ड स्टडी इन एजूकेशन, बड़ोदा

[17.10 बजे से 17.25 बजे तक]

(पांच) श्री टी० डी० वाकनीस, भूतपूर्व अभिरक्षक, पुस्तकाध्यक्ष, महाराष्ट्र, बम्बई

(17.25 बजे से 17.50 बजे तक)

(छ) श्रीमती हंसा मेंहता, एडवोकेट, बम्बई

[17.50 बजे से 18.10 बजे तक]

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार, 27 सितम्बर, 1973 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरूवार, 27 सितम्बर, 1973 को 14.30 बजे से 17.15 बजे तक समिति कक्ष, सातवीं मंजिल, सचिवालय, बम्बई में हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर
4. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
5. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
6. श्री पन्नालाल बारूपाल
7. श्री सत्य चरण बेसरा
8. श्री समर गुह
9. श्री ई० आर० कृष्णन्
10. श्री वाई० एस० महाजन
11. श्री सरोज मुखर्जी
12. श्री शक्ति कुमार सरकार
13. श्री नारायण चन्द पाराशर
14. श्री शमीम अहमद शमीम
15. श्री राजाराम शास्त्री
16. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
17. श्री डी० पी० यादव

राज्य-सभा

18. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
19. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
20. श्रीमती मरगथम चन्द्रशेखर
21. श्री महावीर दास
22. श्री रतनलाल जैन
23. प्रो० रशीदुद्दीन खान
24. श्री पाटिल पुट्टप्पा
25. श्री सनत कुमार राहा

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० बख्शी—**उपसचिव**
2. श्री ए० एस० तलवार—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे--उप-सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों आदि का साक्ष्य लिया :—

[आरम्भ में सभापति ने इन व्यक्तियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के निक्षेप 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया]

एक. डा० पी० के० केलकर, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई।

(14.40 बजे से 15.20 बजे तक)

दो. एयर वाइस मार्शल एम० बी० नायक, कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पूना।

(15.25 बजे से 15.40 बजे तक)

तीन. श्री के० डी० पुराणिक पुस्तकालयों के निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।

(15.40 बजे से 16.20 बजे तक)

चार. श्री वी० वी० भट्ट, महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय एसोसियेशन, बम्बई।

(16.20 बजे से 16.25 बजे तक)

पांच. प्रोफेसर (कुमारी) ए० दस्तूर, नागरिक शास्त्र तथा राजनीति-विज्ञान विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और यह निश्चय किया कि विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिए 6 और 7 जून, 1973 को प्रतिदिन 10.30 बजे से 13.00 बजे तक दिल्ली में बैठकें की जायें।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि विधेयक के बारे में यदि कोई सरकारी संशोधन हों तो उनकी सूचनाएं लोक सभा सचिवालय को 20 अक्तूबर 1973 तक भेज दी जायें और सदस्य अपने संशोधनों सम्बन्धी सूचनाएं, यदि कोई हों तो 30 अक्तूबर, 1973 तक भेज दें।

6. समिति ने यह भी निश्चय किया कि :

(एक) समिति के समक्ष दिये गए साक्ष्य को दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाए; और

(दो) विभिन्न एसोसियेशनों, संगठनों आदि से समिति को जो ज्ञापन प्राप्त हुए हों उनकी दो प्रतियां, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद संसद सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद ग्रंथालय में रख दी जाएं।

7. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया :

"समिति कक्ष सचिवालय बम्बई में समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र विधान मण्डल के सचिव द्वारा उन्हें जो मूल्यवान सहायता दी गई उस के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

समिति की बैठकें आयोजित करने में मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, सचिव, भवन और संचार विभाग, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा जो मूल्यवान सहायता दी गई उसके लिए समिति उनकी भी सराहना करती है। उन्होंने बम्बई में समिति के सदस्यों के प्रवास को सुखद बनाने में कोई कसर नहीं रखी"।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 6 नवम्बर, 1973 को 10.30 बजे से 10.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

4. श्री सत्यचरण बेसरा
5. श्री समर गुह
6. श्री ई० आर० कृष्णन्
7. श्री एच० एन० मुकर्जी
8. श्री नारायण चन्द्र पाराशर
9. श्री रामू भांई रावजी भाई पटेल
10. श्री पी० एंथनी रेड्डी
11. श्री शक्ति कुमार सरकार
12. श्री एस० ए० शमीम
13. श्री राजा राम शास्त्री
14. श्री सोम चन्द सोलंकी
15. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

16. श्रीमती सुशीला शंकर आदिवरेकर
17. श्री महाबीर दास
18. श्री एन० जी० गोरे
19. प्रो० एस० नुरुल हसन
20. श्री सनत कुमार राहा

विधायी सलाहकार

1. श्री एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार ।
2. श्री आर० एन० सिंघल, सहायक विधायी सलाहकार ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी, अतिरिक्त सचिव ।
2. श्री के० के० बक्शी, उप-सचिव ।
3. श्री ए० एस० तलवार, अवर सचिव ।
4. श्री बी० बनर्जी चौधरी, पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रंथागार, कलकत्ता ।

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—उप-सचिव

2. समिति ने समिति के एक सदस्य श्री धर्मराव शरणप्पा अफजल पुरकर, संसद सदस्य के निधन पर शोक प्रकट किया और निम्नलिखित शोक प्रस्ताव पारित किया :

> "समिति अपने अत्यन्त सम्मानित सहयोगी समिति के सदस्य श्री धर्मराव शरणप्पा अफजल पुरकर, के 10 अक्तूबर, 1973 को अनायास निधन पर अपना हार्दिक शोक व्यक्त करती है तथा उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजती है ।"

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे ।

3. तत्पश्चात्, समिति की बैठक बुधवार, 7 नवम्बर, 1973 को 11.00 बजे होने तक के लिए स्थगित हुई ।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 7 नवम्बर, 1973 को 11.00 बजे से 12.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अमर नाथ विद्यालंकार—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
4. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
5. श्री सत्य चरण बेसरा
6. श्री समर गुह
7. श्री ई० आर० कृष्णन्
8. श्री एच० एन० मुकर्जी
9. श्री नारायण चन्द पाराशर
10. श्री पी० एंथनी रेड्डी
11. श्री शक्ति कुमार सरकार
12. श्री एस० ए० शमीम
13. श्री राजा राम शास्त्री
14. श्री सोम चन्द सोलंकी
15. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
16. श्री डी० पी० यादव

राज्य-सभा

17. श्रीमती सुशीला शंकर आदिवरेकर
18. श्री महाबीर दास
19. श्री एन० जी० गोरे
20. प्रो० एस० नुरुल हसन
21. श्री रतन लाल जैन
22. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० एन० सिंघल, सहायक विधायी परामर्शदाता

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी, अपर सचिव
2. श्री के० के० बख्शी, उपसचिव
3. श्री ए० एस० तलवार, अवर सचिव
4. श्री बी० बनर्जी चौधरी, पुस्तकाध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे-उप-सचिव

2 प्रारम्भ में सभापति ने बताया कि समिति के कुछ सदस्यों ने इस कारण विधेयक पर खण्डवार विचार स्थगित करने का अनुरोध किया था कि विधेयक के उपबन्धों के संबंध में उनको अपने विचारों के आदान-प्रदान का अवसर नहीं दिया गया।

यह बताया गया था कि संयुक्त समिति ने विधेयक के उपबन्धों के संबंध में राय जानने के लिये उसे परिचालित किया था और कलकत्ता, नई दिल्ली तथा बम्बई में हुई समिति की बैठकों में कुछ संस्थाओं, संगठनों, आदि का साक्ष्य भी लिया गया था। जिन संस्थाओं तथा व्यक्तियों, आदि ने विधेयक के संबंध में ज्ञापन भेजा था, उनमें से लगभग आधे, विशेषकर वे, जिन्होंने कलकत्ता में साक्ष्य दिया था, सामान्यतः राष्ट्रीय पुस्तकालय को स्वायत्तशासी बनाने के विचार के, जिसकी कि विधेयक में परिकल्पना की गई है, विरुद्ध थे। सभापति ने यह भी कहा कि कल सायं कुछ सदस्यों ने उनसे भेंट की और ऐसी स्पष्ट इच्छा व्यक्त की कि विधेयक बहुत विवादग्रस्त न बने, और इस दृष्टि से उनको विचार के लिए और अधिक समय तथा अवसर दिया जाए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभापति ने कहा कि जहां तक मेरा संबंध है, मैं यह सिफारिश करने के पक्ष में हूं कि जिन सदस्यों ने समय अवधि बढ़ाने की मांग की है, उनके विचारों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये और सुझाया कि अब मंत्री महोदय शायद इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहें।

3. शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री ने कहा कि सदस्यों की राय का उचित सम्मान करते हुए, वह इस अवस्था पर विधेयक पर खण्डवार विचार स्थगित करने का प्रस्ताव मानने को तैयार हैं। वह इस बात से सहमत थे कि इससे समिति के समक्ष विधेयक से संबंधित विभिन्न सुझावों तथा प्रस्तावों पर गहराई से विचार करने में सुविधा होगी। उन्होंने समिति को सूचित किया कि इस बीच सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से यथाशीघ्र एक पुस्तकालय निदेशक नियुक्त कराने की दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है और राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कार्यचालन से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने तथा सहायता करने के लिये एक प्रबंधक समिति ने भी कार्य शुरू कर दिया है।

4. इस अवस्था पर, सभापति ने सदस्यों से विचार व्यक्त करने के लिए कहा। सदस्यों द्वारा अपने-अपने विचार व्यक्त किये जाने के बाद, सदस्यों की रायों को देखते हुए समिति ने यह निर्णय किया कि अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 1974 के वर्षाकालीन सत्र के अंतिम दिन तक अवधि और बढ़वाने की अनुमति मांगी जाये।

5. समिति ने सभापति तथा, उनकी अनुपस्थिति में, श्री एच० एन० मुकर्जी को 15 नवम्बर, 1973 को सदन में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने के लिये प्राधिकृत किया।

6. समिति ने सभापति को यह प्राधिकार भी दिया कि वह समिति की आगामी बैठकों की तारीखें निश्चित करे।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

त्रौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 20 दिसम्बर, 1973 को 15.00 से 15.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार--**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री ए० के० कोत्राशेट्टी
4. श्री सत्यचरण बेसरा
5. श्री वीरेन एंगती
6. श्री समर गुह
7. श्री बी० आर० कावड़े
8. श्री एच० एन० मुकर्जी
9. श्री टुना उरांव
10. श्री नटवरलाल पटेल

11. श्री पी० एन्थनी रेड्डी
12. श्री पी० गंगा रेड्डी
13. श्री शक्ति कुमार सरकार
14. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

15. श्री महाबीर दास
16. श्री एन० जी० गोरे
17. श्री श्याम धर मिश्र

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर— संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० एन० सिंघल— सहायक विधायी परामर्शदाता

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० बख्शी— उप-सचिव
2. श्री ए० एस० तलवार —उप-सचिव

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे— उप-सचिव

2. समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया। कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने सभापति को इस बात के लिये प्राधिकृत किया कि वह इस सम्बन्ध में शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समिति की आगामी बैठकों की तारीखें निर्धारित कर दें।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

पन्द्रह

पन्द्रहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 30 जनवरी, 1974 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
4. श्री पन्नालाल बारूपाल
5. श्री के० गोपाल
6. श्री समर गुह
7. श्री बी० आर० वावड़े
8. श्री ई० आर० कृष्णन

9. श्री वाई० एस० महाजन
10. श्री एच० एन० मुकर्जी
11. श्री सरोज मुकर्जी
12. श्री टुना उरांव
13. श्री नारायण चन्द पाराशर
14. श्री पी० एंथनी रेड्डी
15. श्री एस० ए० शमीम
16. श्री राजाराम शास्त्री
17. श्री सोमचंद सोलंकी
18. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

19. श्रीमती सुशीला शंकर आदिवारेकर
20. श्री प्रमथनाथ बिस्सि
21. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
22. श्री महाबीर दास
23. श्री एन० जी० गोरे
24. प्रो० एस० नूरुल हसन
25. श्री रतन लाल जैन
26. प्रो० रशीदुद्दीन खान
27. श्री श्यामधर मिश्र
28. श्री पाटिल पुट्टप्पा
29. श्री ए० के० रेफाय
30. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० एन० सिंघल– सहायक विधायी परामर्शदाता।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी— अतिरिक्त सचिव
2. श्री के० के० बख्शी—उप-सचिव
3. श्री ए० एस० तलवार—उप-सचिव
4. श्री बी० बनर्जी चौधरी—पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकता।

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—उप-सचिव

2. समिति ने, उसे प्रस्तुत किये गये ज्ञापनों में और उसके समक्ष साक्ष्य के दौरान उठाये गये विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य चर्चा की।

3 समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 31 जनवरी, 1974 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए 17.00 बजे स्थगित हुई।

सोलह

सोलहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 31 जनवरी, 1974 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
4. श्री पन्नालाल बारूपाल
5. श्री सत्यचरण बेसरा
6. श्री वीरेन एंगती
7. श्री के० गोपाल
8. श्री ई० आर० कृष्णन्
9. श्री वाई० एस० महाजन
10. श्री एच० एन० मुकर्जी
11. श्री सरोज मुकर्जी
12. श्री टुना उरांव
13. श्री नटवरलाल पटेल
14. श्री पी० एंथनी रेड्डी
15. श्री एस० ए० शमीम
16. श्री राजाराम शास्त्री
17. श्री सोमचन्द सोलंकी
18. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

19. श्रीमती सुशीला शंकर आदिवारेकर
20. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
21. श्रीमती मरगम चन्द्रशेखर
22. श्री महावीर दास
23. श्री एन० जी० गोरे
24. प्रो० रशीदुद्दीन खान
25. श्री श्यामधर मिश्र
26. श्री पाटिल पुट्टप्पा
27. श्री ए० के० रेफाय
28. श्री सनत कुमार राहा
29. डा० वी० बी० सिंह

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर–संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री आर० एन० सिंघल— सहायक विधायी परामर्शदाता ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी---अतिरिक्त सचिव
2. श्री के० के० बक्सी---उप-सचिव
3. श्री ए० एस० तलवार---उप सचिव
4. श्री बी० बनर्जी चौधरी---पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीयल ग्रंथाकार, कलकत्ता ।

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे---उप-सचिव

2. समिति ने उसे दिये गए ज्ञापनों में तथा समिति के समक्ष दिये गए मौखिक साक्ष्य के दौरान उठाये गए विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य विचार-विमर्श आरम्भ किया । विचार-विमर्श 16.45 बजे पूरा हुआ ।

3. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और अस्थाई रूप से यह निश्चय किया :—

(एक) सरकारी संशोधन प्राप्त करने की अंतिम तारीख---सोमवार, 11 मार्च, 1974

(दो) सदस्यों से संशोधन प्राप्त करने की अंतिम तारीख---शुक्रवार, 29 मार्च, 1974

(तीन) विधयक पर खण्डवार विचार---सोमवार, 22 अप्रैल, 1974 से 24 अप्रैल, 1974 तक

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

सत्रह

सत्रहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 22 अप्रैल, 1974 को 15.00 बजे से 15.40 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अमर नाथ विद्यालंकार---सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री नटवर लाल पटेल
3. श्री पी० एन्थनी रेड्डी
4. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

5. श्रीमती सुशीला शंकर आडिथरेकार
6. डा० आर० के० चक्रवर्ती
7. श्री एन० जी० गोरे
8. प्रोफेसर एस० नुरुल हसन
9. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री आर० एन० सिंघल—सहायक विधायी परामर्शदाता ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० बक्शी—उप-सचिव
2. श्री बी० बनर्जी चौधरी—ग्रन्थाध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता ।

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—उप-सचिव

2. गणपूर्ति न होने के कारण समिति की बैठक स्थगित हुई ।
3. समिति ने घोषणा की कि समिति की आगामी बैठक मंगलवार 7 मई, 1974 को 15.00 बजे की जा सकती है ।

अठारह

अठारहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार 7 मई 1974 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री पन्नालाल बारूपाल
4. श्री वीरेन एंगती
5. श्री के० गोपाल
6. श्री समर गुह
7. श्री बी० आर० कावडे
8. श्री एच० एन० मुकर्जी
9. श्री पी० एंथनी रेड्डी
10. श्री शक्ति कुमार सरकार
11. श्री राजाराम शास्त्री
12. श्री डी० पी० यादव

राज्य-सभा

13. श्री पी० एन० सिंघि
14. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
15. प्रो० एस० नुरुल हसन
16. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदातां

श्री एस० हरिहर अय्यर-- संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

शिक्षा और समांज कल्यांण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी--अपर सचिव
2. श्री के० के० बख्शी--उप-सचिव
3. श्री ए० एस० तलवार-- उप-सचिव

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे--उप-सचिव

2. सर्वप्रथम समिति ने निर्णय किया कि यदि सदस्य विधयक में संशोधनों की कोई सूचनाएं देना चाहें तो वे शुक्रवार, 31 मई, 1974 तक लोक सभा सचिवालय को अपनी सूचनाएं भेज सकते हैं। तत्पश्चात् समिति ने निर्णय किया कि सोमवार, 24 जून, से बुधवार, 26 जून, 1974 तक होने वाली बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रयोजनार्थ गुरुवार, 27 जून, 1974 को भी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है ।

3. चूंकि निर्धारित समय में अपना कार्य पुरा करना समिति के लिए संभव नहीं था अतः समिति ने लोक-सभा के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आगे समय बढ़ाये जाने की मांग करने का निर्णय किया ।

4. समिति ने सभापति को और, उनकी अनुपस्थिति में, श्री एच० एन० मुकर्जी को इस सम्बन्ध में 10 मई, 1974 को सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

उनीस

उन्नीसवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 24 जून, 1974 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार--सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
4. श्री वीरेन एंगती
5. श्री के० गोपाल
6. श्री समर गुह
7. श्री वी० आर० कावडे
8. श्री कुमार माझी
9. श्री एच० एन मुकर्जी
10. श्री टुना उरांव
11. श्री नटवर लाल पटेल
12. श्री पी० गंगा रेड्डी

13. श्री शक्ति कुमार सरकार
14. श्री एस० ए० शमीम
15. श्री राजाराम शास्त्री
16. श्री डी० पी० यादव

राज्य-सभा

17. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
18. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
19. श्रीमती मरगतम चन्द्रशेखर
20. श्री एन० जी० गोरे
21. प्रो० एस० नूरुल हसन
22. श्री शाम लाल गुप्त
23. डा० रामकृपाल सिन्हा
24. श्री ए० के० रेफाय
25. श्री सनत कुमार राहा
26. डा० वी० बी० सिंह

विधायी परामर्शदातां

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**
2. श्री के ० एम० सरकार—**सहायक विधायी परामर्शदाता**

शिक्षा और समांज कल्यांण मंत्रालत (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी—**अपर सचिव**
2. श्री के० के० बख्शी—**उप-सचिव**
3. श्री ए० एस० तलवार—**उप-सचिव**
4. श्री बी० बनर्जी चौधरी–**पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।**

सचिवालय

श्री के० डी० चटर्जी—**अवर सचिव**

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया।
3. **खण्ड 2**—इस खण्ड पर विचार स्थगित किया गया।
4. **खण्ड 3**—I. निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 15 से 18 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार के पुर्वानुमोदन के बिना बोर्ड, पुस्तकालय के स्वामित्वाधीन किसी पाण्डुलिपि, पुस्तक, फर्नीचर लेखनसामग्री और इसी प्रकार की अनुपभोज्य स्टाक वस्तु से भिन्न किसी वस्तु या चीज का विक्रय या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा :

परन्तु जहां ऐसी पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, वस्तुओं या चीजों का जो किसी व्यक्ति द्वारा पुस्तकालय को दी गई हैं विक्रय या अन्यथा व्ययन करने की प्रस्थापना हो, वहां इस उपधारा के अधीन कोई अनुमोदन नहीं किया जायेगा जब तक, यथास्थिति, आदाता या उसका उत्तरवर्ती लिखित रूप में ऐसा करने के लिए अनुज्ञात नहीं कर देता है।"

11. संशोधनों की सूचनाए जिन पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा जो स्वीकार नहीं की गयीं अनुबन्ध में दी गई हैं ।

यह खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

5. **खण्ड 4**—संशोधनों की सूचनाएं जिन पर समिति द्वारा विचार किया गया और जो स्वीकार नहीं की गयीं अनुबन्ध में दी गई हैं ।

इस खण्ड पर आगे विचार स्थगित किया गया ।

6. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करने के लिए मंगलवार, 25 जून, 1974 से प्रतिदिन 15.00 बजे से 18.00 बजे तक बैठने का निश्चय किया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबन्ध

संशोधनों की सूचनाओं की सूची जिन पर 24 जून, 1974 को हुई संयुक्त समिति की बैठक में विचार किया गया तथा जो स्वीकार नहीं हुई ।

क्रम संख्या	सदस्य का नाम तथा संशोधन का पाठ
(1)	(2)
	खण्ड 3
	श्री सनत कुमार राहा
1.	पृष्ठ 2 पंक्ति 17 "विक्रय" के पश्चात् **यह अन्तः स्थापित किया जाये** : "या अन्तरण या विनिमय"
	श्री समर गुह
2.	पृष्ठ 2, पंक्ति 18 के अन्त में "करेगा" **के पश्चात्** यह **अन्तः स्थापित किया जाये** : "और पुस्तकालय के वार्षिक प्रतिवेदन में ऐसे तथ्य सम्मिलित किये जायेंगे"
	डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
3.	पृष्ठ 2, पंक्ति 18 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये** : "(4) बोर्ड को पुस्तकालय की सामग्री का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जाये यदि और केवल यदि— (क) उस वस्तु विशेष के दो इकाइयां हैं ; (ख) वह 1900 से पहले की नहीं है; (ग) वह उपयोग और परिक्षण के लिए अनुपयुक्त है ; जो सामग्री पुस्तकालय को उपहार स्वरूप दी गई है उसका (क) दाता या उसके वारिस की सहमति के बिना और (ख) जब तक कि वह परिरक्षण के लिए अनुपयुक्त नहीं हो, विक्रय नहीं किया जाना चाहिए।"
	खण्ड 4
	श्री सनत कुमार राहा
4.	प्रो० एस० नूरुल हसन द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, उप-खण्ड (ठ) (बारह) **के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए** "(तेरह) एक दाता बोर्ड की कालावधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा । (चौदह) एक कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारी संघ द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।"

श्री समर गुह

5. पृष्ठ 2, पंक्ति 19-32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

"4. (1) बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(i) अध्यक्ष, जो एक विद्वान या एक पुस्तकाध्यक्ष के रूप में कार्य के अनुभव से सम्पन्न या धारा 4 के बाद के खण्डों में यथा उल्लिखित एक अच्छे दर्जे के पुस्तकालय का निदेशक होगा। जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

(ii) लोक-सभा का एक सदस्य और राज्य सभा का एक सदस्य, जिनका निर्वाचन प्रत्येक सदन द्वारा किया जायेगा और संसद-ग्रंथालय का पुस्तकाध्यक्ष।

(iii) एक व्यक्ति जो उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें पुस्तकालय स्थित है और जो या तो राज्य के शिक्षा विभाग का सचिव या संयुक्त सचिव होगा।

(iv) आठ व्यक्ति, जिसमें से दो विज्ञान, दो मानविकी, एक प्रौद्योगिकी या इंजीनियरी, एक औषधि, एक विधि संकायों के होंगे और एक पुस्तकालय प्रभाग का होगा, जिन्हें विश्वविद्यालयों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा और वर्णक्रम के अनुसार चक्रानुक्रम से एक विश्वविद्यालय से एक सदस्य लिया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष।

(vi) सार्वजनिक पुस्तकालयों में से किसी एक का मुख्य पुस्तकाध्यक्ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(vii) पाण्डुलिपियों से सम्बन्धित कार्य करने वाली किसी संस्था का अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(viii) एक व्यक्ति जो भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ix) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का निदेशक।

(x) दो व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर के नहीं होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, पुस्तकालय से सम्बन्धित मामलों को निपटाने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और वित्त से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम-निर्दिष्ट करेगी।

(xi) पुस्तकालय का निदेशक, जो बोर्ड का पदेन सदस्य सचिव होगा।"

डा० रजत कुमार चक्रवर्ती :

6. पृष्ठ 2, पंक्ति 23–32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(ग) एक व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में लब्ध प्रतिव्यक्ति होगा, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(घ) चार व्यक्ति, जो पुस्तकालय के प्रबंधक से संबंधित मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे, उन व्यक्तियों में से होंगे जो प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री हैं या जिन्हें पुस्तकालयों के प्रशासन से संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान या अनुभव है ;

(ङ) आठ व्यक्ति जो निम्नलिखित निकायों की सिफारिश पर संबंधित मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये जाएंगे :—

(i) भारतीय बहुज्ञ संस्थाएं जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता तथा बम्बई—2 व्यक्ति

(ii) भारतीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान–
5 व्यक्ति (एक अवधि के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से चक्रानुक्रम से) ;

(iii) पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन—1 व्यक्ति

(च) एक व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा उस आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा;

(छ) दो प्रतिनिधि पुस्तकालय के कर्मचारियों के होंगे जो कि उनके द्वारा ऐसे चुनाव के लिए निर्धारित नियम के अनुसार चुने जाएंगे;

(ज) पुस्तकालय का निदेशक, जो सदस्य सचिव होगा;

(झ) 3 व्यक्ति बोर्ड सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा जिनको अन्य सदस्यों के पूरे अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे; इन सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करते समय बोर्ड को उन सदस्यों के नामों का ध्यान रखना चाहिए जिनका बोर्ड के साथ सहयोग पुस्तकालयों के वृत्तिक कार्य के लिए उपयोगी होगा।"

श्री शक्ति कुमार सरकार :

7. पृष्ठ 2, पंक्ति 34 के बाद निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये

"(3) बोर्ड के सदस्य इस प्रकार नामनिर्दिष्ट / निर्वाचित किये जाएंगे कि उसमें कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जातियों और एक सदस्य अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।"

बीस

बीसवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 25 जून, 1974 को 15.00 बजे से 17.50 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री ए० के० कोत्राशेट्टी
4. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
5. श्री एस० सी० बेसरा
6. श्री बीरेन एंगती
7. श्री समर गुह
8. श्री बी० आर० कावड़े
9. श्री ई० आर० कृष्णन्
10. श्री कुमार माझी
11. श्री एच० एन० मुकर्जी
12. श्री टूना ओरांव
13. श्री पी० गंगा रेड्डी
14. श्री शक्ति कुमार सरकार
15. श्री राजा राम शास्त्री
16. श्री डी०पी० यादव

राज्य-सभा

17. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
18. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
19. श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी
20. श्री एन० जी० गोरे
21. प्रोफेसर एस० नूरुल हसन

22. श्री शामलाल गुप्त
23. डा० रामकृपाल सिन्हा
24. श्री ए० के० रेफाय
25. श्री सनत कुमार राहा
26. डा० वी० बी० सिंह

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर— **संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**
2. श्री के० एम० सरकार—**सहायक विधायी परामर्शदाता**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी—**अपर सचिव**
2. श्री के० के० बक्सी—**उप-सचिव**
3. श्री ए० एस० तलवाड—**उप-सचिव**
4. श्री बी० बनर्जी चौधरी— **पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता:।**

सचिवालय

श्री के० डी० चटर्जी—**अवर सचिव ।**

2. समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार प्रारम्भ किया।

3. **खण्ड 4**—[24 जून, 1974 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 5 देखिए] निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 19—32 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया** जाये

4. (1) बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्— **बोर्ड का संगठन।**

(i) अध्यक्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी;

(ii) तीन व्यक्ति जो संसद् द्वारा चुने जाएंगे, दो लोक-सभा से, लोक-सभा के सदस्यों द्वारा और एक राज्य सभा से, राज्य सभा के सदस्यों द्वारा;

(iii) तीन व्यक्ति जो राज्य सरकारों द्वारा वर्णानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(iv) चार व्यक्ति जो भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा वर्णानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसके अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट उस आयोग का कोई सदस्य;

1954 का 27वां

(vi) पुस्तक और समाचारपत्र (सार्वजनिक पुस्तकालय) परिदान अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थान्तिर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों में से किन्तु इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता नहीं है, किसी एक का मुख्य पुस्तकाध्यक्ष चाहे उसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाता हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(vii) भारत के ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालयों में से (जो खण्ड (vi) में निर्दिष्ट पुस्तकालय नहीं हैं) जिनमें ऐतिहासिक, साहित्यिक या कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों का महत्वपूर्ण संग्रह है, में से किसी एक का मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, चाहे उसें किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाता हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

1860 का 21

(आठ) एक व्यक्ति जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी इण्डियन लाइब्रेरी एसोसियेशन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(नौ) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का निदेशक;

(दस) मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी और विधि के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विषयों के आठ प्रतिष्ठित विद्वान;

(ग्यारह) दो व्यक्ति जो पुस्तकालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने में से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु इन व्यक्तियों में से कम से कम एक पुस्तकालय के तकनीकी कर्मचारीवृन्द का सदस्य होगा।

स्पष्टीकरण :—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये 'तकनीकी कर्मचारीवृन्द' से अभिप्रेतहै पुस्तकाध्यक्ष, उपपुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, प्राध्यापक, माइक्रोफोटोग्राफर, कैमिस्ट और व्यक्तियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो विहित किये जायें;

(बारह) दो व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति के नहीं होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, पुस्तकालय से संबंधित मामलों को निपटाने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और वित्त से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट करेगी;

(तेरह) पुस्तकालय का निदेशक जो सदस्य-सचिव होगा।

खण्ड पर आगे विचार स्थगित रखा गया।

4. **खण्ड** 5—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 35-36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

"सदस्य के पद के लिये निरर्हतायें।

5. कोई व्यक्ति बोर्ड के या कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित होने और बने रहने के लिये निरर्हित होगा :—

(क) यदि उसे किसी अपराध के लिये जिसमें नैतिक अधमता समाविष्ट है, सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास के लिये दण्डादिष्ट किया गया है; या

(ख) यदि वह अननुमोचित दिवालिया है; या

(ग) यदि वह विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है; या

(घ) यदि उसका बोर्ड में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों का उसके द्वारा निर्वहन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भाव्यता है।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

5. **खण्ड** 6—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

पृष्ठ 2

(एक) पंक्ति 37, "नामनिर्दिष्ट' के बाद "और निर्वाचित" **अन्त:स्थापित** किया जाये;

(दो) पंक्ति 38, "तीन वर्ष होगी" के बाद निम्नलिखित **अन्त:स्थापित** किया जाये :—

"परन्तु धारा 4 की उपधारा (एक) के खण्ड (दो) या खण्ड (ग्यारह) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, यथास्थिति, जैसे ही वह उस सदन का सदस्य नहीं रहता है जिससे वह निर्वाचित हुआ था या जैसे ही वह बोर्ड के नियोजन में नहीं रहता है, समाप्त हो जाएगी।

(तीन) पृष्ठ 3, पंक्ति 1, "नामनिर्दिष्ट" **के बाद** "या निर्वाचित" **अन्त:स्थापित** किया जाये।

(चार) पंक्ति 4—8 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :—

"(3) उपधारा (2) के अधीन किसी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य का पद-त्याग द्वारा या किसी अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, उस प्राधिकारी द्वारा जिसने

उस सदस्य को नामनिर्देशित किया था, नामनिर्देशन द्वारा, या उस सदन द्वारा जिसने उसे निर्वाचित किया था, निर्वाचन द्वारा, भरी जाएगी तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य उस अवशिष्ट कालावधि के लिये पदधारण करेगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता।"

(पांच) पंक्ति 9, "पुनः नामनिर्देशन" के बाद "या पुनः निर्वाचन" अन्त स्थापित किया जाये।

(छः) पंक्ति 13, "यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" के स्थान पर "वह प्राधिकारी जिसने उस सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया था" अन्तःस्थापित किया जाये।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

6. **नया खण्ड 6क**––निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकार किया गया :––

पृष्ठ 3, पंक्ति 16 के बाद निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये :––

"सदस्य के पद का रिक्त होना।

6क. केन्द्रीय सरकार बोर्ड या कार्य परिषद् के सदस्य को हटा देगी यदि,––

(क) वह धारा 5 में लिखित निरर्हताओं से ग्रस्त हो जाता है :

परन्तु कोई सदस्य इस आधार पर तब तक नहीं हटाया जायेगा कि वह उस धारा के खण्ड (घ) में लिखित निरर्हताओं से ग्रस्त हो गया है जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है; या

(ख) वह बोर्ड से अनुपस्थिति की इजाजत प्राप्त किये बिना, यथास्थिति बोर्ड या कार्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।"

7. **खण्ड 7**––संशोधन की सूचना जिस पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा जिसे स्वीकार नहीं किया गया, अनुबन्ध में दी गई है।

खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

8. **खण्ड 8**––(1) निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

(एक) पृष्ठ 3, पंक्ति 23 से 35 तक का लोप किया जाये;

(दो) पृष्ठ 3, पंक्ति 36,

"नामनिर्दिष्ट सदस्य" के स्थान पर "कोई सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) पृष्ठ 3, पंक्ति 36 (एक) "(2)" के स्थान पर "(8)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) खण्ड 8 के साथ हाशिये में निम्नलिखित शीर्षक जोड़ा जाये :––

"सदस्यों द्वारा बोर्ड में वित्तीय या अन्य हित का प्रकट किया जाना।"

दो :––संशोधन की सूचना जिस पर समिति ने विचार किया तथा जिसे स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गयी है।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

9. **खण्ड 9**––निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :––

(एक) पृष्ठ 3, पंक्ति 42, "9(1) बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर अपनी बैठकें करेगा।" के स्थान पर "9. (1) बोर्ड एक वर्ष में कम से कम दो बार सामान्यतः पुस्तकालय के परिसर में बैठकें करेगा।" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) पृष्ठ 4, पंक्ति 6, "किसी व्यक्ति को" के स्थान पर "उस मंत्रालय के या विभाग के किसी एसे अधिकारी को जो भारत सरकार के उप-सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो।" प्रतिस्थापित किया जाये।

दो––संशोधन की सूचना जिस पर समिति ने विचार किया तथा जिसे स्वीकार नहीं किया गया, अनुबन्ध में दी गयी है।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

10. **खण्ड 10––एक** निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 11––21 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये ––

"कार्य परिषद

10. (1) बोर्ड की एक कार्य परिषद् होगी जिसमें नौ सदस्य होंगे।

(2) पुस्तकालय का निदेशक कार्य परिषद् का अध्यक्ष होगा और उसके अन्य सदस्य बोर्ड के सदस्यों में से या बाहर से या भागत: बोर्ड के सदस्यों में से और भागत: बाहर से नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु वित्त से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय से और पुस्तकालय से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग से एक-एक प्रतिनिधि कार्य परिषद का सदस्य होगा।

परन्तु यह और कि तीन से अनधिक व्यक्ति बाहर से नियुक्त किये जायेंगे।

(3) कार्य परिषद् इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगी तथा बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी जो विहित किए जाएं या जो बोर्ड उसे ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें बोर्ड ठीक समझे, प्रत्यायोजित करे।

(4) बोर्ड के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यथा का न्यायनिर्णयन करने के लिए सक्षम होगी।

(5) कार्य परिषद् के उन सदस्यों की पदावधि जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के साथ ही समाप्त होगी।

दो. संशोधन की सूचना जिस पर समिति में विचार किया गया और जिसे स्वीकार नहीं किया, अनुबंध में दी गई है।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।"

11. **खण्ड 11**––संशोधन की सूचना जिस पर समिति में विचार किया गया और जिसे स्वीकार नहीं किया, अनुबंध में दी गई है।

खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

12. **खण्ड 12**––निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 4, पक्ति 32 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्त स्थापित** किया जाये :––

"(2) कार्य परिषद् के सभी आदेशों और विनिश्चयों का पुस्तकालय के निदेशक के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणन किया जायेगा।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

13. **नया खण्ड 12क**––निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 4, पंक्ति 32 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्त स्थापित** किया जाये––

"कुलाध्यक्ष

12क. (1) भारत का राष्ट्रपति पुस्तकालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेश दे पुस्तकालय से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में पुस्तकालय का निरीक्षण या जांच कराने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में बोर्ड को निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देगा और बोर्ड एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम के संदर्भ में अध्यक्ष को सम्बोधित कर सकेगा और अध्यक्ष कुलाध्यक्ष की राय ऐसी सलाह के साथ जो कुलाध्यक्ष उस पर कार्यवाही कि जाने के सम्बन्ध में दे, बोर्ड को संसूचित करेगा।

(5) बोर्ड अध्यक्ष के माध्यम से कुलाध्यक्ष को उस कार्यवाही को, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की जाने के लिए प्रतिस्थापित है या की गई है संसूचित करेगा ।

(6) जहां बोर्ड उचित समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समाधानपर्यन्त रूप में कार्यवाही नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह ठीक समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये आबद्ध होगा ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा बोर्ड की किसी ऐसी कार्यवाही को बातिल कर सकता है या रोक सकता है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक बोर्ड को इस सम्बन्ध में सुनवाई का या अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।"

14. **खण्ड 13**--एक. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :--

पृष्ठ 4, पंक्ति 33--40 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :--

"निदेशक की नियुक्ति ।

13. (1) कुलाध्यक्ष उस रीति से जो विहित की जाये, एक व्यक्ति को, जो प्रतिष्ठित विद्वान है या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाला प्रतिष्ठित पुस्तकाध्यक्ष है, पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त करेगा ।

(2) निदेशक की पदावधि उसका पद धारण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या साठ वर्ष की आयु तक, जो भी बाद में हो, होगी ।

परन्तु कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु का होने के पश्चात् निदेशक का पद धारण नहीं करेगा ।

(3) निदेशक ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो विहित की जाएं ।

(4) निदेशक के रूप में नियुक्त और इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय इस रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति को इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा और उसको इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंग ।

दो. संशोधनों की सूचनाएं जिन पर समिति ने विचार किया और जिन्हें स्वीकार नहीं किया, अनुबंध में दी गई है ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।"

15. **खण्ड 14**--इस खण्ड पर चर्चा पूरी नहीं हुई ।

16. तत्पश्चात् समिति की बैठक बुधवार, 26 जून, 1974 को 15.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई ।

अनुबन्ध

संशोधनों की सूचनाओं की सूची जिन पर संयुक्त समिति की 25 जून, 1974 की बैठक में चर्चा की गई परन्तु जो स्वीकार नहीं किये गये

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ
1	2
	खण्ड 7
	श्री समर गुह
1.	पृष्ठ 3, पंक्ति 25, "या उसके गठन में कोई त्रुटि," का लोप किया जाये ।

1	2

खण्ड 8

श्री समर गुह :

2. पृष्ठ 3, पंक्तियां 23–26 **के स्थान पर** निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जाए—

"8. (1) नामनिर्देशन अथवा प्रतिनिधित्व स्वीकार करने से पूर्व बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रपत्र में, जो विहित किया जाए, अलग-अलग घोषणा करनी होगी कि उनका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कृत्यों के प्रयोग या पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भाव्यता हो।"

खण्ड 9

श्री सनत कुमार राहा :

3. पृष्ठ 4, पंक्ति 2 **के पश्चात्**

"बोर्ड की बैठक हर तिमाही में एक बार होगी" **अन्तःस्थापित** किया जाए।

खण्ड 10

श्री शक्ति कुमार सरकार :

4. पृष्ठ 4, पंक्ति 18 **के पश्चात्**

"(ख) परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य कार्यकारी परिषद् के पर्याप्त संख्या में सदस्य होंगे।"

अन्तःस्थापित किया जाये।

खण्ड 11

श्री सनत कुमार राहा :

5. पृष्ठ 4, पंक्ति 28, "मत देने का हक नहीं होगा" के **पश्चात्**

"परन्तु उसकी राय कार्यवाही के अंग के रूप में रिकार्ड की जायेगी।"

अन्तःस्थापित किया जाये।

खण्ड 13

डा० रजत कुमार चक्रवर्ती :

6. पृष्ठ 4, पंक्ति 34, "नियुक्त करेगी" के **पश्चात्**

"जिसका दर्जा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के दर्जे के बराबर होगा।"

अन्तःस्थापित किया जाये।

7. पृष्ठ 4, पंक्ति 37, "केन्द्र सरकार" के **पश्चात्**

"उचित विशेषज्ञ समिति द्वारा पदधारी के कार्य का मूल्यांकन किये जाने के पश्चात्"

अन्तःस्थापित किया जाये।

इक्कीस

इक्कीसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 26 जून, 1974 को 15.00 बजे से 17.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री ए० के० कोत्राशेट्टी
4. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
5. श्री पन्नालाल बारूपाल
6. श्री सत्यचरण बेसरा
7. श्री बीरेन एंगती
8. श्री समर गुह
9. श्री बी० आर० कावड़े
10. श्री ई० आर० कृष्णन्
11. श्री कुमार माझी
12. श्री एच० एन० मुकर्जी
13. श्री टूना उरांव
14. श्री पी० एन्थनी रेड्डी
15. श्री शक्ति कुमार सरकार
16. श्री एस० ए० शमीम
17. श्री राजाराम शास्त्री
18. श्री सोमचन्द सोलंकी
19. श्री डी० पी० यादव

राज्य-सभा

20. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
21. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
22. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
23. श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी
24. श्री नीरेन घोष
25. श्री एन० जी० गोरे
26. प्रोफेसर एस० नूरुल हसन
27. डा० रामकृपाल सिन्हा
28. डा० ए० के० रेफाय
29. श्री सनत कुमार राहा
30. डा० वी० बी० सिंह

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर— संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री के० एम० सरकार—सहायक विधायी परामर्शदाता

शिक्षा और समाज कल्याण (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी, अपर सचिव ।
2. श्री के० के० बक्शी, उप-सचिव ।

3. श्री ए० एस० तलवार--उप-सचिव

4. श्री बी० बनर्जी चौधरी--पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।

सचिवालय

श्री के० डी० चटर्जी--अवर-सचिव

2. समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार प्रारम्भ किया ।

3. **खण्ड 14** [देखिए 25 जून, 1974 के कार्यवाही सारांश का पैरा 25]--इस खण्ड पर चर्चा पूरी नहीं हुई । संशोधनों की सूचनायें, जिन पर समिति ने विचार किया पर स्वीकृत नहीं किया, अनुबन्ध में दी गई हैं ।

4. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करने के लिए गुरुवार, 27 जून, 1974 को 15.00 बजे बैठक करने का निश्चय किया ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबन्ध

संशोधनों की सूचनायें जिन पर संयुक्त समिति की 26 जून, 1974 की बैठक में विचार किया गया परन्तु स्वीकृत नहीं किए गए ।

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ
	खण्ड 14
	श्री समर गुह :
	प्रोफेसर एस० नुरूल हसन द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, उप-खण्ड (3) में,
	"संबंधित" के **पश्चात्** "प्रत्येक अधिकारी अथवा कर्मचारी विधेयक के अधिनियमन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी बना रहेगा" **अन्तःस्थापित** किया जाए ।
	डा० रजत कुमार चक्रवर्ती :
	पृष्ठ 5, पंक्ति 4, "समझे" के **पश्चात्**
	"उस समय तक, जब तक कि बोर्ड का कार्य प्रारम्भ नहीं होता, पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष के पद सहित कोई भी स्वीकृत पद समाप्त नहीं किया जाएगा ।" **अन्तः स्थापित** किया जाए ।

बाईस

बाईसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 27 जून, 1974 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

लोक-सभा

श्री अमरनाथ विद्यालंकार --सभापति

2. श्री ए० के० कोत्ता शट्टी
3. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
4. श्री सत्य चरण बेसरा
5. श्री समर गुह

6. श्री बी० आर० कावड़े
7. श्री कुमार माझी
8. श्री एच० एन० मुकर्जी
9. श्री टुना उरांव
10. श्री शक्ति कुमार सरकार
11. श्री एस० ए० शमीम
12. श्री राजा राम शास्त्री
13. श्री सोमचन्द सोलंकी
14. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

15. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
16. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
17. श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी
18. श्री नीरेन घोष
19. प्रोफेसर एस० नुरूल हसन
20. श्री श्यामलाल गुप्त
21. डा० रामकृपाल सिन्हा
22. श्री सनत कुमार राहा
23. डा० वी० बी० सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर--संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी-- अवर सचिव
2. श्री के० के० बख्शी--उप-सचिव
3. श्री ए० एस० तलवार--उप-सचिव
4. श्री बी० बनर्जी पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

सचिवालय

श्री के० डी० चटर्जी--अवर सचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार पुनः प्रारम्भ किया ।

3. **खण्ड 2** [देखिए दिनांक 24 जून, 1974 के कार्यवाही सारांश का पैराग्राफ 3]--यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

4. **खण्ड 6** [देखिए दिनांक 25 जून, 1974 के कार्यवाही सारांश का पैराग्राफ 5]--समिति ने इस खण्ड के विषय में चर्चा पुनः आरम्भ की । यह खण्ड निम्नलिखित रूप में स्वीकृत हुआ ।

6. (1) धारा 4 के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का प्रत्येक, यथास्थिति, नामनिर्देशन या निर्वाचन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और उनकी अवधि ऐसी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष होगी :

परन्तु धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) या खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, यथास्थिति, जैसे ही वह उस सदन का सदस्य नहीं रहता है जिससे वह निर्वाचित हुआ था या जैसे ही वह बोर्ड के नियोजन में नहीं रहता है, समाप्त हो जाएगी ।

(2) कोई भी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद-त्याग कर सकता है, और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में ऐसा पद-त्याग अधिसूचित किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य के पद-त्याग द्वारा या किसी अन्य कारण से हुई आकस्मिकरिक्ति, यथास्थिति, उस प्राधिकारी द्वारा जिसने उस सदस्य को नामनिदर्शित किया था, नामनिर्देशन द्वारा या उस सदन या निकाय द्वारा, जिसने उसे निर्वाचित किया था, नए निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी, तथा ऐसे नामनिर्देशन या निर्वाचन को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य उस अवशिष्ट कालावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है पद धारण करता ।

(4) पदावरोही सदस्य पुनः नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन का पात्र होगा ।

(5) यदि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य अंग शैथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कर्त्तव्यों को करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है या छुट्टी पर होने के कारण या अन्यथा ऐसी परिस्थितियो में अनुपस्थित है, जिसमें उसकी पद रिक्ति सम्मिलित नहीं है तो, वह प्राधिकारी जिसने उस सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया था उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकता है ।

5. खण्ड 10 (देखिए दिनांक 25 जून, 1974 के कार्यवाही सारांश का पराग्राफ 10) ।—समिति ने खण्ड के विषय में पुनः चर्चा आरम्भ की । यह खण्ड निम्नलिखित संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

कार्य परिषद् 10. (1) बोर्ड की एक कार्य परिषद् होगी जिसमें नौ सदस्य होंगे ।

(2) पुस्तकालय का निदेशक कार्य परिषद् का अध्यक्ष होगा और उसके अन्य सदस्य बोर्ड द्वारा भागतः बोर्ड के सदस्यों में से और भागतः बाहर से नियुक्त किए जाएंगे :—

परन्तु बिल से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय से और पुस्तकालय से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय या विभाग से एक-एक प्रतिनिधि कार्य परिषद् का सदस्य होगा ।

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन से अनधिक व्यक्ति बाहर से नियुक्त किए जाएंग ।

(3) कार्य परिषद् इस अधिनियम के अधीन कोई बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगी तथा बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो विहित किए जाएं या जो बोर्ड उसे ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें बोर्ड ठीक समझे प्रत्यायोजित करे ।

(4) बोर्ड के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यथा का न्याय-निर्णयन करने के लिए सक्षम होगी ।

(5) कार्य परिषद् के उन सदस्यों की पदावधि जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के साथ ही समाप्त होगी ।"

6. **खण्ड 14** (देखिए दिनांक 26 जून, 1974 के कार्यवाही सारांश का पैराग्राफ 3) । समिति ने इस खण्ड के विषय में आगे विचार करना रोक दिया ।

7. **खण्ड 15**—इस खण्ड पर आगे विचार करना रोक दिया गया ।

8. **खण्ड 16**—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

संशोधन की सूचना जिस पर समिति ने विचार किया परन्तु स्वीकृत नहीं किया अनुबन्ध में दी गई है ।

9 **खण्ड 17**—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

10. खण्ड 18:—1 निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित करें—

बोर्ड के कर्तव्य । 18(1) बोर्ड का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह पुस्तकालय का प्रबन्ध करे और आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से पुस्तकालय के विकास के कार्यक्रम को क्रियान्वित करे पुस्तकालयों और उनके कार्यकरण से जिसके अन्तर्गत पुस्तक सूची वर्णनात्मक सूची तैयार करना और अन्य विषय भी हैं सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह दे और ऐसे अन्य कार्य करे जो केन्द्रीय सरकार बोर्ड को समय समय पर सौंपे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड

(क) पुस्तकालय का उपयोग करने वाली जनता की सेवा करने के लिये और पुस्तकालय में पाण्डुलिपियों पुस्तकों और अन्य वस्तुओं के विद्यमान संग्रह के आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण के लिए ;

(ख) भारत में मुद्रित सभी महत्वपूर्ण सामग्री के भारत से सम्बन्धित सभी मुद्रित सामग्री के चाहे वह किसी भी स्थान में प्रकाशित हुई हो और राष्ट्रीय महत्व की पाण्डुलिपियों के अर्जन और संरक्षण के लिए ;

(ग) पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम 1954 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए ;

(घ) पुस्तक सूचियों का प्रकाशन करने के लिए और संस्थाओं और विद्वानों को पुस्तकसूची के प्रकाशन में सहायता देने के लिए ;

(ङ) इतिहास, साहित्य, विज्ञान और इसी प्रकार के अन्य विषयों से सम्बन्धित परिचर्चा और गोष्टियों का आयोजन करने और उनके लिए सुविधाएं देने के लिए;

(च) पुस्तकालय की ऐसी पाण्डुलिपियों पुस्तकों, वस्तुओं या चीजों की प्रदर्शनी करने के लिए जिनमें बोर्ड की राय में जनता की रुचि होगी ;

(छ) भारत के बाहर अन्य देशों से पुस्तकालयों और अन्य संस्थाओं से पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का विनिमय करने और इस कार्य का संवर्द्धन करने के लिए ;

(ज) ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड या किसी अन्य संस्था के बीच करार पाई जाए किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से प्रतियां बनाने के लिए जिसके अन्तर्गत (छोटी प्रतियां बनाना भी है) पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, चीजों या वस्तुओं या चीजों के अनुरक्षण के लिए ;

(झ) ऐसे अन्य सभी कार्य करने के लिए जो राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका के अनुरूप हों

वे सभी कार्यवाहियां कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

दो—उन संशोधनों की सूचना जिन पर समिति ने विचार किया किन्तु जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया अनुबन्ध में दी गई है।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

11. खण्ड 19—इस खण्ड को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

उन संशोधनों की सूचना जिन पर समिति ने विचार किया किन्तु जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया अनुबन्ध में दी गई है।

12. खण्ड 20 और 21—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये ;

13. खण्ड 22—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

उन संशोधनों की सूचना जिन पर समिति ने विचार किया किन्तु जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया अनुबन्ध में दी गई है।

14. खण्ड 23—यह खण्ड बिन किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ;

15. खण्ड 24—निम्न संशोधन स्वीकार किया गया—

पृष्ठ 7, पंक्ति 31 के अन्त में जोड़ा जाये—"और केन्द्रीय सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

16. खण्ड 25—समिति का विचार है कि बोर्ड की स्वायत्त स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के कृत्यों पर केन्द्रीय सरकार का निर्देशन नहीं होना चाहिए। अत: समिति ने यह निर्णय किया है कि विधेयक के खण्ड 25 का लोप कर दिया जाये।

17. खण्ड 26 से 28 तक—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

18. खण्ड 29—एक—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 8, 18–19 और 23–25 पंक्तियों का लोप किया जाये।

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 27 "भर्ती की रीति" के स्थान पर "नियुक्ति की रीति" प्रतिस्थापित किया जाये।

दो—उन संशोधनों की सूचना, जिन पर समिति ने विचार किया किन्तु जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया, अनुबन्ध में दी गई है।

खण्ड संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

19. खण्ड 30—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

20. नया खण्ड 31—उन संशोधनों की सूचना, जिन पर समिति ने विचार किया किन्तु स्वीकार नहीं किया गया, अनुबन्ध में दी गई है।

21. समिति ने तत्पश्चात् यह निर्णय किया कि विधेयक पर आगे खण्ड वार विचार करने के लिए समिति की बैठक शनिवार, 13 जुलाई, 1974 और रविवार, 14 जुलाई, 1974 को की जाये।

22. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबन्ध

संशोधनों की सूचनायें जिन पर संयुक्त समिति ने 27 जून, 1974 को हुई बैठक में विचार किया किन्तु जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया

क्रम संख्या	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ
1	2
	खण्ड 16
	श्री सनत कुमार राहा
1.	पृष्ठ 5, पंक्ति 18, में "पुस्तकालय" के बाद निम्न अन्त:स्थापित किया जाये : "स्थायी रूप से कलकत्ते में ही अवस्थित बनी रहेगी और अन्य क्षेत्रीय सार्वजनिक पुस्तकालयों के सहयोग से, देश में एक लाभप्रद पुस्तकालय व्यवस्था और पुस्तकाय विज्ञान का विकास करके, ज्ञान का भंडार समृद्ध करके इसके महत्व को पूरी तरह सुरक्षित रखा जायेगा।"
	खण्ड 18
	श्री सनत कुमार राहा
2.	प्रोफेसर एस० नुरुल हसन द्वारा प्रस्तावित संशोधन के उप खण्ड (1) में, "उसके कार्यचालन" के बाद यह अन्त:स्थापित किया जाये :— "और इन बातों पर जैसे देश में पुस्तकालयों का जाल बिछाने की आवश्यकता देश में अनौपचारिक शिक्षा और ज्ञान की प्रोन्नति के लिए एकीकृत रूप से क्षेत्रीय राज्य स्तर और अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों का समन्वय और विकास करना,"

1	2

श्री शक्ति कुमार सरकार

3. प्रोफेसर एस० नुरुल हसन द्वारा प्रस्तावित संशोधन के उप-खण्ड (2) (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(छ) पुस्तकों और पत्रिकाओं का विनियम करना, उसे प्रोत्साहन देना, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त अनुभव का विदेशी पुस्तकालयों और अन्य संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान करना ।"

श्री सनत कुमार राहा

4. पृष्ठ 5, पंक्ति 33, "सरकार" और "बोर्ड" के मध्य निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"देश में राष्ट्रीय पुस्तकालय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से "

खण्ड 19

डा० रजत कुमार चक्रवर्ती

5. पृष्ठ 6, पंक्ति 5 और 10 में

"बोर्ड" के स्थान पर "कार्य परिषद" प्रतिस्थापित किया जाये ।

खण्ड 22

डा० रजत कुमार चक्रवर्ती

6. पृष्ठ 7, पंक्ति 6 के बाद, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"(5) बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन निदेशक को पुस्तकालय के दिन प्रतिदिन के व्यय, पुस्तकों की खरीद आदि के बारे में आवश्यक खर्च को पूरा करने के लिए स्वीकृत बजट के अन्दर धन व्यय करने का अधिकारी होगा ।"

खण्ड 29

डा० रजत कुमार चक्रवर्ती

7. पृष्ठ 8, पंक्ति 12–17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"जहां तक निम्न सभी बातों या किसी बात का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकती है और पुस्तकालय के सुचारू रूप से कार्यचालन के लिए बाकी नियम और विनियम बोर्ड बनायेगा ।"

नया खण्ड 31

डा० रजत कुमार चक्रवर्ती

8. पृष्ठ 9, पंक्ति 32 के बाद निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये :—

"31. कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय देश की समूची पुस्तकालय व्यवस्था का शीर्षस्थ पुस्तकालय होगा और वह अनिवार्य पुस्तक निक्षेप योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित सभी क्षेत्रीय पुस्तकालयों के काम का समन्वय करेगा ।"

तेईस

तेईसवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 13 जुलाई, 1974 को 15.00 से 17.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री ए० के० कोत्राशेट्टी
4. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
5. श्री सत्य चरण बेसरा
6. श्री बीरेन एंगती
7. श्री समर गुह
8. श्री बी० आर० कावडे
9. श्री ई० आर० कृष्णन
10. श्री कुमार माझी
11. श्री एच० एन० मुकर्जी
12. श्री सरोज मुकर्जी
13. श्री पी० एंथनी रेड्डी
14. श्री पी० गंगा रेड्डी
15. श्री एस० ए० शमीम
16. श्री राजा राम शास्त्री
17. श्री सोमचन्द सोलंकी

राज्य सभा

18. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
19. श्री नीरेन घोष
20. श्री एन० जी० गोरे
21. प्रो० एस० नूरुल हसन
22. श्री श्याम लाल गुप्त
23. प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान
24. श्री ए० के० रेफाय
25. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० एन० सिंगल—सहायक विधायी परामर्शदाता

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी—**अपर-सचिव**
2. श्री के० के० बख्शी—**उप-सचिव**
3. श्री बी० बनर्जी चौधरी— **पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—**उप सचिव**

2. समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

3. **खण्ड** 4 [देखिये दिनांक 25 जून, 1974 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 3]—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 और 34 का **लोप किया जाये**

यह खण्ड, आगे संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

4. **खण्ड** 14 [देखिये दिनांक 27 जून, 1974 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 6]—इस खण्ड पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

संशोधन की सूचना, जिस पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा जो स्वीकार नहीं की गयी, अनुबन्ध में दी गई है ।

5. समिति की बैठक गणपूर्ति न होने के कारण 17.45 बजे स्थगित हो गयी ।

अनुबंध

संशोधन की सूचना की सूची, जिस पर 13 जुलाई, 1974 को संयुक्त समिति की बैठक में विचार किया गया तथा स्वीकार नहीं किया गया

क्रम संख्या	सदस्य का नाम तथा संशोधन का पाठ
	खण्ड 14
	श्री सरोज मुकर्जी
	पृष्ठ 5, पंक्ति 1,
	(एक) "उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" **का लोप किया जाये**
	(दो) "बोर्ड" के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

चौबीस

चौबीसवीं बैठक

समिति की बैठक रविवार, 14 जुलाई, 1974 को 10.00 बजे से 12.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री ए० के० कोसाशेट्टी

4. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
5. श्री पन्ना लाल बारूपाल
6. श्री सत्य चरण बेसरा
7. श्री बीरेन एंगती
8. श्री समर गुह
9. श्री बी० आर० कावडे
10. श्री ई० आर० कृष्णन
11. श्री कुमार माझी
12. श्री एच० एन० मुकर्जी
13. श्री सरोज मुकर्जी
14. श्री टूना उरांव
15. श्री पी० गंगा रेड्डी
16. श्री राजा राम शास्त्री

राज्य सभा

17. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
18. श्रीमती मरगथम चन्द्रशेखर
19. श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी
20. श्री नीरेन घोष
21. श्री एन० जी० गोरे
22. प्रो० एस० नूरुल हसन
23. श्री ए० के० रेफाय
24. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर—**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी—**अपर सचिव**
2. श्री के० के० बख्शी—**उप-सचिव**
3. श्री बी० बनर्जी चौधरी—**पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—**उप-सचिव**

2. समिति ने विधेयक पर आगे खण्ड-वार विचार आरम्भ किया ।

3. **खण्ड 2** (दिनांक 27 जून, 1974 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 3 **देखिये**)—इस खण्ड पर पुन: चर्चा आरम्भ की गई ।

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 2 के **स्थान पर** यह **प्रतिस्थापित** किया जाये —

"(घ) 'पुस्तकालय' से कलकत्ता में स्थित और संविधान के प्रारम्भ के समय राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में ज्ञात संस्था अभिप्रेत है ।"

यह खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

4. **4. खण्ड 14** (दिनांक 13 जुलाई, 1974 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 4 देखिये)--

I. निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए:--

(एक) पृष्ठ 5,

(क) पंक्ति 1, "उप-धारा (2)" **के स्थान पर** "इस धारा" **प्रतिस्थापित किया जाये**

(ख) पंक्ति 6 के पश्चात्, **यह अन्त स्थापित किया जाये** —

"(3) बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी या अन्य कर्मचारी नहीं है, लिखित संविदा के अनुसार नियुक्त किया जायेगा, जो बोर्ड के पास रखी जाएगी और जिसकी एक प्रति सम्बद्ध कर्मचारी को दी जाएगी ।

(4) बोर्ड और उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के बीच, जो, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, संविदा से उद्भूत होने वाले विवाद, सम्बद्ध कर्मचारी के अनुरोध पर या बोर्ड की प्रेरणा से, माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट की जाएगी जिसमें एक सदस्य बोर्ड द्वारा नियुक्त होगा, एक सदस्य कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा और एक अधिनिर्णायक कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(5) माध्यस्थम अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(6) उप-धारा (2) द्वारा माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किए जाने के अपेक्षित किसी विषय की बाबत कोई वाद या अन्य कार्यवाही न्यायालय में नहीं किया जाएगा ।

(7) माध्यस्थम अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(8) तत्समय प्रवृत्त माध्यस्थम से सम्बन्धित किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम को लागू नहीं होगी ।

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 "समझे" **के बाद** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया** जाये:--

"और ऐसी नियुक्तयां करने में बोर्ड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संघ की सेवाओं में आरक्षण के संबंध केन्द्रीय सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुरूप कार्य करेगा ।"

II. संशोधनों की सूचनायें जिन पर समिति द्वारा विचार किया गया और जो उसके द्वारा स्वीकार नहीं की गयीं अनुबन्ध में दी गयी हैं ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

5. **खण्ड 15.** I निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 7–17 **के स्थान पर** निम्नलिखि **प्रतिस्थापित किया जाये** —

बोर्ड के विद्यमान 15 (1) बोर्ड की स्थापना पर केन्द्रीय सरकार के लिए आदेश द्वारा ऐसी तारीख और तारीखों से कर्मचारियों की जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं पुस्तकालय में काम करने वाले अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को बोर्ड सेवा का अन्तरण को अन्तरित करना विधिपूर्ण होगा :

परन्तु किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के सम्बन्द्ध में जिसने केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को बोर्ड को अन्तरित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए बोर्ड का कर्मचारी न बनने का अपना आशय संसूचित कर दिया है इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अन्तरित अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसी तारीख से ही, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं रहेगा और ऐसे पदाभिधान से बोर्ड का कर्मचारी हो जाएगा जो बोर्ड अवधारित करे और पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत पेंशन, छुट्टी और भविष्य निधि भी हैं उपधारा (3), (4) और (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन शासित होगा और बोर्ड का कर्मचारी तब तक बना रहेगा जब कि उसका नियोजन बोर्ड द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश द्वारा अन्तरित प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी ऐसी तारीख से छह मास के भीतर लिखित रूप में अपना विकल्प देगा कि वह,—

(क) बोर्ड की स्थापना की तारीख के ठीक पहले सरकार के अधीन उसके द्वारा धारित पद को लागू होने वाले वेतनमान द्वारा या बोर्ड के अधीन जिस पद को वह अन्तरित किया गया है उसको लागू होने वाले वेतनमान द्वारा शासित होना चाहता है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित नियमों और आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति या अन्य निवृत्ति फायदों से शासित होना चाहता है या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन बोर्ड के कर्मचारियों को लागू होने वाली छुट्टी भविष्य निधि या अन्य निवृत्ति फायदों से शासित होना चाहता है और ऐसा विकल्प एक बार प्रयोग किए जाने के पश्चात् अन्तिम होगा :

परन्तु खण्ड (क) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प उसी पद के सम्बन्ध में लागू होगा जिस पर ऐसा व्यक्ति बोर्ड को अन्तरित किया गया है और बोर्ड के अधीन किसी उच्चत्तर पद पर नियुक्ति होने पर वह व्यक्ति ऐसे उच्चत्तर पद को लागू होने वाले वेतनमान के लिए ही पात्र होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे व्यक्ति के अन्तरण की तारीख से ठीक पहले ऐसा कोई व्यक्ति सरकार के किसी उच्चतर पद पर या तो छुट्टी से हुई रिक्ति में या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अवधि की रिक्ति में स्थानापन्न कार्य कर रहा है तो ऐसी रिक्ति की शेष अवधि के लिए उसका वेतन अन्तरण होने पर संरक्षित रखा जाएगा और तब वह सरकार के अधीन उस पद को लागू होने वाले वेतन मान का हकदार होगा जिसको कि वह वापस जाता या बोर्ड के अधीन उस पद को लागू होने वाले वेतनमान का हकदार होना जिसको कि उसे अन्तरित किया गया है, इनमें से जिस का भी वह विकल्प करें ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेशों द्वारा अन्तरित कोई अधिकारी या कर्मचारी:—

(क) बोर्ड के अधीन वैसी ही या उसके समतुल्य नियुक्ति करने के लिये सक्षम ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया या हटाया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों से विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) ऐसी जांच के पश्चात् ही पदच्युत किया जाएगा या हटाया जाएगा या पंक्तिच्युत किया जाएगा जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है और उन आरोपों की बाबत सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां जब तक उसे प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है किन्तु यह केवल ऐसी जांच के दौरान उठाए गए साक्ष्य के आधार पर होगा :

परन्तु—

(i) जहां कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या उटाया जाता है या पंक्तिच्यूत किया जाता है जिससे उसे किसी आपराधिक आरोप पर सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) जहां किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारणवश जो वह अधिकारी लेखबद्ध करेगा, ऐसी जांच करना उचित रूप से साध्य नहीं है ; या

(iii) कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो बोर्ड को अन्तरित किए जाने पर बोर्ड के अधीन किसी उच्चतर पद पर खुले विज्ञापन के परिणामस्वरूप और अन्य बाहरी व्यक्तियों से प्रतियोगिता करके नियुक्त होता है ;

वहां यह खण्ड लागू नहीं होगा ।

(5) यदि पूर्वोक्त किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उपधारा (4) में यथानिर्दिष्ट जांच करना उचित रूप से साध्य है या नहीं तो उसे पदच्युत करने या हटाने या पंक्तिच्युत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

दो. संशोधनों की सूचनायें, जिन पर समिति ने विचार किया और जिन्हें स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गई हैं । खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

6. खण्ड 1—एक. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

पृष्ठ 1 पंक्ति 5—

(एक) "राष्ट्रीय" से पहले "भारत का" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(दो) "1972" के स्थान पर "1974" प्रतिस्थापित किया जाये ।

दो. संशोधन की सूचना जिस पर समिति ने विचार किया और जिसे स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गयी हैं । खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

7. **पूरा नाम**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पूरे नाम में "राष्ट्रीय" से पहले "भारत का" अन्तःस्थापित किया जाये ।

पूरा नाम संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

8. **अधिनियमन सूत्र** :—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 1 पंक्ति 1—

"तेईसवें" के स्थान पर "पच्चीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

9. विधेयक में स्पष्ट गलतियों को यदि कोई हों ठीक करने तथा विधेयक में पारिणामिक संशोधन करने के लिये समिति ने विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया ।

10. तत्पश्चात् समिति सभापति ने समिति के सदस्यों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों, जो विमति टिप्पण के सम्बन्ध में हैं, की ओर दिलाया ।

11. तत्पश्चात् समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिये मंगलवार 23 जुलाई 1974 को 9.30 बजे बैठक करने का निर्णय किया ।

12. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबंध

उन संशोधनों की सूचनाओं की सूची जिन पर संयुक्त समिति की 14 जुलाई 1974 को हुई बैठक में विचार किया गया और जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया

क्रमांक	सदस्य का नाम तथा संशोधन का पाठ
(1)	(2)
	खण्ड 14
	श्री समर गुह
1.	प्रोफेसर एस० नूरुल हसन द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, उप खण्ड (3) में "संबंधित" के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये; "प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी विधयक के अधिनियमन के बाद केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी बना रहेगा ।"

श्री सरोज मुखर्जी

2. प्रोफसर एस० नूरुल हसन द्वारा प्रस्तावित संशोधन में,

(एक) उप-खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(4) बोर्ड तथा उस के किन्हीं अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के बीच हुए किसी संविदा से उत्पन्न विवाद, सम्बन्धित कर्मचारी की प्रार्थना पर या बोर्ड के अनुरोध पर, औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निपटाया जायेगा ।"

(दो) उप खण्ड (5), (6), (7) तथा (8) का लोप किया जाये ।

श्री समर गुह

3. प्रोफसर एस० नूरुल हसन द्वारा प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 5, "शर्तें" के बाद "केन्द्रीय सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार," अन्तःस्थापित किया जाये ।

4. पृष्ठ 5, पंक्ति 1—4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"14. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त कर सकती है, जिनकी सिफारिश बोर्ड द्वारा की गयी हो ।"

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 5—6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(दो) पुस्तकालय के निदेशक सहित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अनुसार होंगी ।"

श्री सरोज मुखर्जी

6. पृष्ठ 5, पंक्ति 5, "ऐसे" के स्थान पर "सभी" प्रतिस्थापित किया जाये ।

7. पृष्ठ 5, पंक्ति 5–6 "वे होंगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाएं ।" के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अनुसार होंगी ।" प्रतिस्थापित किया जाये ।

खण्ड 15

श्री समर गुह

8. प्रो० एस० नूरुल हसन द्वारा प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"15. बोर्ड की स्थापना की तारीख के ठीक पहले से पुस्तकालय में नियोजित व्यक्ति उस तारीख से ही केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी बना रहेगा, परन्तु वह व्यक्ति बोर्ड का नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य न हो ।"

श्री सरोज मुखजी :

9. प्रो० एस० नूरुल हसन द्वारा प्रस्तावित संशोधन में,

(एक) उप-खण्ड (4) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"परन्तु यह खण्ड वहां लागू नहीं होगा जहां कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसे आचरण के आधार पर, जिससे दाण्डिक आरोप के कारण उसकी दोषसिद्धि हुई हो, पदच्युत या हटाया या पद में अवनत किया गया है ।"

(दो) उप-खण्ड (5) का लोप किया जाये ।

खण्ड 16

श्री समर गुह

10. पृष्ठ 1, पंक्ति 7—8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"यह अधिनियम तब प्रवृत्त होगा जब सरकार दो वर्ष के पश्चात् इस आशय की अधिसूचना जारी करके ऐसा करना वांछनीय समझे ।

———

पच्चीस

पच्चीसवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 23 जुलाई, 1974 को 09.30 बजे से 10.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमर नाथ विद्यालंकार—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री अचल सिंह
3. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
4. श्री पन्नालाल बारूपाल
5. श्री बीरेन एंगती
6. श्री के० गोपाल
7. श्री समर गुह
8. श्री बी० आर० कावड़े
9. श्री वाई० एस० महाजन
10. श्री कुमार माझी
11. श्री एच० एन० मुकर्जी
12. श्री सरोज मुखर्जी
13. श्री टुना उरांव
14. श्री रामुभाई रावजीभाई पटेल
15. श्री सोमचन्द सोलंकी
16. श्री डी० पी० यादव

राज्य सभा

17. श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर
18. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
19. श्रीमती मरगथम चन्द्रशेखर
20. श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी
21. श्री नीरेन घोष
22. श्री एन० जी० गोरे
23. प्रो० एस० नूरुल हसन
24. श्री श्याम लाल गुप्त
25. श्री सनत कुमार राहा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० हरिहर अय्यर—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० एन० सिंगल—सहायक विधायी परामर्शदाता

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री मोहन मुकर्जी—अपर सचिव
2. श्री के० के० बक्शी—उप-सचिव
3. श्री ए० एस० तलवार—उप-सचिव

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—उप-सचिव

2. समिति ने विधेयक पर विचार किया और उसे निम्नलिखित उपान्तरण के साथ स्वीकार किया।

3. समिति ने 14 जुलाई, 1974 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि प्रस्तावित विधान का नाम बदलकर भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1974 रखा जाये। तदनुसार उप-खण्ड 1 (1) में संशोधन किया गया। समिति को सूचित किया गया कि विधेयक के संक्षिप्त नाम को बदल देने से 'राष्ट्रीय पुस्तकालय' का नाम स्वयं ही बदलकर भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं हो गया है और इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि विधेयक में विशेष उपबंध निगमित किया जाये। तदनुसार, निम्नलिखित संशोधन किया गया :—

खण्ड 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

पुस्तकालय का 'भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय' के नाम से ज्ञात होना और पुस्तकालय का अवस्थान	(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही पुस्तकालय 'भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय' नाम से ज्ञात होगा और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी अनुबन्ध या अन्य दस्तावेज में, राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रति निर्देश है। (2) पुस्तकालय कलकत्ते में ही अवस्थित रहेगा।"

4. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. सभापति महोदय ने घोषणा की कि विमति टिप्पण, यदि कोई हो, तो लोक सभा सचिवालय को भेज दिये जायें, जो सचिवालय में गुरुवार, 25 जुलाई, 1974 को 15.00 बजे तक पहुंच जायें।

6. समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री वाई० एस० महाजन को शुक्रवार, 26 जुलाई, 1974 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और सभापटल पर साक्ष्य रखने के लिए प्राधिकृत किया।

7. समिति ने श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी और उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती सुशीला शंकर आडिवरेकर को भी 26 जुलाई, 1974 को राज्य सभा के पटल पर प्रतिवेदन और साक्ष्य रखने के लिए प्राधिकृत किया।

8. समिति ने विचार विमर्श के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) और उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) की सराहना की।

9. समिति ने सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए विधायी परामर्शदाता शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के अधिकारियों और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भी सराहना की।

10. सभापति ने उपरोक्त अधिकारियों को धन्यवाद देने के साथ-साथ समिति के सदस्यों को भी इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने समिति की कार्यवाही के संचालन में उन्हें पूरा-पूरा सहयोग दिया और यद्यपि सदस्यों ने पूरी शक्ति से अपने विचार व्यक्त किये किन्तु साथ ही अपने से भिन्न मत वाले सदस्यों के विचारों का आदर भी किया जिससे चर्चाओं की गरिमा बनी रही और समिति का कार्य बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ।

11. समिति की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाने और विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों पर समिति के विचार विमर्श में मार्ग-दर्शन करने के लिए समिति ने सभापति महोदय को भी धन्यवाद दिया।

12. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।